Result Mitra

TARGET UPSC (IAS) 2027/28

MONTHLY

करेंट अफेयर्स

SEPTEMBER 2026

By- Dr. Faiyaz Sir



Chapter 1

राष्ट्रीय समाचार (NATIONAL NEWS)

1. सोन नदी जल विवाद और समझौता
2. भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट-ब्रीडर रिएक्टर (PFBR)
3. विधिक मापन (भारतीय मानक समय) नियम, 2026
4. मणिपुर में जातीय संघर्ष और सुरक्षा चुनौतियाँ
5. मणिपुर में जनगणना का स्थगन और 'NRC फर्स्ट' की मांग
6. दिल्ली भवन ढहने की घटना और हाई कोर्ट की टिप्पणी
7. भारत-नेपाल ऊर्जा सहयोग और आपातकालीन बिजली निर्यात
8. VB-G RAM G पोर्टल
9. शेखावाटी के चित्रित हवेली नगर यूनेस्को की अस्थायी सूची में
10. भारत का प्रथम पोर्ट-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र
11. भारत के पहले 'PRAMAAN' प्रमाण-पत्र
12. टाटा संस का विलय प्रस्ताव और अनिवार्य सूचीकरण (Listing) विवाद
13. PB-SHABD (प्रसार भारती समाचार-साझाकरण सेवा)
14. एशिया का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र
15. दुनिया के सबसे ऊंचे फूलों के खेत (लद्दाख)
16. स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान
17. इंडिया एनर्जी वीक 2027
18. पारादीप सहित चार पत्तनों को 'मेगा पोर्ट' का दर्जा
19. SEMICON India 2026
20. 16वां एयरो इंडिया 2027
21. जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च-स्तरीय समिति (HLCDC)

Chapter 2

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम (International Current Affairs)

- 81वां संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र और भारत का एजेंडा
- तुर्किये का आर्टेमिस समझौते में शामिल होना
- 18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 2026
- 26वाँ शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन, 2026
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) द्वारा लाहौर को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित
- कार्डिफ समझौता 2026
- संयुक्त राष्ट्र (UN) का "Correct the Map" प्रस्ताव और नया विश्व मानचित्र
- ट्रम्प जलडमरूमध्य और ईरान-अमेरिका भू-राजनीतिक तनाव
- थाईलैंड का क्षमादान कानून 2026
- बाल्टिक वे और गांधीवादी अहिंसा का प्रभाव
- गंगा जल साझाकरण संधि और नवीनीकरण का मुद्दा
- यमन के हाउती विद्रोहियों का बढ़ता प्रभाव
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ऐतिहासिक श्रीलंका यात्रा
- अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच राजनयिक संबंध समाप्त
- मक्का संयुक्त रक्षा समझौता
- भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी
- भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
- कनाडा-EU संबंधों को नई दिशा देने की तैयारी, 'सहयोगी सदस्यता' का प्रस्ताव
- कोसोवो के पूर्व राष्ट्रपति हाशिम थाची को युद्ध अपराधों में सजा
- फॉकलैंड द्वीप समूह विवाद
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर अमेरिकी प्रतिबंध
- संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा और शांति अभियानों की व्यापक समीक्षा
- भारत-जापान रक्षा सहयोग और नया समुद्री ढांचा
- भारत-बेल्जियम द्विपक्षीय संबंध और रणनीतिक साझेदारी
- अमेरिकी रूस प्रतिबंध विधेयक और 100% तक टैरिफ का प्रावधान
- अमेरिका-ग्रीनलैंड सुरक्षा समझौता
- अमेरिका-चीन द्विपक्षीय व्यापार और पारस्परिक टैरिफ कटौती समझौता

Chapter 3

राजव्यवस्था और शासन (Polity & Governance)

1. सुप्रीम कोर्ट का फैसला और छात्र आंदोलन
2. भारत निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया और विवाद
3. ECINET समीक्षा और SIR प्रक्रिया में सुधार
4. फॉर्म 6 में बदलाव और CEC से जुड़ा विवाद
5. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की हटाने की प्रक्रिया और ECI
6. फॉर्म 26 और चुनावी उम्मीदवारी से जुड़े खुलासे
7. सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और महिला प्रतिनिधित्व
8. हल्द्वानी मंच शुद्धीकरण विवाद और अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17)
9. पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPPs) और उनका विनियमन
10. लद्दाख के लिए प्रस्तावित 'अनुच्छेद 371(K)' और विशेष शासन मॉडल
11. तृणमूल कांग्रेस (TMC) नाम और चुनाव चिह्न विवाद
12. तमिलनाडु में नवोदय विद्यालयों की स्थापना और भाषाई विवाद
13. तुलु भाषा को कर्नाटक में आधिकारिक भाषा का दर्जा
14. पूर्वोत्तर में AFSPA का विस्तार
15. FSSAI पर सर्वोच्च न्यायालय का सख्त रुख
16. वाणिज्यिक मुकदमे और न्यायालय अवसंरचना की समीक्षा
17. बाल अधिकार आयोग द्वारा 3,800 से अधिक बच्चों का रेस्क्यू

Chapter 4

पर्यावरण (ENVIRONMENT)

1. अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस और भारत में गिद्ध संरक्षण
2. यूएनईपी (UNEP) की 'लिमिटिंग ओवरशूट' रिपोर्ट 2026
3. WMO अल नीनो अलर्ट
4. नेपाल महाबाढ़ 2026
5. ओरांगुटान (Orangutan) का रेस्क्यू
6. कस्तूरीरंगन रिपोर्ट-7वें मसौदे (7th Draft Notification)
7. मुन्नार में नीलकुरिंजी का सामूहिक पुष्पन
8. संयुक्त राष्ट्र समुद्र स्तर घोषणा 2026
9. 'विश्व गैंडा दिवस' (World Rhino Day)
10. विश्व ओजोन दिवस (World Ozone Day, 2026)

Chapter 5

आर्थिकी घटनाक्रम (Economy Current)

1. भारत की Q1 जीडीपी वृद्धि (FY 2026-27): समष्टि-आर्थिक विश्लेषण
2. RBI की विदेशी मुद्रा अदला-बदली सुविधा (Forex Swap Facility) और रुपये का स्थिरीकरण
3. घरेलू नोटबुक उद्योग का संकट और उल्टा शुल्क ढाँचा (Domestic Notebook Industry Crisis & Inverted Duty Structure)
4. आरबीआई की ओवरनाइट वैरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामी और बैंकिंग तरलता प्रबंधन
5. ई-कॉमर्स संशोधन नियम 2026
6. EPFO वेज सीलिंग संशोधन (2026)
7. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)Central Board of Direct Taxes - CBDT)
8. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति और वैश्विक वित्तीय बाजारों पर प्रभाव (US Fed Rate Hike & Global Impact)
9. इंडोनेशिया का निकेल उत्पादन एवं वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति श्रृंखला (Indonesia’s Nickel Production & Global Critical Minerals Supply Chain)
10. वैश्विक सल्फर (गंधक) मूल्य वृद्धि एवं आपूर्ति श्रृंखला संकट (Global Sulphur Price Surge & Supply Chain Crisis)
11. मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate – MDR) और यूपीआई का नया फ्रेमवर्क 2026

Chapter 6

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

1. GSLV-F17 और EOS-05 मिशन
2. ISRO का CE20 क्रायोजेनिक इंजन हॉट टेस्ट
3. पेरिस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन
4. वेकफील्ड त्वरक (Wakefield Accelerator)
5. दुर्लभ बीमारियाँ (Rare Diseases)
6. अंतरिक्ष में हथियार और 'स्पेस कंट्रोल' की रणनीति
7. तुर्किये और आर्टेमिस समझौते
8. भारत में मेलेनोमा (त्वचा का कैंसर) और शुरुआती निदान की चुनौती
9. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के लिए स्टेम सेल थेरेपी और नए दिशा-निर्देश
10. टेस्ला साइबरकैब रोबोटैक्सी
11. ई-कॉमर्स नए नियम और उपभोक्ता संरक्षण
12. भूटान रेबीज मुक्त

Chapter 7

रक्षा (Defence)

1. जेवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम
2. INS निपुण (INS Nipun)
3. PRATUSH (प्रत्यूष) टेलीस्कोप
4. CosmoCube (कॉस्मोक्यूब) मिशन
5. TRISH (Translational Research Institute for Space Health)
6. IAF 'Dronathon-2026' (ड्रोनॉथॉन)
7. CoBRA की पहली महिला प्रमुख

Chapter 8

सरकारी योजनाए (Govt Scheme)

1. उत्तर प्रदेश में 'भारत टैक्सी सेवा' एवं अन्य सहकारिता पहलें
2. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना: 3 वर्ष पूरे
3. विकसित भारत इस्पात योजना (2026)
4. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)
5. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)
6. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026
7. पश्चिम बंगाल 'अन्नपूर्णा योजना'
8. ई-फास्ट इंडिया पहल और PACT (2026)
9. 'मेक इन इंडिया' पहल: 12 वर्ष (2014 - 2026)

Chapter 9

पुरस्कार (Award)

1. चौथे इको वॉरियर अवार्ड्स 2026
2. रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2026
3. 99वें अकादमी पुरस्कार: भारत की आधिकारिक प्रविष्टि
4. 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026
5. यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार 2026
6. अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2026
7. सरोजा वैद्यनाथन उत्कृष्टता पुरस्कार 2026

Chapter 10

रिपोर्ट एवं सूचकांक

1. वी-डेम लोकतंत्र रिपोर्ट 2026
2. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026
3. वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026

Chapter 11

खेलकूद (SPORTS)

1. यूएस ओपन 2026(पुरुष वर्ग)
2. यूएस ओपन 2026 (महिला वर्ग)
3. वर्ल्ड आर्चरी रणनीतिक विज़न 2026 और भारत की उपलब्धियाँ
4. वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026
5. एशियन गेम्स 2026 (आइची-नागोया, जापान)
6. 46वां चेस ओलंपियाड 2026
7. FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2026

Chapter 12

विविध (Misslenous)

1. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट: एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा (सेवानिवृत्त) बने पहले CEO
2. अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ एवं वित्तीय विवरण:
3. ग्लोरिया स्टीनम: जीवन, संघर्ष और नारीवादी आंदोलन में योगदान
4. भारत के आगामी 54वें मुख्य न्यायाधीश (CJI): जस्टिस विक्रम नाथ
5. सितंबर महीने के प्रमुख दिवस और उनकी 2026 की थीम

National News

सोन नदी जल विवाद और समझौता

चर्चा में क्यों?

अगस्त 2026 में बिहार और झारखंड के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के माध्यम से लगभग 25 साल पुराने सोन नदी जल विवाद को सुलझा लिया गया है, जिसके बाद बिहार कैबिनेट ने 'इंद्रपुरी जलाशय परियोजना' के निर्माण को स्वीकृति दे दी है।

विवाद की पृष्ठभूमि और जल आवंटन:

- **बाणसागर समझौता (1973):** यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अविभाजित बिहार के बीच हुआ था, जिसमें सोन नदी के कुल 14.25 MAF जल में से अविभाजित बिहार को 7.75 MAF जल आवंटित हुआ था।
- **विभाजन के बाद संकट:** वर्ष 2000 में झारखंड के गठन के बाद जल के स्पष्ट बँटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया था, जिसे केंद्रीय जल आयोग (CWC) की तकनीकी मध्यस्थता से सुलझाया गया।
- **नया जल-बँटवारा सूत्र:** अनुमोदित व्यवस्था के तहत पूर्ववर्ती हिस्से में से बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2.00 MAF जल मिलेगा।

प्रमुख परियोजनाएँ और लाभ:

- **इंद्रपुरी जलाशय परियोजना (कड़वा बांध):** बिहार के रोहतास जिले में इस परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- **सिंचाई और पेयजल:** इस समझौते से बिहार के 8 जिलों (भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना) तथा झारखंड के पलामू व गढ़वा क्षेत्रों को कृषि और पेयजल सुरक्षा मिलेगी।
- **अन्य पहल:** उत्तरी कोयल (मंडल बांध) परियोजना और सोन-फल्गु नदी जोड़ो परियोजना को भी बल मिलेगा।

सोन नदी के बारे में:

- **उद्गम:** मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों से (नर्मदा के निकट)।
- **अपवाह:** यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से बहते हुए पटना के पास मनेर में गंगा नदी में मिलती है। यह यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है।
- **सहायक नदियाँ:** रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल, गोपद और बनास।

भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट-ब्रीडर रिएक्टर (PFBR)

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित भारत के पहले 500 मेगावाट (MWe) क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट-ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) के सितंबर 2026 तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। इस रिएक्टर ने 6 अप्रैल 2026 को अपनी पहली 'क्रिटिकैलिटी' (Criticality) हासिल कर ली थी।

मुख्य बिंदु और तकनीकी विशेषताएं:

- **संचालन और विकास:** इस रिएक्टर का निर्माण भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (BHAVINI - भाविनी) द्वारा किया जा रहा है।
- **ईंधन और शीतलक (Fuel & Coolant):** यह अपनी तरह का पहला ऐसा परमाणु रिएक्टर है जो ईंधन के रूप में प्लूटोनियम-आधारित मिश्रित ऑक्साइड (MOX) और शीतलक के रूप में तरल सोडियम का उपयोग करता है।
- **ग्लोबल उपलब्धि:** रूस के बाद वाणिज्यिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है।

भारत के तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम में महत्व:

- **दूसरा चरण:** PFBR का चालू होना भारत के तीन-चरण वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण को पूरा करता है।
- **कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण:** इसका मुख्य उद्देश्य रेडियोधर्मी कचरे के भंडार को कम करने के लिए प्रयुक्त ईंधन का पुनर्चक्रण करना और प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों (PHWRs) के प्रयुक्त ईंधन का उपयोग करना है।
- **तीसरे चरण का आधार:** इन रिएक्टरों से प्राप्त प्रयुक्त ईंधन का उपयोग अंततः भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने वाले तीसरे चरण के रिएक्टरों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

विधिक मापन (भारतीय मानक समय) नियम, 2026

चर्चा में क्यों?

उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा विधिक मापन अधिनियम, 2009 की धारा 52 के तहत 27 अगस्त 2026 को इन नियमों को अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत भारतीय मानक समय (IST) को आधिकारिक रूप से देश का एकमात्र अनिवार्य कानूनी संदर्भ बनाया गया है।

मुख्य प्रावधान और प्रमुख तथ्य:

- **लागू होने की तिथि:** ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 180 दिनों के बाद प्रभावी होंगे, ताकि सरकारी विभागों, व्यवसायों और संस्थानों को अपनी प्रणालियों को संरेखित करने का पर्याप्त समय मिल सके।
- **कानूनी दर्जा ('वन नेशन, वन टाइम'):** पहली बार IST को प्रशासनिक, कानूनी, वाणिज्यिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए देश का एकमात्र अनिवार्य कानूनी संदर्भ घोषित किया गया है।
- **मानक रेखा और समयांतर:** IST की गणना 82.5° पूर्व देशांतर (उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाली रेखा) के आधार पर की जाती है, जो समन्वित सार्वभौमिक समय (UTC +5:30) से 5 घंटे 30 मिनट आगे है।

- **समय रखरखाव और स्रोत:**
  - भारत में आधिकारिक समय का रखरखाव CSIR-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL) द्वारा किया जाता है।
  - इन नियमों के तहत भारत की स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली NavIC को भी एक आधिकारिक और स्वीकृत समय स्रोत के रूप में औपचारिक मान्यता दी गई है, जिससे विदेशी उपग्रहों पर निर्भरता कम होगी।
- **अनिवार्य सिंक्रनाइज़ेशन:** बैंकिंग, शेयर बाजार, दूरसंचार (Telecom), रेलवे, बिजली ग्रिड और डिजिटल नेटवर्क जैसी सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए सटीक टाइम-स्टैम्प सुनिश्चित करने हेतु समय का मिलान IST के साथ करना अनिवार्य कर दिया गया है।

यह पहल बैंकिंग लेनदेन, परिवहन प्रणालियों (रेलवे, एयरपोर्ट), दूरसंचार नेटवर्क, आपातकालीन सेवाओं और कानूनी अभिलेखों में बेहतर समन्वय स्थापित करेगी। इसके अलावा, 'व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी' जैसे पायलट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से देश के डिजिटल और आर्थिक ढांचे को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा रहा है।

मणिपुर में जातीय संघर्ष और सुरक्षा चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

मई 2023 के मेइती-कुकी संघर्ष के बाद अब राज्य में नागा और कुकी-सो समुदायों के बीच नए जातीय संघर्ष और हिंसा के उभरने से पहाड़ी जिलों में तनाव बढ़ गया है। हालांकि, सितंबर 2026 में दो कुकी-सो विधायकों द्वारा असेंबली सत्र में शामिल होने से राजनीतिक संवाद की दिशा में सकारात्मक संकेत भी मिले हैं।

मुख्य बिंदु और प्रमुख तथ्य:

- **नया जातीय संघर्ष:** फरवरी 2026 के बाद से पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी-सो समुदायों के बीच स्थानीय विवादों के चलते व्यापक हिंसा फैली है, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग हताहत हुए हैं और नए सिरे से लोग राहत शिविरों में जाने को मजबूर हुए हैं।
- **आर्थिक नाकेबंदी और आपूर्ति संकट:** समुदायों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ लगाई गई नाकाबंदी से आवश्यक वस्तुओं, दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे छोटा कुकी-सो समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।
- **विधानसभा में वापसी:** कुकी इंपाई मणिपुर के बहिष्कार के निर्देश के बावजूद, दो कुकी-सो विधायकों ने विधानसभा सत्र में भाग लिया, जो राजनीतिक संवाद बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** यह संघर्ष 1990 के दशक के नागा-कुकी संघर्ष की याद दिलाता है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों के नियंत्रण और पारंपरिक कानूनों को लेकर सशस्त्र समूहों द्वारा तनाव को फिर से हवा दी जा रही है।

अतिरिक्त जानकारी:

- **अनुच्छेद 371C :** यह मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है, जिसके तहत विधानसभा की 'हिल एरिया कमेटी' (Hill Area Committee) के गठन का अधिकार है (यह मिजोरम या नागालैंड की तरह छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों के समान नहीं है)।
- **छठी अनुसूची:** मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
- **भौगोलिक विभाजन:** मणिपुर भौगोलिक रूप से दो भागों में विभाजित है—लगभग 10% क्षेत्र वाला इम्फाल घाटी (जहाँ बहुसंख्यक मेइती समुदाय निवास करता है) और लगभग 90% क्षेत्र वाले सराउंडिंग हिल्स/पहाड़ी जिले (जहाँ कुकी-सो और नागा जनजातियाँ निवास करती हैं)।
- **सुरक्षात्मक उपाय:** राज्य में इनर लाइन परमिट (ILP), AFSPA, और उग्रवादी समूहों के साथ 'ऑपरेशन निलंबन' (SoO) समझौते जैसे कानूनी व प्रशासनिक तंत्र लागू रहे हैं।

मणिपुर में जनगणना का स्थगन और 'NRC फर्स्ट' की मांग

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने मैतेइ और नागा नागरिक समाज समूहों की उस मांग के बाद मणिपुर में 2027 की जनगणना (हाउस-लिस्टिंग चरण) को स्थगित कर दिया है, जिसमें जनसंख्या गणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने की मांग की गई थी।

मुख्य बिंदु और प्रमुख तथ्य:

- **आधार वर्ष (1951 Base Year):** मणिपुर सरकार और स्थानीय संगठन 1951 को आधार वर्ष मानकर राज्य में NRC लागू करने की मांग कर रहे हैं (इसका मुख्य कारण 1950 में मणिपुर के परमिट सिस्टम की समाप्ति और 1951 की जनगणना है)।
- **जनगणना और परिसीमन का संबंध:** जनगणना के आंकड़े आगामी विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन (Delimitation) का कानूनी आधार बनते हैं। समूहों को आशंका है कि बिना नागरिकता जांच के गणना करने से राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।
- **अवैध अप्रवासन की समस्या:** फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से मणिपुर में शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों की घुसपैठ बढ़ी है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, सीमावर्ती जिलों (चंडेल, कामजोंग और तेंगनौपाल) से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें म्यांमार वापस भेजा गया है।

- **विभिन्न समुदायों का रुख:**
  - मैतेइ और नागा समूह: जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जनगणना से पहले NRC की मांग का समर्थन करते हैं।
  - कुकी-सो काउंसिल (KZC): इस मांग को "राजनीति से प्रेरित" बताते हुए इसका कड़ा विरोध करती है और केंद्र से राज्य में तुरंत जनगणना कराने की अपील करती है।

अतिरिक्त जानकारी:

- **कानूनी ढांचा:** भारत में NRC का संचालन नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के तहत किया जाता है। असम के विपरीत, अन्य राज्यों में NRC लागू करने के लिए विशिष्ट केंद्रीय नीति और कार्यकारी अधिसूचना की आवश्यकता होती है।

दिल्ली भवन ढहने की घटना और हाई कोर्ट की टिप्पणी

चर्चा में क्यों?

दिल्ली के सत्य निकेतन में सितंबर 2026 में हुए बहुमंजिला पेइंग-गस्ट (PG) भवन ढहने की दुर्घटना के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्र आवास क्षेत्रों (जैसे सत्य निकेतन, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर) में सुरक्षा मानकों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने अवैध निर्माण और बिना नक्शे के चल रहे पीजी भवनों पर त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

मुख्य बिंदु और प्रमुख निर्देश:

- **अनिवार्य संरचनात्मक ऑडिट:** कोर्ट ने MCD को निर्देश दिया है कि जिन पीजी भवनों को असुरक्षित पाया गया है, उनका आईआईटी दिल्ली या डीटीयू (DTU) जैसे तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों से 10 दिनों के भीतर ऑडिट कराया जाए।

- **नक्शा न होने पर सीलिंग/विध्वंस:** प्रारंभिक सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में पीजी भवनों के पास स्वीकृत नक्शे (Sanctioned Plans) नहीं पाए गए, जिसके बाद अवैध निर्माणों पर सीलिंग और डिमोलिशन की कार्रवाई तेज कर दी गई है।
- **मंजिलों की सीमा का उल्लंघन:** दिल्ली के मास्टर प्लान और बिल्डिंग बाय-लॉज़ के प्रावधानों के तहत आवासीय क्षेत्रों में स्वीकृत ऊंचाई और मंजिलों की सीमा का उल्लंघन कर बनाई गई अतिरिक्त मंजिलों को गिराने के निर्देश दिए गए हैं।
- **व्यावसायिक संचालन पर रोक:** जब तक किसी संदिग्ध भवन की संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणित नहीं हो जाती, तब तक वहां पीजी या किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संचालन प्रतिबंधित रहेगा।

अतिरिक्त जानकारी:

- **वैधानिक आधार:** दिल्ली में भवन निर्माण गतिविधियां दिल्ली नगर निगम अधिनियम (MCD Act, 1957) और यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज़ (UBBL) के तहत विनियमित होती हैं।
- **राष्ट्रीय भवन कोड (NBC):** भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा जारी नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) एक 'मॉडल कोड' है, जिसे स्थानीय निकायों द्वारा अपने बाय-लॉज़ में अपनाया जाता है।
- **प्रशासनिक जवाबदेही:** इस मामले में विनियामक विफलता पाए जाने पर स्थानीय निकायों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर निलंबन की कार्रवाई भी की गई है।

भारत-नेपाल ऊर्जा सहयोग और आपातकालीन बिजली निर्यात

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण वहाँ की जलविद्युत अवसंरचना और संयंत्रों को भारी नुकसान पहुँचा है, जिससे घरेलू बिजली उत्पादन और आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित हुई है। इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल को त्वरित बिजली आपूर्ति की मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु और प्रमुख प्रावधान:

- **आपूर्ति की अवधि और समय:** भारत 13 सितंबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे के लिए नेपाल को कुल 654 मेगावाट तक बिजली की त्वरित आपूर्ति करेगा।

- **पारेषण लाइनें (Transmission Lines):** यह बिजली दो प्रमुख सीमा पार पारेषण मार्गों के माध्यम से भेजी जाएगी:
  - **मुजफ्फरपुर-ढालकेबर (400 केवी) लाइन:** इसके माध्यम से 600 मेगावाट तक बिजली की आपूर्ति।
  - **तनकपुर-महेंद्रनगर (132 केवी) लाइन:** इसके माध्यम से 54 मेगावाट तक बिजली की आपूर्ति।
- **दीर्घकालिक लक्ष्य:** भारत और नेपाल ने आगामी दशक में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लक्ष्य से संबंधित एक ऐतिहासिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

नेपाल में प्रमुख भारतीय जलविद्युत परियोजनाएं:

भारत नेपाल में कई महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण और विकास में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है, जिनमें प्रमुख हैं:

- अरुण-III परियोजना (900 मेगावाट), लोअर अरुण और अरुण-4 परियोजनाएं।
- पश्चिम सेती और सेती नदी (SR6) परियोजनाएं (1,200 मेगावाट)।
- सप्त कोसी उच्च बांध परियोजना (कोसी नदी पर) और महाकाली संधि से जुड़ी परियोजनाएं।
- इसके अलावा भारत द्वारा पूर्व में त्रिशुली और देवीघाट जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण भी किया जा चुका है।

VB-G RAM G पोर्टल

चर्चा में क्यों?

MGNREGA (2005) को प्रतिस्थापित करते हुए 1 जुलाई 2026 से देश भर में विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात VB-G RAM G अधिनियम, 2025 लागू हो गया है, जिसका आधिकारिक वेब पोर्टल VB-G RAM G पोर्टल लॉन्च किया गया है।

VB-G RAM G योजना की मुख्य विशेषताएं:

- **लागू होने की तिथि:** यह योजना 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है और इसने पुराने MGNREGA (मनरेगा) का स्थान लिया है।
- **रोज़गार की गारंटी:** इसमें प्रति ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिन का अकुशल शारीरिक रोज़गार मिलता है (पहले यह 100 दिन था)।
- **कृषि विराम:** खेती के मुख्य मौसम में काम रोकने के लिए अधिकतम 60 दिन का मौसमी कृषि विराम प्रावधान किया गया है।

- **न्यूनतम मजदूरी:** न्यूनतम मजदूरी की दर ₹300 प्रतिदिन निर्धारित की गई है (सिक्किम के लिए ₹450)।
- **वित्तपोषण अनुपात:**
  - सामान्य राज्यों के लिए 60:40 (केंद्र और राज्य)
  - पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10
  - बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र सरकार द्वारा
- **योजना घटक:** इसमें सामाजिक लेखापरीक्षा (Social Audit), अमृत सरोवर, जलदूत, SECURE Soft और BhuGRAM आदि शामिल हैं।

शेखावाटी के चित्रित हवेली नगर यूनेस्को की अस्थायी सूची में

चर्चा में क्यों?

भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल द्वारा 1 जून 2026 को प्रस्तुत एक सांस्कृतिक क्रमिक नामांकन (Cultural Serial Nomination) के तहत राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के ऐतिहासिक नगरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची (Tentative List) में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है।

महत्वपूर्ण विवरण:

- **क्षेत्र विस्तार:** यह नामांकन पूर्वोत्तर राजस्थान के तीन जिलों— झुंझुनूं, सीकर और चूरू में फैला हुआ है।
- **शामिल 14 ऐतिहासिक नगर:** इस क्रमिक नामांकन में कुल 14 नगर शामिल हैं— अलसीसर, बिसाऊ, चिड़ावा, चूरू, डुंडलोद, फतेहपुर, झुंझुनूं, खेतरी, लक्ष्मणगढ़, मंडावा, महंसर, नवलगढ़, रामगढ़ और सीकर।

- **वास्तुशिल्प और भित्ति चित्र (Frescoes):** 18वीं से 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच धनी मारवाड़ी व्यापारियों द्वारा निर्मित इन हवेलियों को "दुनिया की सबसे बड़ी ओपन-एयर आर्ट गैलरी" कहा जाता है। इनकी दीवारों पर हिंदू पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं, वनस्पतियों-जीवों और रेलवे व मोटरकार जैसी आधुनिक तकनीकी खोजों को दर्शाने वाले जीवंत भित्ति चित्र बने हैं।
- **शहरी नियोजन:** यहां की वास्तुकला में गढ़, अक्षीय बाजार, बहु-आंगन हवेलियां, छतरियां, बावड़ियाँ और पारंपरिक जल-प्रबंधन संरचनाएं शामिल हैं, जो इस अर्ध-शुष्क रेगिस्तानी पर्यावरण के अनुकूल हैं।
- **यूनेस्को मानदंड (UNESCO Criteria):** इस नामांकन को मुख्य रूप से मानदंड (iii), (iv) और (v) के तहत प्रस्तावित किया गया है, जो किसी सांस्कृतिक परंपरा के अनूठे साक्ष्य, वास्तुकला या प्रकार के उत्कृष्ट उदाहरण, और पर्यावरण के अनुकूल पारंपरिक मानव बस्तियों से संबंधित हैं।

भारत का प्रथम पोर्ट-आधारित ई-मेथनॉल संयंत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 26 सितंबर 2026 को गुजरात के दीनदयाल पोर्ट (कांडला) में भारत के पहले पोर्ट-आधारित ई-मेथनॉल उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है।

मुख्य बिंदु:

- **स्थान:** दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, कांडला, गुजरात।
- **संयुक्त उद्यम:** यह परियोजना दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड के बीच 76:24 के अनुपात में विकसित की जा रही है।
- **उत्पादन क्षमता:** इसकी कुल क्षमता 150 टन प्रति दिन है, जिसे दो चरणों (मार्च 2027 तक) में पूरा किया जाएगा।
- **लागत:** इस परियोजना में लगभग ₹2,300 करोड़ का निवेश किया जा रहा है।

ई-मेथनॉल और उत्पादन प्रक्रिया:

- यह क्या है? यह एक सिंथेटिक, कार्बन-न्यूट्रल लिक्विड फ्यूल है।
- **कच्चा माल:** नवीकरणीय ऊर्जा, डिसेलिनेटेड जल और कैप्चर की गई बायोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)।
- **प्रक्रिया:** नवीकरणीय बिजली से उत्पन्न हरित हाइड्रोजन को कैप्चर की गई CO_2 के साथ संश्लेषित करके ई-मेथनॉल तैयार किया जाता है।

भारत के पहले 'PRAMAAN' प्रमाण-पत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 29 सितंबर 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा नई दिल्ली में भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत देश के पहले 'PRAMAAN' प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- **पहले प्राप्तकर्ता:** आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को 33,000 हेक्टेयर वृक्षारोपण क्षेत्र के लिए तथा ओडिशा के बांस किसान गोविंद महापात्र को यह प्रमाण-पत्र दिया गया है।
- PRAMAAN क्या है? यह वन, लकड़ी और गैर-काष्ठ वन उत्पादों (NTFP) के सतत और सत्यापन योग्य प्रबंधन को प्रमाणित करने वाली IFWCS की राष्ट्रीय प्रमाणन व्यवस्था है।
- **तीन प्रकार के प्रमाणन:** इसमें वन प्रबंधन, वनों के बाहर वृक्ष प्रबंधन और चेन ऑफ कस्टडी प्रमाणन शामिल हैं।
- **स्वतंत्र ऑडिट:** यह प्रमाणन स्व-घोषणा पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके लिए NABCB से प्रत्यायित निकायों द्वारा स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट किया जाता है।
- **संचालन एजेंसी:** भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM), भोपाल इस योजना की संचालन एजेंसी है।

टाटा संस का विलय प्रस्ताव और अनिवार्य सूचीकरण (Listing) विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में टाटा संस के पुनर्गठन के तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) का टाटा संस में विलय करने का प्रस्ताव सामने आया है। इस कदम को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के तहत अनिवार्य स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग से बचने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्य बिंदु और तथ्य:

- **NBFC-UL वर्गीकरण:** आरबीआई ने टाटा संस को 'अपर लेयर एनबीएफसी' (Upper Layer NBFC - NBFC-UL) के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसके नियमों के तहत इस श्रेणी की कंपनियों के लिए तीन साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना अनिवार्य है। टाटा संस ने पहले अपना पंजीकरण रद्द करने का अनुरोध किया था, जिसे आरबीआई ने ठुकरा दिया था।

- **पुनर्गठन का उद्देश्य:**
  - टाटा ट्रस्ट्स का मानना है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टीसीई (TCE) जैसे बड़े परिचालन (Operating) व्यवसायों को सीधे टाटा संस में मिलाने से इसकी वित्तीय और निवेश गतिविधियों का अनुपात कम हो जाएगा।
  - इससे टाटा संस का मूल चरित्र एक 'कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी' (CIC) या एनबीएफसी से बदलकर एक प्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक कार्य करने वाली कंपनी का हो जाएगा, जिससे अनिवार्य लिस्टिंग की शर्त से बचा जा सके।
- **बोर्ड स्तर पर मतभेद:** टाटा संस के बोर्ड में इस मुद्दे पर मतभेद देखा गया है, जहां अधिकांश सदस्यों ने आरबीआई के मानदंडों के अनुसार लिस्टिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है, जबकि कुछ सदस्यों का मत इसके विपरीत रहा है।

अतिरिक्त जानकारी:

- **आरबीआई का स्केल-आधारित विनियमन (SBR):** इसके तहत एनबीएफसी को जोखिम और प्रणालीगत महत्व के आधार पर बेस, मिडिल, अपर और टॉप लेयर में वर्गीकृत किया जाता है। 'अपर लेयर' की कंपनियों पर कड़े विनियामक मानदंड लागू होते हैं।
- **कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC):** यह एक विशेष प्रकार की एनबीएफसी होती है जिसका मुख्य व्यवसाय समूह की कंपनियों के शेयर और प्रतिभूतियां हासिल करना होता है।
- **नियामक संस्था (RBI):** किसी भी कंपनी का एनबीएफसी या सीआईसी के रूप में वर्गीकरण समाप्त करना या उसे अनुमति देना पूरी तरह से आरबीआई के विनियामक दायरे और उसकी संवीक्षा पर निर्भर करता है।

PB-SHABD (प्रसार भारती समाचार-साझाकरण सेवा)

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई प्रसार भारती की समाचार-साझाकरण सेवा PB-SHABD की नि:शुल्क पहुंच को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है, जो छोटे और क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु और प्रमुख विशेषताएं:

- **उद्देश्य:** यह प्लेटफॉर्म उन छोटे समाचार संगठनों, क्षेत्रीय मीडिया और डिजिटल पोर्टल्स को एकल स्रोत के रूप में समाचार फीड उपलब्ध कराता है जिनके पास अपने व्यापक नेटवर्क नहीं हैं।
- **सामग्री प्रारूप:** इसके तहत वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और फोटो जैसे विभिन्न प्रारूपों में प्रमुख भारतीय भाषाओं में पचास से अधिक श्रेणियों में समाचार उपलब्ध कराए जाते हैं।
- **लोगो-मुक्त और श्रेय-मुक्त सुविधा:** इस प्लेटफॉर्म की सामग्री पूरी तरह से लोगो-रहित (Logo-free) होती है और इसके उपयोग के लिए किसी प्रकार का श्रेय (Credit) देने की बाध्यता नहीं होती है।
- **आर्काइव तक पहुंच:** इसके माध्यम से उपयोगकर्ताओं को दूरदर्शन (DD) और ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के व्यापक अभिलेखागार (Archives) तक पहुंच मिलती है।

अतिरिक्त जानकारी:

- **प्रसार भारती:** यह भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है, जिसकी स्थापना प्रसार भारती अधिनियम, 1997 के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- **मुख्य कार्य:** इसका प्रमुख उद्देश्य दूरदर्शन और आकाशवाणी (All India Radio) को स्वायत्तता प्रदान करना है ताकि वे जनता को निष्पक्ष रूप से शिक्षित, सुचित और मनोरंजन कर सकें।

एशिया का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बंगलूरू में आयोजित निवेशक सम्मेलन के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किए जा रहे दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ) के लिए निवेश आकर्षित करने और इसे बढ़ावा देने की पहल की जा रही है।

मुख्य बिंदु और प्रमुख विशेषताएँ:

- **एशिया का पहला TMZ:** ग्वालियर में स्थापित होने वाला यह क्षेत्र एशिया का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (Telecom Manufacturing Zone) होगा, जिसे श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी (SADA) में विकसित किया जा रहा है।
- **वित्तीय पोषण (चरण-I):** केंद्र सरकार द्वारा चरण-I के लिए ₹493 करोड़ की 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- **विशेष प्रयोजन वाहन (SPV):** इसके संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) गठित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की 51% और दूरसंचार विभाग (DoT) की 49% इक्विटी हिस्सेदारी है।

दुनिया के सबसे ऊंचे फूलों के खेत (लद्दाख)

चर्चा में क्यों?

सितंबर 2026 में लद्दाख के लेह जिले में चोगलम्सर और स्टकना में दुनिया के सबसे ऊंचे फूलों के खेतों का उद्घाटन किया गया है। ये खेत लगभग 10,600 फीट (3,265 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित हैं।

मुख्य बिंदु:

- **परियोजना क्षेत्र और विस्तार:** यह परियोजना लगभग 40 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 25 लाख से अधिक उच्च मूल्य वाले सजावटी फूल (लगभग 24 लाख लिलियम और एक लाख ग्लैडियोलस) शामिल हैं।
- **स्थल और प्रजातियाँ:** चोगलम्सर और स्टकना इस परियोजना के दो मुख्य स्थल हैं, जहाँ लिलीयम, ग्लैडियोलस और ट्यूलिप जैसे कंदयुक्त (Bulbous) फूलों की खेती की जा रही है।
- **आजीविका और प्रशिक्षण:** किसानों की सहभागिता के लिए इसे स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और सहकारी समितियों से जोड़ा गया है। चोगलम्सर स्थल को किसानों और युवाओं को पुष्पकृषि (Floriculture) में प्रशिक्षित करने के लिए एक 'मॉडल पुष्पकृषि केंद्र' के रूप में विकसित किया गया है।

- **वनस्पति विज्ञान से जुड़े तथ्य:**
  - **लिलियम:** यह 'लिलियासी' कुल का पुष्पीय पौधा है।
  - **ग्लैडियोलस:** यह 'इरिडेसी' कुल से संबंधित है, जिसका व्यापक रूप से 'कटे हुए फूल' के रूप में वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है।

स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान

चर्चा में क्यों?

"स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत" थीम के साथ स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2026 तक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ब्रह्माकुमारीज़ के सहयोग से 'स्वच्छता से सभ्यता' विशेष जागरूकता सत्र का भी आयोजन किया गया है।



स्वच्छता ही सेवा के बारे में

- **परिचय:** स्वच्छ भारत दिवस (2 अक्टूबर) से पहले आयोजित स्वच्छता अभियान के रूप में स्वच्छता ही सेवा वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष मनाई जाती है ।
- **उद्देश्य:** इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के व्यापक जन भागीदारी दृष्टिकोण के अंतर्गत स्वच्छता में स्वैच्छिक नागरिक भागीदारी और सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है

स्वच्छता ही सेवा के 5 स्तंभ:

- **स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (CTUs) का रूपांतरण:** उपेक्षित कचरा स्थलों और कठिनाई से साफ किए जाने वाले स्थानों का सौंदर्यीकरण और सतत रखरखाव करना।
- **शौचालयों का FACES मापदंड:** सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का मूल्यांकन FACES (Functional, Accessible, Clean, Eco-friendly, Safe) मानदंडों के आधार पर किया जा रहा है।
- **स्वच्छ पाठशाला:** विद्यार्थियों और युवाओं में दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन लाने तथा कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए 'स्वच्छता ज्ञान यात्रा' का आयोजन करना।
- **सफाईमित्र सुरक्षा सेवा एवं सम्मान शिविर:** स्वच्छता कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा उपकरणों पर विशेष ध्यान देना।
- **स्वच्छता के लिए जन भागीदारी:** नागरिकों को दैनिक स्वच्छता के प्रति प्रेरित करना, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026, चार-स्तरीय स्रोत पृथक्करण और "स्वच्छ पर्व, हरित पर्व" की अवधारणा शामिल है।

अतिरिक्त जानकारी:

- **स्वच्छ भारत मिशन (SBM):** इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, जिसके प्रतीक चिन्ह (लोगो) में महात्मा गांधी के चश्मे को दर्शाया गया है। इसके दो प्रमुख घटक SBM-ग्रामीण और SBM-शहरी हैं।
- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026:** यह अभियान नए नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने और अपशिष्ट प्रबंधन जिम्मेदारियों को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- **स्वच्छता से समृद्धि: यह कम करें,** पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें (3R दृष्टिकोण) के माध्यम से स्वच्छता को चक्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ता है।

इंडिया एनर्जी वीक 2027

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से कोलकाता को इंडिया एनर्जी वीक 2027 का मेजबान शहर घोषित किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- **आयोजन तिथि और स्थल:** यह सम्मेलन 28 से 31 जनवरी 2027 तक न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है जब यह आयोजन पूर्वी भारत में हो रहा है।
- **थीम:** IEW 2027 की थीम "Unlocking Innovation. Securing Energy. Shaping Tomorrow." (नवाचार को अनलॉक करना, ऊर्जा सुरक्षित करना, भविष्य को आकार देना) है।
- **पैमाने और भागीदारी:** यह वर्ष का पहला प्रमुख वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन होगा, जिसमें 75,000 से अधिक ऊर्जा पेशेवर, 700+ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक और 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- **आयोजक:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री (FIPI) द्वारा किया जा रहा है।

इंडिया एनर्जी वीक के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** भारत ऊर्जा सप्ताह (IEW) की शुरुआत बेंगलुरु में वर्ष 2023 में हुई थी (चौथा संस्करण गोवा में 2026 में आयोजित किया गया था)।
- **मुख्य फोकस:** यह मंच तेल और गैस, एलएनजी, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन, जैव ईंधन, डिजिटलीकरण और एआई (AI) जैसे क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

पारादीप सहित चार पत्तनों को 'मेगा पोर्ट' का दर्जा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 25 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार ने भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 की धारा 73 के तहत देश के चार प्रमुख पत्तनों को आधिकारिक तौर पर 'मेगा पोर्ट' का दर्जा दिया है।

चार मेगा पोर्ट:

1. पारादीप पत्तन (ओडिशा)
2. दीनदयाल पत्तन (कांडला) (गुजरात)।
3. जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (न्हावा शेवा) (महाराष्ट्र)।
4. मुंद्रा पत्तन (गुजरात) - यह एकमात्र गैर-प्रमुख और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित पत्तन है।

योग्यता मानदंड: किसी पत्तन को 'मेगा पोर्ट' घोषित करने के लिए पिछले वित्त वर्ष में 150 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) वार्षिक बल्क कार्गो या 7.5 मिलियन TEUs (कंटेनर ट्रैफिक) का संचालन करना अनिवार्य है।

वैधता व स्थिति: यह वर्गीकरण 5 वर्ष के लिए वैध होता है। 'मेगा पोर्ट' का दर्जा मिलने से पत्तनों के मूल वर्गीकरण में कोई बदलाव नहीं होता है।

SEMICON India 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि, द्वारका (नई दिल्ली) में SEMICON India 2026 का उद्घाटन किया। यह इस सम्मेलन का पाँचवाँ संस्करण है (पहला संस्करण 2022 में बेंगलुरु में आयोजित हुआ था)।

मुख्य बिंदु:

- **थीम:** इस वर्ष के सम्मेलन की थीम "Silicon to Systems: Building the Ecosystem" है, जो डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और नवाचार सहित संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के विकास पर केंद्रित है।
- **सेमीकंडक्टर प्रोग्राम 2.0 (2026):** सरकार द्वारा जुलाई 2026 में ₹1,27,500 करोड़ के उन्नत परिव्यय के साथ 'सेमीकंडक्टर 2.0' को मंजूरी दी गई है। इसके तहत छह राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।
- **उत्पादन की शुरुआत:** भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति अब नीतिगत योजना से आगे बढ़कर वास्तविक विनिर्माण की ओर बढ़ चुकी है, जिसमें तीन सेमीकंडक्टर सुविधाएं वाणिज्यिक उत्पादन में प्रवेश कर चुकी हैं।
- **पॉक्स सिलिका (Pax Silica) गठबंधन:** आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन और 'सिलिकॉन स्टैक' (महत्वपूर्ण खनिज, विनिर्माण, एआई बुनियादी ढांचा) को सुरक्षित करने के लिए भारत इस वैश्विक गठबंधन में शामिल हुआ है।

16वां एयरो इंडिया 2027

चर्चा में क्यों?

एशिया के सबसे बड़े एयर शो और दुनिया की अग्रणी एयरोस्पेस व रक्षा प्रदर्शनियों में से एक, एयरो इंडिया का 16वां संस्करण 8 से 12 फरवरी 2027 तक एयर फोर्स स्टेशन येलहंका, बेंगलुरु (कर्नाटक) में आयोजित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- **आयोजन स्थल और तिथि:** यह द्विवार्षिक आयोजन 8-12 फरवरी 2027 के दौरान येलहंका एयर फोर्स स्टेशन पर होगा।
- **महत्वपूर्ण मंच:** यह भारतीय और वैश्विक रक्षा व एयरोस्पेस कंपनियों को अपने उत्पादों, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को प्रदर्शित करने का एक प्रमुख मंच प्रदान करता है।
- **'मेक इन India' को बढ़ावा:** यह प्रदर्शनी स्वदेशी रक्षा विनिर्माण और एयरोस्पेस उत्पादन में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करती है तथा भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण को बल देती है।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च-स्तरीय समिति (HLCDC)

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय द्वारा मई 2026 में गठित जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च-स्तरीय समिति (HLCDC) ने हाल ही में राज्य सरकारों को एक 35-सूत्रीय प्रश्नावली भेजी है, जिसमें पिछले 15 वर्षों के व्यापक जनसांख्यिकीय आंकड़ों की मांग की गई है।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च-स्तरीय समिति के बारे में:

- **अध्यक्षता:** इस समिति के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नौलेकर हैं।
- **गठन तिथि:** 26 मई 2026 (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 की घोषणा के अनुसरण में)।
- **कार्य-परिधि (Mandate):** अवैध अप्रवासन और अन्य 'असामान्य' कारणों से उत्पन्न होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करना तथा 'जनसंख्या स्थिरीकरण' के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र की सिफारिश करना।

प्रश्नावली के प्रमुख पहलू और चिंताएँ:

- **धर्म-वार और जिला-वार डेटा:** समिति ने पिछले 15 वर्षों के जन्म पंजीकरण, स्कूल नामांकन, राशन कार्ड, वाहन पंजीकरण, संपत्ति के लेन-देन और मतदाता पंजीकरण का धर्म-वार (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी) और जिला-वार ब्यौरा मांगा है।
- **अन्य बिंदु:** इसमें आधार नामांकन में असामान्य वृद्धि, फर्जी पहचान दस्तावेज, जनजातीय समुदायों (Scheduled Tribes) के बीच धार्मिक रूपांतरण और धार्मिक संरचनाओं से जुड़े डेटा शामिल हैं।
- **प्रशासनिक चुनौतियाँ:** राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि प्रशासनिक डेटाबेस सामान्यतः कई श्रेणियों में नागरिकों को धर्म के आधार पर वर्गीकृत नहीं करते हैं, जिससे इन सवालों के जवाब देना मुश्किल हो रहा है।

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
(International Current Affairs)

81वां संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र और भारत का एजेंडा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र की उच्च-स्तरीय सामान्य बहस संपन्न हुई, जिसमें "सुधारित बहुपक्षवाद" वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व और आपूर्ति-शृंखला लचीलापन प्रमुख केंद्र बिंदु रहे।

बहस के मुख्य बिंदु:

- **थीम:** UNGA के 81वें सत्र की थीम "विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन करना: एक संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए परिणाम दे" (Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All) थी।
- **अध्यक्षता:** बांग्लादेश के खलीलुर रहमान को 81वें UNGA सत्र का अध्यक्ष चुना गया।

- **भारत का एजेंडा और प्रतिनिधित्व:**
  - विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और UNSC में सुधारों के लिए पाठ-आधारित वार्ताओं पर जोर देते हुए कहा कि 1945 में डिजाइन किया गया ढांचा 2026 में नेतृत्व नहीं कर सकता।
  - भारत ने वर्ष 2028-29 के लिए UNSC की अस्थायी सदस्यता हेतु अपनी उम्मीदवारी और 4F संकट (ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त) के समाधान की पैरवी की।
- **वैश्विक और पर्यावरणीय अपडेट:**
  - जलवायु-प्रेरित समुद्र स्तर वृद्धि से निपटने और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाया गया।
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) गवर्नेंस, साइबर अपराध संधियों और आपूर्ति-श्रृंखला वि-जोखिम पर विशेष जोर दिया गया।

तुर्किये का आर्टेमिस समझौते में शामिल होना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 31 अगस्त 2026 को तुर्किये अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 71वां देश बन गया है।

मुख्य बिंदु और घटनाक्रम:

- **हस्ताक्षर:** वाशिंगटन डी.सी. स्थित नासा (NASA) मुख्यालय में तुर्किये के उद्योग और प्रौद्योगिकी मंत्री महमद फतेह कासिर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।इसके साथ ही तुर्किये आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला पश्चिम एशिया का सातवां देश बन गया है।
- **तुर्किये की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं:** तुर्किये अपने स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रमों (जैसे- मानवरहित चंद्र मिशन AYAP-1) को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2024 में अल्पर गेज़ेरावजी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले तुर्क नागरिक बने थे।

आर्टेमिस समझौता क्या है?:

- **शुरुआत:** इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में नासा और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा की गई थी।
- **कानूनी प्रकृति:** यह कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी (Non-binding) संधि नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में जिम्मेदार गतिविधियों को संचालित करने के लिए साझा सिद्धांतों का एक स्वैच्छिक ढांचा है।
- **मूल आधार:** यह ऐतिहासिक 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के सिद्धांतों पर आधारित है।
- **प्रमुख सिद्धांत:** शांतिपूर्ण अन्वेषण, पारदर्शिता, डेटा साझा करना, आपातकालीन सहायता, अंतरिक्ष मलबे का प्रबंधन और ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण।
- **भारत की स्थिति:** भारत जून 2023 में अमेरिकी यात्रा के दौरान आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बना था।

18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 2026 का आयोजन नई दिल्ली स्थित 'भारत मंडपम' में संपन्न हुआ, जिसका समापन 'नई दिल्ली घोषणा' को अपनाने के साथ हुआ।

सम्मेलन के मुख्य बिंदु:

- **मेजबान व संस्करण:** यह भारत द्वारा आयोजित (चौथी बार, इससे पहले 2012, 2016, 2021) 18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्राजील से अध्यक्षता ग्रहण की थी।
- **थीम (विषय):** "लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" (Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability)।
- **प्रमुख पहलें व घोषणाएं:**
  - ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स और गिफ्ट सिटी रिस्क लैब की स्थापना।
  - वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVCs) एक्शन प्लान 2026–2030 और वर्ष 2027 तक 'ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज' का लक्ष्य।
  - ब्रिक्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की शुरुआत।

ब्रिक्स के बारे में:

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** ब्रिक (BRIC) समूह की स्थापना 2006 में हुई थी, जिसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में येकातेरिनबर्ग (रूस) में हुआ। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह 'ब्रिक्स' बन गया।
- **वर्तमान स्वरूप (विस्तार):** इसमें वर्तमान में 11 पूर्ण सदस्य देश शामिल हैं (जिनमें जनवरी 2024 में जुड़े मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई तथा जनवरी 2025 में शामिल इंडोनेशिया भी शामिल हैं), साथ ही 10 नए भागीदार देश जुड़े हैं।

26वाँ शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन, 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 26वीं बैठक और 'SCO Plus' बैठक का आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन के साथ ही SCO की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं।

मुख्य बिंदु और प्रमुख परिणाम:

- **मेजबान और थीम:** यह शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की अध्यक्षता में "25 Years of the SCO: Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity" थीम के तहत आयोजित किया गया।
- **भाषा सुधार:** भारत की पिछली अध्यक्षता (2022-23) के प्रस्ताव के अनुरूप, इस 26वें शिखर सम्मेलन में अंग्रेजी को रूसी और चीनी के साथ SCO की आधिकारिक और कामकाजी भाषा के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया।

- **संस्थागत विकास:** आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करने के लिए 'यूनिवर्सल सिक्योरिटी सेंटर' की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा SCO एंटी-ड्रग सेंटर के नियमों को भी अपनाया गया।
- **पाकिस्तान की अध्यक्षता:** वर्ष 2026-27 के लिए SCO की घूर्णन अध्यक्षता पाकिस्तान को सौंपी गई है, जिसने अपनी अध्यक्षता के लिए "Turning Vision into Action: Connectivity, Innovation and Shared Prosperity" थीम की घोषणा की है।
- **भारत का दृष्टिकोण:** भारतीय प्रधानमंत्री ने SCO के भविष्य के लिए '3S' (Security, Connectivity, and Opportunity) का ढांचा प्रस्तुत किया।
- **SCO की पृष्ठभूमि:** वर्ष 2001 में स्थापित इस संगठन में वर्तमान में 10 पूर्ण सदस्य देश (चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान) शामिल हैं, और इसका मुख्यालय बीजिंग (चीन) में है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) द्वारा लाहौर को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) द्वारा पाकिस्तान के लाहौर शहर को वर्ष 2026-27 के लिए 'पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी' घोषित किया गया है।

SCO की 'पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी' पहल:

यह पहल वर्ष 2022 से शुरू की गई थी। अब तक इस प्रतिष्ठित सूची में निम्नलिखित शहर शामिल किए जा चुके हैं:

- **2022–23:** वाराणसी, भारत (यह खिताब पाने वाला पहला शहर था)
- **2023–24:** अल्माटी, कजाखस्तान
- **2024–25:** क़िंगदाओ, चीन
- **2025–26:** चोलपों-अता, किर्गिस्तान
- **2026–27:** लाहौर, पाकिस्तान

योजना का उद्देश्य: SCO सदस्य देशों के बीच जन-से-जन संपर्क को बढ़ाना और घूर्णन अध्यक्षता वाले देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर उजागर करना।

लाहौर के बारे में:

- यह रावी नदी के तट पर स्थित पाकिस्तान का सांस्कृतिक हृदय है।
- प्राचीन हिंदू परंपराओं के अनुसार, इसकी स्थापना भगवान श्रीराम के पुत्र 'लव' द्वारा की गई थी, जिसके कारण प्राचीन काल में इसे 'लवपुरी' कहा जाता था।
- मुग़ल काल में यह सम्राट अकबर की राजधानी रहा। यहाँ लाहौर किला, शालीमार गार्डन, बादशाही मस्जिद जैसे यूनेस्को स्थल स्थित हैं।
- 19वीं शताब्दी में यह महाराजा रणजीत सिंह के अधीन सिख साम्राज्य की राजधानी बना।
- ब्रिटिश काल में यह उत्तर भारत का बौद्धिक केंद्र रहा। वर्ष 1929 का ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन यहीं हुआ था जहाँ 'पूर्ण स्वराज' का प्रस्ताव पारित किया गया था, तथा 1940 का 'लाहौर प्रस्ताव' भी इसी से जुड़ा है।

कार्डिफ समझौता 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 14 सितंबर 2026 को यूनाइटेड किंगडम (UK) के अंतर्गत आने वाले तीन क्षेत्रों—स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड—के क्षेत्रीय राजनीतिक नेताओं ने वेल्स की राजधानी कार्डिफ में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे 'कार्डिफ समझौता' कहा जा रहा है।

मुख्य बिंदु और हस्ताक्षरकर्ता:

- **प्रमुख नेता:** स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्वेनी, वेल्स के प्रथम मंत्री रून एपी इओरवेर्थ, उत्तरी आयरलैंड की प्रथम मंत्री मिशेल ओ'नील और सिन फेन की अध्यक्ष मैरी लू मैकडॉनल्ड इस समझौते में शामिल हुए।
- **शामिल दल:** इसमें स्कॉटिश नेशनल पार्टी (SNP), प्लेड कम्री और सिन फेन जैसे प्रमुख क्षेत्रीय दल शामिल हैं, जो ब्रिटेन से आज़ादी या अधिक स्वायत्तता के पक्षधर हैं।
- **मुख्य मांगें:**
  - यूके की सत्ता-हस्तांतरण व्यवस्था के भीतर संवैधानिक परिवर्तन की मांग।
  - तीनों क्षेत्रों के नागरिकों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की पुष्टि।
  - यह तर्क दिया गया कि वेस्टमिंस्टर (UK संसद) को क्षेत्रीय लोकतांत्रिक जनादेश को रोकने का अधिकार नहीं है।

यह घटना यूके की उस राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाती है जहाँ स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को अलग-अलग स्तर पर स्वायत्तता दी गई है, लेकिन वेस्टमिंस्टर संसद की सर्वोच्चता के कारण क्षेत्रीय तनाव बने रहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र (UN) का "Correct the Map" प्रस्ताव और नया विश्व मानचित्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अफ्रीकी संघ समर्थित और टोगो द्वारा प्रायोजित "Correct the Map" प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित कर दिया गया है। इसके तहत पारंपरिक मर्केटर प्रोजेक्शन से हटकर समान-क्षेत्र वैश्विक प्रतिनिधित्व वाले नए मानचित्र को अपनाया गया है।

मुख्य बिंदु और प्रस्ताव की विशेषताएँ:

- **मतदान की स्थिति:** यह प्रस्ताव 164 मतों के भारी समर्थन से पारित हुआ (भारत ने भी इसके पक्ष में मतदान किया), जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके खिलाफ (1 वोट) मतदान किया और 6 देशों ने भाग नहीं लिया।
- **मर्केटर बनाम इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन:**
  - **मर्केटर प्रोजेक्शन (1569):** यह भूमध्य रेखा से दूर स्थित भूमि के आकार को विकृत करता था (जैसे- ग्रीष्मकाल या यूरोप को अफ्रीका की तुलना में बहुत बड़ा दिखाना), जिसमें पश्चिमी-केंद्रित पूर्वाग्रह था।
  - **इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन (2018):** यह एक समान-क्षेत्र वाला छद्म-बेलनाकार प्रोजेक्शन है, जो महाद्वीपों और देशों (विशेषकर ग्लोबल साउथ और अफ्रीका) के सही सापेक्ष आकारों को सुरक्षित रखता है।

- **भारत की स्थिति और विवाद:** भारत ने वैश्विक प्रतिनिधित्व और 'Equal-Area' सिद्धांत के समर्थन में इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान जारी किए गए कुछ मानचित्रों में भारत की सीमाओं (जैसे- अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन) के चित्रण को लेकर कूटनीतिक चिंताएं और आपत्तियां भी सामने आईं, जिस पर भारत ने स्पष्ट किया कि संप्रभु क्षेत्र केवल भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दर्शाए जाने चाहिए।
- **प्रस्ताव की प्रकृति:** यह प्रस्ताव गैर-बाध्यकारी (Non-binding) है, जिसका अर्थ है कि देश, शैक्षणिक संस्थान या डिजिटल प्लेटफॉर्म पारंपरिक मानचित्रों को छोड़ने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं।

ट्रम्प जलडमरूमध्य और ईरान-अमेरिका भू-राजनीतिक तनाव

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा सोशल मीडिया पर होरमुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की एक तस्वीर साझा करते हुए इसे "Trump Strait" नाम दिए जाने और ईरान द्वारा इस जलमार्ग को लेकर रखे गए नए कूटनीतिक प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद यह सामरिक क्षेत्र अत्यधिक चर्चा में है।

मुख्य बिंदु:

- **भौगोलिक स्थिति:** यह जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान (मुसंदम प्रायद्वीप) तथा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) स्थित हैं।
- **रणनीतिक महत्व:** यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारा है, जिससे वैश्विक पेट्रोलियम और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का लगभग 20% से 25% हिस्सा गुजरता है।
- **ईरान का प्रस्ताव और गतिरोध:** ईरान ने शर्त रखी थी कि यदि अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी हटाता है, तेल प्रतिबंधों में छूट देता है और लेबनान में युद्ध-विराम का पालन करता है, तो वह इस जलमार्ग को खोल देगा, जिसे अमेरिकी प्रशासन ने खारिज कर दिया है।

थाईलैंड का क्षमादान कानून 2026

चर्चा में क्यों?

थाईलैंड की सरकार (प्रधान मंत्री अनुतिन चार्नविराकुल के नेतृत्व में) द्वारा राजनीतिक सुलह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया 'शांतिपूर्ण समाज प्रोत्साहन अधिनियम' आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है।

मुख्य प्रावधान और विशेषताएँ:

- **समयावधि:** यह अधिनियम 1 जनवरी 2005 से 16 जुलाई 2025 के बीच राजनीतिक रूप से प्रेरित संघर्षों, विरोध प्रदर्शनों या अभिव्यक्तियों के कारण आरोपित या दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को माफी प्रदान करता है।
- **पात्रता व दायरे में शामिल अपराध:** इसके तहत राजद्रोह, विद्रोह, साइबर अपराध और आपातकालीन उल्लंघनों सहित 40 से अधिक श्रेणियों के अपराधों को शामिल किया गया है।
- **किन्हें छूट नहीं?:** भ्रष्टाचार, गंभीर चोट, हत्या और सबसे महत्वपूर्ण 'लेसे माजेस्टे' (राजशाही के अपमान से संबंधित कड़ा कानून / धारा 112) के मामलों को इस माफी से पूरी तरह बाहर रखा गया है।
- **समिति का गठन:** मामलों की समीक्षा करने और पात्रता तय करने के लिए प्रधानमंत्री या उनके डिप्टी के नेतृत्व में एक 'शांतिपूर्ण समाज प्रोत्साहन समिति' का गठन किया जाएगा।

आलोचना और कमियां:

- **धारा 112 का अपवर्जन:** मानवाधिकार संगठनों ने इसकी आलोचना की है कि इसमें राजशाही विरोधी अपमान (Article 112) के आरोपियों और यहां तक कि नाबालिगों को भी कोई राहत नहीं दी गई है।
- आलोचकों का मानना है कि यह राजनीतिक सुलह को "चुनिंदा और सशर्त" बनाता है, जो असंतोष को दबाने वाले संस्थागत दण्ड से मुक्ति को बढ़ावा देता है।

लाभ: इसके तहत 2006 के तख्तापलट के बाद से राजनीतिक मामलों में फंसे हजारों नागरिकों के आपराधिक रिकॉर्ड साफ किए जा सकेंगे और लंबित मामलों को बंद किया जा सकेगा।

बाल्टिक वे और गांधीवादी अहिंसा का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बाल्टिक देशों (लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया) में ऐतिहासिक 'बाल्टिक वे' की 37वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह 1989 की वह ऐतिहासिक मानव श्रृंखला थी, जो सोवियत शासन से स्वतंत्रता की मांग और गांधीवादी अहिंसक संघर्ष से प्रेरित 'सिंगिंग रिवोल्यूशन' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी।

मुख्य बिंदु और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- **घटना:** 23 अगस्त 1989 को, 1939 की 'मोलोटोव-रिबेंट्रोप पैक्ट' की 50वीं वर्षगांठ पर, लगभग 20 लाख लोगों ने ताल्लिन से रीगा होते हुए विनियस तक 675 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई थी।
- **गांधीवादी प्रभाव:** बाल्टिक राष्ट्रों के स्वतंत्रता सेनानियों ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह, अहिंसा, सविनय अवज्ञा और असहयोग के सिद्धांतों से प्रेरणा ली थी। नागरिकों को प्रशिक्षित करने के लिए रिचर्ड एटनबरो की फिल्म 'गांधी' का प्रसारण भी किया गया था।
- **वैश्विक मान्यता:** इस ऐतिहासिक आंदोलन को UNESCO के 'मेमोरी ऑफ़ द वर्ल्ड रजिस्टर' और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है।

अतिरिक्त जानकारी:

- **बाल्टिक देश:** यूरोप के उत्तर-पूर्व में स्थित तीन देश—एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया—जो बाल्टिक सागर की सीमा से लगे हैं, उन्हें 'बाल्टिक देश' कहा जाता है।
- **भारत के साथ संबंध:** भारत और बाल्टिक देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, जैसे गांधी जी के सहयोगी हेरमन कल्लेनबच का लिथुआनियाई मूल का होना।

गंगा जल साझाकरण संधि और नवीनीकरण का मुद्दा

चर्चा में क्यों?

दिसंबर 2026 में समाप्त होने जा रही भारत-बांग्लादेश की 30 वर्षीय गंगा जल साझाकरण संधि के नवीनीकरण और संशोधन को लेकर तकनीकी स्तर पर बातचीत जारी है।

पृष्ठभूमि :

- **मूल समझौता:** यह संधि मूल रूप से 1996 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के पहले कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षरित की गई थी, जो दिसंबर 2026 में समाप्त होने जा रही है।
- **उद्देश्य:** इस संधि को 1975 में फरक्का बैराज के निर्माण के बाद दोनों देशों के बीच जल अधिकारों के विवाद को सुलझाने और प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 मई तक सूखे के मौसम में फरक्का बैराज पर गंगा नदी के पानी का बँटवारा करने के लिए डिजाइन किया गया था।
- **हुगली नदी का नौवहन:** बैराज का मुख्य उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता को बनाए रखने के लिए गंगा के पानी को हुगली नदी की ओर मोड़ना था।

समझौते के मुख्य बिंदु:

- **संधि का स्वरूप:** वर्तमान व्यवस्था के तहत मार्च से मई के दौरान दोनों देशों को बारी-बारी से 35,000 क्यूसेक पानी मिलता है।
- **बांग्लादेश की मांग:** अंतरिम सरकार सूखे के दिनों में न्यूनतम पानी (जैसे 40,000 क्यूसेक) की निश्चितता के लिए 'गारंटी क्लॉज' और मानसून के दौरान बाढ़ नियंत्रण चाहती है।
- **भारत का रुख:** भारत घरेलू राज्यों (पश्चिम बंगाल और बिहार) की आवश्यकताओं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए 10 से 15 साल की छोटी अवधि के समझौते पर विचार कर रहा है।

यमन के हाउती विद्रोहियों का बढ़ता प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों ने यमन के पूरे लाल सागर तट और बाब अल-मदब जलडमरूमध्य सहित रणनीतिक द्वीपों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति मार्ग पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

नवीनतम घटनाक्रम:

- **भौगोलिक नियंत्रण:** हाउतियों ने बाब अल-मदब जलडमरूमध्य (जो लाल सागर और स्वेज नहर का दक्षिणी द्वार है), मयुन द्वीप तथा हनीश द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया है।
- **सैन्य क्षमता:** ईरान के सहयोग से हाउतियों के पास उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन और एंटी-शिप मिसाइलें हैं, जिनकी पहुंच खाड़ी देशों और इजरायल तक है।
- **ऊर्जा संकट:** हाउती हमलों के कारण सऊदी अरब को एक प्रमुख तेल पाइपलाइन बंद करनी पड़ी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

हूती कौन हैं और उनकी पृष्ठभूमि:

- **हूती (आधिकारिक नाम:** 'अंसार अल्लाह') यमन के उत्तर-पश्चिमी भाग का एक जैदी शिया उग्रवादी व राजनीतिक समूह है।
- इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुसैन बदरेद्दीन अल-हूती द्वारा यमन में सऊदी प्रभाव के विरोध में एक धार्मिक-सामाजिक आंदोलन के रूप में हुई थी।
- इन्हें ईरान का मजबूत समर्थन प्राप्त है, और यह लेबनान के हिजबुल्लाह तथा गाजा के हमास की तरह ईरान समर्थित 'एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' का एक प्रमुख हिस्सा हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

- ✓ अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया: लाल सागर में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में 'ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन' चलाया जा रहा है। भारत ने भी पूर्व में यमन संकट के दौरान नागरिकों को निकालने के लिए 'ऑपरेशन राहत' चलाया था।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ऐतिहासिक श्रीलंका यात्रा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 8 से 10 सितंबर, 2026 तक भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए श्रीलंका की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा की।

यात्रा के मुख्य बिंदु:

- **ऐतिहासिक यात्रा:** यह पिछले 38 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली श्रीलंका यात्रा है (इससे पहले 1988 में के.सी. पंत ने दौरा किया था)।
- **रक्षा समझौते:** इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को गहरा करने हेतु तीन समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए।
- **रणनीतिक दृष्टिकोण:** यह दौरा भारत की 'Neighbourhood First' नीति और 'MAHASAGAR' विज़न के तहत आपसी सुरक्षा एवं क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित था।
- **INS उदयगिरि का आगमन:** यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित स्टेल्थ गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट 'INS उदयगिरि' कोलंबो बंदरगाह पहुँचा, जहाँ दोनों नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण व ज्ञान साझा किया गया।

अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच राजनयिक संबंध समाप्त

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 10 सितंबर 2026 को अल्जीरिया ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पर "उकसावे वाले और शत्रुतापूर्ण" कृत्यों का आरोप लगाते हुए उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है।

कूटनीतिक तनाव के मुख्य बिंदु:

- **राजदूत का निष्कासन:** अल्जीरिया ने यूएई के राजदूत को तलब कर 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है।
- **विवाद के प्रमुख कारण:**
  - **पश्चिमी सहारा विवाद:** यूएई मोरक्को की संप्रभुता का समर्थन करता है, जबकि अल्जीरिया 'पोलिसारियो फ्रंट' (स्वतंत्र राज्य की मांग करने वाले समूह) का समर्थन करता है।
  - **साहिल क्षेत्र व हस्तक्षेप:** साहिल क्षेत्र में यूएई के बढ़ते प्रभाव और अल्जीरियाई आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोप।
  - **अलगाववादी समर्थन:** यूएई द्वारा प्रतिबंधित अलगाववादी 'एमएके' (MAK) आंदोलन को परोक्ष समर्थन देना।
  - **अब्राहम समझौता:** यूएई द्वारा इ जरायल के साथ संबंध सामान्य करना, जिसका अल्जीरिया कड़ा विरोध करता है।

प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र

- **अल्जीरिया:** उत्तरी अफ्रीका का एक देश (राजधानी: अल्जीयर्स), जो अरब लीग और अफ्रीकी संघ का सदस्य है।
- **यूएई (संयुक्त अरब अमीरात):** पश्चिम एशिया (खाड़ी क्षेत्र) का देश (राजधानी: अबू धाबी), जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) और अरब लीग का सदस्य है।
- **साहेल:** सहारा रेगिस्तान के ठीक दक्षिण में स्थित भौगोलिक बेल्ट जो अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैली है (इसमें माली, नाइजर, चाड, सूडान आदि शामिल हैं)।

मक्का संयुक्त रक्षा समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका-ईरान संघर्ष के बाद का सबसे बड़ा क्षेत्रीय गठबंधन माना जा रहा है।

समझौते के प्रावधान:

- **हस्ताक्षरकर्ता:** इस त्रिपक्षीय समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
- **सामूहिक सुरक्षा (Collective Defence):** इस समझौते का मुख्य आधार नाटो के 'आर्टिकल 5' की तर्ज पर है, जिसके तहत इनमें से किसी भी एक देश पर होने वाला सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा।
- **रणनीतिक क्षमताएँ:** यह समझौता सऊदी अरब की आर्थिक पूंजी, तुर्किये की नाटो-मानक सैन्य तकनीक व ड्रोन निर्माण (जैसे Bayraktar), तथा पाकिस्तान की सैन्य जनशक्ति व परमाणु अनुभव का एक अनूठा संयोजन है।

इस समझौते से पश्चिम एशिया में रणनीतिक संतुलन जटिल हो सकता है, विशेषकर भारत-पाक संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, जिससे भारत की 'बहु-संरेखण' (Multi-alignment) नीति की आवश्यकता और बढ़ गई है।

भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में (सितंबर 2026 में) नई दिल्ली में आयोजित 19वें भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक (JCM) के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा और सैन्य उपकरणों के सह-उत्पादन को और अधिक सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की है।

मुख्य बिंदु और कूटनीतिक आयाम:

- **रणनीतिक साझेदारी का उन्नयन:** दोनों देशों के संबंधों का सफर 2003 की साझेदारी से शुरू होकर 2007 में रणनीतिक साझेदारी, 2016 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) और हाल ही में 'उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Enhanced Comprehensive Strategic Partnership) तक पहुँचा है।
- **बढ़ता सैन्य सहयोग:** भारत द्वारा वियतनाम को INS कृपाण का उपहार, उच्च गति गश्त नौकाओं की आपूर्ति तथा तटीय रक्षा के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिम क्रूज मिसाइल प्रणाली के निर्यात संबंधी समझौते किए गए हैं।
- **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग:** दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था, 1982 के UNCLOS के तहत दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता और 'महासभा' (MAHASAGAR) विज़न के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

वियतनाम भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का एक केंद्रीय और अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सितंबर 2026 में दोनों देशों द्वारा घरेलू विधायी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, बहुप्रतीक्षित भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने जा रहा है।

समझौते के प्रावधान:

- **शुल्क मुक्त पहुँच:** इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड ने सभी भारतीय निर्यातों (100% टैरिफ लाइनों) पर शुल्क को पूरी तरह से समाप्त करने पर ऐतिहासिक सहमति दी है।
- **संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण:** भारत ने अपनी घरेलू आजीविका की रक्षा करते हुए डेयरी क्षेत्र को इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा है तथा लगभग 30% आयात लाइनों को शुल्क रियायतों से सुरक्षित रखा है।
- **निर्यात लाभ:** इससे वस्त्र, रत्न व आभूषण, और पूंजीगत वस्तुएं (फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी व ऑटो पार्ट्स) जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को भारी बढ़ावा मिलेगा।
- **निवेश और श्रम गतिशीलता:** इसके तहत न्यूजीलैंड द्वारा अगले 15 वर्षों में भारत में 20 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है तथा कुशल श्रमिकों और छात्रों के लिए वीजा नियमों में अनुकूल प्रावधान किए गए हैं।

भारत और न्यूजीलैंड संबंध:

- **बाजार:** न्यूजीलैंड, ओशिनिया क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- **व्यापार की मात्रा:** दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय माल व्यापार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 49 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है।
- **सकारात्मक व्यापार संतुलन:** इस द्विपक्षीय व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत है, क्योंकि भारत न्यूजीलैंड से आयात की तुलना में वहाँ अधिक वस्तुओं का निर्यात करता है।
- **प्रवासी समुदाय:** लगभग 300,000 सदस्यों वाला भारतीय प्रवासी समुदाय (जो न्यूजीलैंड की कुल आबादी का लगभग 5 प्रतिशत है) दोनों राष्ट्रों के मध्य एक सशक्त सांस्कृतिक और आर्थिक पुल की भूमिका निभा रहा है।

कनाडा-EU संबंधों को नई दिशा देने की तैयारी, 'सहयोगी सदस्यता' का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय आयोग द्वारा कनाडा को यूरोपीय संघ (EU) का पहला 'एसोसिएट मेंबर' (सहयोगी सदस्य) बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे अमेरिकी प्रशासन (ट्रंप 2.0) की व्यापारिक नीतियों और शुल्कों के खिलाफ एक रणनीतिक बचाव के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्य विशेषताएँ और कूटनीतिक निहितार्थ:

- **एक नई सदस्यता श्रेणी:** वर्तमान में यूरोपीय संघ की संधियों (EU Treaties) के तहत 'एसोसिएट मेंबरशिप' (सहयोगी सदस्यता) का कोई कानूनी या औपचारिक ढांचा मौजूद नहीं है।
- **पूर्ण सदस्यता से भिन्न:** कनाडा यूरोपीय संघ का पूर्ण सदस्य नहीं बन रहा है। यूरोपीय संघ की संधि का अनुच्छेद 49 केवल भौगोलिक रूप से यूरोपीय देशों को ही पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।
- **अधिकारों की सीमा:** एक सहयोगी सदस्य के रूप में कनाडा को यूरोपीय संघ में मतदान का अधिकार (Voting Rights), यूरोपीय नागरिकता या मुक्त आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
- **मंजूरी की आवश्यकता:** इस पहल को लागू करने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों की सर्वसम्मति और विधायी मंजूरी आवश्यक होगी।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

इस पहल को व्यापार से आगे बढ़कर एक "भविष्य के गठबंधन" (Alliance for the Future) के रूप में देखा जा रहा है:

1. **रणनीतिक खनिज और ऊर्जा:** लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना और आर्कटिक के माध्यम से व्यापार बढ़ाना।
2. **रक्षा औद्योगिक आधार:** दोनों पक्ष अपने रक्षा उद्योगों को एकीकृत करेंगे। गौरतलब है कि कनाडा फरवरी 2026 में ही यूरोपीय संघ के €150 बिलियन के SAFE इंस्ट्रूमेंट (सैन्य खरीद अनुबंध) में शामिल होने वाला पहला गैर-यूरोपीय देश बना था।
3. **उन्नत तकनीक:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा लचीलेपन पर एक 'टेक अलायंस' का निर्माण।
4. **अनुसंधान और नवाचार:** कनाडा पहले से ही यूरोपीय संघ के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम 'होराइजन यूरोप' के पिलर-II का एक सक्रिय भागीदार देश है।

कोसोवो के पूर्व राष्ट्रपति हाशिम थाची को युद्ध अपराधों में सजा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सितंबर 2026 में द हेग स्थित यूरोपीय संघ समर्थित एक विशेष न्यायाधिकरण ने कोसोवो के पूर्व राष्ट्रपति हाशिम थाची को 1990 के दशक के कोसोवो युद्ध के दौरान युद्ध अपराधों के लिए 25 साल की जेल की सजा सुनाई है।

मुख्य बिंदु और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- **केएलए (KLA) की भूमिका:** हाशिम थाची 1990 के दशक में 'कोसोवो लिबरेशन आर्मी' (KLA) के एक वरिष्ठ कमांडेंट थे, जो यूगोस्लाविया और सर्बिया से कोसोवो की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली एक उग्रवादी जातीय अल्बानियाई सेना थी।
- **युद्ध और मानवाधिकार उल्लंघन:** 1998-1999 के कोसोवो युद्ध के दौरान केएलए पर हत्या, मनमाने ढंग से हिरासत में लेने, अवैध गिरफ्तारी और यातना जैसे गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं।
- **मार्ती रिपोर्ट (2010):** स्विस राजनेता डिक मार्ती द्वारा तैयार की गई 2010 की 'मार्ती रिपोर्ट' में यह आरोप लगाया गया था कि केएलए ने कई सर्ब नागरिकों को गुप्त हिरासत केंद्रों में रखा और उनके अंगों की अवैध तस्करी की, जिससे इस स्वतंत्रता आंदोलन की छवि पर गंभीर प्रभाव पड़ा था।
- **फैसला:** द हेग स्थित विशेष अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि थाची ने इन अपराधों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उनके साथ तीन अन्य पूर्व केएलए कमांडरों को भी सजा सुनाई गई है।

ध्यातव्य है की वर्ष 2008 में कोसोवो ने सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जिसे अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने मान्यता दी है, परंतु भारत और सर्बिया इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं।

फॉकलैंड द्वीप समूह विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच संप्रभुता के दावों और द्वीप के पास अपतटीय तेल अन्वेषण (जैसे 'सी लायन' परियोजना) गतिविधियों को लेकर फॉकलैंड द्वीप समूह विवाद एक बार फिर गहरा गया है।

विवाद के कारण:

- **भौगोलिक स्थिति:** फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, जो अर्जेंटीना के दक्षिण-पूर्वी तट से लगभग 480 किमी दूर स्थित है। इसे अर्जेंटीना में 'लास माल्विनास' कहा जाता है।
- **राजनीतिक स्थिति:** यह ब्रिटेन का एक ओवरसीज टेरिटरी है, जो आंतरिक रूप से स्व-शासी है, जबकि इसकी रक्षा और विदेश मामलों की जिम्मेदारी यूके के पास है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** वर्ष 1982 में अर्जेंटीना की सैन्य तानाशाही द्वारा इस पर आक्रमण करने के बाद दोनों देशों के बीच 10 सप्ताह का युद्ध हुआ था, जिसके बाद ब्रिटेन ने इस पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया था।

- **विवाद के मुख्य पक्ष:**
  - **अर्जेंटीना का पक्ष:** अर्जेंटीना का तर्क है कि उसने 1816 में स्वतंत्रता के बाद स्पेनिश क्राउन से इन क्षेत्रों (फॉकलैंड सहित) को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था, और 1833 का ब्रिटिश कब्जा उसकी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है।
  - **यूनाइटेड किंगडम का पक्ष:** ब्रिटेन का तर्क है कि अर्जेंटीना को ये द्वीप विरासत में नहीं मिले और वह 1833 से लगातार यहाँ प्रशासन चला रहा है। साथ ही, यूके संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 'आत्मनिर्णय के अधिकार' (Self-determination) का हवाला देता है (2013 के जनमत संग्रह में 99.8% द्वीपवासियों ने ब्रिटिश क्षेत्र बने रहने का समर्थन किया था)।
- **संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थिति:** वर्ष 1946 से फॉकलैंड द्वीप 'गैर-स्वशासित क्षेत्रों' की सूची में शामिल है, और यूएन लगातार दोनों देशों से शांतिपूर्ण वार्ता करने का आग्रह करता रहा है।

गौरतलब है की चीन संप्रभुता पर अर्जेंटीना के दावे का समर्थन करता है, जबकि संयुक्त रूप से अमेरिका पारंपरिक रूप से इस मामले में तटस्थ रुख बनाए हुए है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर अमेरिकी प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की अध्यक्ष तोमोको अकाने और वरिष्ठ अभियोजक अब्दुलाये सेये सहित कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक और वीजा प्रतिबंध लगाए गए हैं।

मुख्य बिंदु और कूटनीतिक आयाम:

- **कानूनी आधार:** यह कार्रवाई 'अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम' (IEEPA) के अंतर्गत जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14203 के माध्यम से की गई है।
- **प्रतिबंध का कारण:** यह कदम ICC द्वारा अमेरिकी कर्मियों (अफगानिस्तान युद्ध अपराध जांच) और प्रमुख अमेरिकी सहयोगियों (विशेषकर इजरायली नेतृत्व जैसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू) के खिलाफ की गई जाँच और गिरफ्तारी वारंटों के जवाब में उठाया गया है।

- **अमेरिका और भारत का रुख:** अमेरिका (जो रोम संविधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है) इस न्यायालय को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। इसी प्रकार, भारत भी ICC का सदस्य नहीं है और उसने रोम संविधि से दूरी बनाए रखी है।
- **नोट- ICC बनाम ICJ में अंतर:** ICC व्यक्तियों पर युद्ध अपराधों, नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) राज्यों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है।
- **ICC के बारे में:**
  - **स्थापना:** 2002
  - **गवर्निंग संधि:** रोम स्टैच्यूट (1998)
  - **मुख्यालय:** द हेग, नीदरलैंड्स
  - **कुल सदस्य:** 125 देश

संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा और शांति अभियानों की व्यापक समीक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने रेसोल्यूशन 2378 के तहत शांतिरक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय बहस आयोजित की है, जिसमें 'पैक्ट फॉर द फ्यूचर' के तहत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के भविष्य की व्यापक समीक्षा रिपोर्ट पर मुख्य रूप से विचार किया गया।

मुख्य बिंदु और संरचनात्मक आयाम:

- **शांति अभियानों की समीक्षा रिपोर्ट:** संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा प्रस्तुत इस व्यापक समीक्षा रिपोर्ट में एक नए भू-राजनीतिक युग के अनुरूप शांति अभियानों को फिर से व्यवस्थित करने का आह्वान किया गया है। इसमें शांति निर्माण पर विशेष जोर, मेजबान राज्यों के साथ मजबूत साझेदारी और अधिक केंद्रित शासनादेश की वकालत की गई है।
- **सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2823:** संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही तय करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से रेसोल्यूशन 2823 को अपनाया है।

- **बजटीय दबाव और तरलता संकट:** संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 5.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कम किए गए शांतिरक्षा बजट को मंजूरी दी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत कम है। अमेरिका द्वारा वित्तीय योगदान में बकाया राशि और लागत में कटौती पर निरंतर जोर दिया जा रहा है।
- **मिशनों के जनादेश में बदलाव:** केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य और पश्चिमी सहारा जैसे प्रमुख शांति अभियानों के भविष्य, रणनीतिक समीक्षा और आगामी जनादेश नवीनीकरण पर कार्य जारी है।

संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के बारे में

- **ब्लू हेलमेट:** संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को उनके हल्के नीले रंग के हेलमेट या बेरेट के कारण 'ब्लू हेलमेट' कहा जाता है।
- **शुरुआत:** इसकी शुरुआत वर्ष 1948 में हुई थी जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों को तैनात किया था।
- **नोबेल पुरस्कार:** संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को वर्ष 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

भारत-जापान रक्षा सहयोग और नया समुद्री ढांचा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान के रक्षा मंत्री शिंघिरो कोइजुमी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संस्थागत वार्ताओं से आगे बढ़कर रक्षा सहयोग को वास्तविक परिचालन क्षमता में बदलने के लिए एक नए समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौते पर सहमति व्यक्त की है।

मुख्य बिंदु

- **परिचालन ढांचा:** यह समझौता भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच व्यावहारिक सहयोग को संस्थागत रूप देता है।
- **समुद्री क्षेत्र जागरूकता:** इसके तहत दोनों देश वास्तविक समय में सूचना साझाकरण को बढ़ावा देंगे। चूंकि भारत हिंद महासागर (IOR) और जापान पूर्वी चीन सागर में महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति रखता है, यह सहयोग पूरे हिंद-प्रशांत की सुरक्षा को समेकित करेगा।
- **लॉजिस्टिक्स और पोत मरम्मत:** नए ढांचे के अंतर्गत दोनों देशों की नौसेनाएं एक-दूसरे के बंदरगाहों, रखरखाव और जहाजों की मरम्मत सुविधाओं का सीधे उपयोग कर सकेंगी।
- **SLOCs की सुरक्षा:** वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण 'समुद्री संचार लाइनों' (Sea Lines of Communication) की सुरक्षा बढ़ाने पर विशेष सहमति बनी है।
- **HADR और SAR ऑपरेशन्स:** मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) तथा खोज एवं बचाव (Search and Rescue - SAR) अभियानों में संयुक्त रूप से काम करने के लिए तंत्र तैयार किया गया है।

Result Mitra

प्रमुख द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास

अभ्यास	सेना का प्रकार	विवरण
जिमेक्स	नौसेना	दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री परिचालन तालमेल बढ़ाना।
धर्म गार्जियन	थल सेना	आतंकवाद विरोधी और संयुक्त सैन्य रणनीति पर आधारित।
वीर गार्जियन	वायु सेना	इसके आगामी संस्करणों में पहली बार जापानी लड़ाकू विमान भारत में हिस्सा लेंगे।
शिन्यू मैत्री	वायु सेना	परिवहन विमानों और मानवीय सहायता का अभ्यास।
मालाबार	बहुपक्षीय नौसेना	क्वाड (भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया) देशों का संयुक्त अभ्यास।

भारत-बेल्जियम द्विपक्षीय संबंध और रणनीतिक साझेदारी

चर्चा में क्यों?

सितंबर 2026 में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भारत की आधिकारिक यात्रा की, जिसके दौरान दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा सहयोग, हरित ऊर्जा और भू-राजनीतिक मुद्दों पर अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की है।

मुख्य बिंदु और कूटनीतिक आयाम:

- **द्विपक्षीय व्यापार और हीरा उद्योग:** भारत और बेल्जियम के बीच लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है, जिसका एक तिहाई हिस्सा हीरा उद्योग (एंटवर्प वैश्विक व्यापार केंद्र तथा मुंबई-सूरत पॉलिशिंग हब) से जुड़ा है। दोनों नेताओं ने अगले पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
- **रक्षा और सामरिक सहयोग:** रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने एक 'लेटर ऑफ इंटेंट' पर हस्ताक्षर किए हैं तथा सैन्य हार्डवेयर के सह-उत्पादन पर सहमति जताई है। इसके तहत भारत और बेल्जियम अपने-अपने यहाँ रेजिडेंट डिफेंस अताशे (Defense Attaché) भी नियुक्त करेंगे।
- **यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौता:** यह यात्रा आगामी भारत-यू यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक विविधीकरण और चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने में सहायक होगा।

बेल्जियम के बारे में :

- **भौगोलिक स्थिति:** यह उत्तर-पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है, जिसकी सीमाएं नीदरलैंड, जर्मनी, लक्ज़मबर्ग, फ्रांस और उत्तरी सागर से लगती हैं।
- **राजधानी और मुख्यालय:** ब्रुसेल्स । यह शहर यूरोपीय संघ (EU) और नाटो (NATO) का प्रमुख मुख्यालय भी है।
- **शासन प्रणाली:** यह एक संघीय संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है,जिसके वर्तमान राजा किंग फिलिप हैं।
- **आधिकारिक भाषाएं:** यहाँ तीन प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं— डच, फ्रेंच और जर्मन।
- **प्रमुख बंदरगाह:** 'एंटवर्प-ब्रुग्स' यहाँ का मुख्य बंदरगाह है, जो यूरोप के साथ व्यापार का एक बड़ा लॉजिस्टिक्स गेटवे है।



अमेरिकी रूस प्रतिबंध विधेयक और 100% तक टैरिफ का प्रावधान

चर्चा में क्यों?

'लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले शीर्ष देशों (जैसे भारत और चीन) पर 100% तक द्वितीयक टैरिफ (secondary tariffs) लगाने का अधिकार देता है।

विधेयक के मुख्य बिन्दु

- **विधेयक का नाम:** लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026
- **पारित स्थिति:** इसे अमेरिकी सीनेट (86-11 मतों से) और प्रतिनिधि सभा (262-159 मतों से) द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कानून के रूप में मंजूरी दे दी है।

- **प्रमुख प्रावधान:**
  - अमेरिकी राष्ट्रपति को यह विवेकाधीन शक्ति मिलती है कि वे रूस से ऊर्जा (तेल और गैस) आयात करने वाले शीर्ष देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकें।
  - रूस के ऊर्जा क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, और रूस द्वारा पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 'शैडो फ्लीट या टैंकरों पर शिकंजा कसना।
  - ईरान पर प्रतिबंधों को 2031 तक बढ़ाना और रूस के संप्रभु ऋण पर नए निवेश प्रतिबंधित करना।
- **भारत पर प्रभाव:**
- भारत वर्तमान में अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा रूसी कच्चे तेल से आयात करता है (जो पिछले महीनों में कुल आयात का 40% से 50% से अधिक रहा)।
- यदि यह टैरिफ लागू होता है, तो भारतीय निर्यात और ऊर्जा आयात लागत पर गंभीर आर्थिक दबाव आ सकता है।
- विधेयक में कुछ छूट का भी प्रावधान है, जैसे उन देशों के लिए जो रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को सक्रिय रूप से कम कर रहे हैं।

अमेरिका-ग्रीनलैंड सुरक्षा समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौते से जुड़ी मुख्य बातें:

- **हस्ताक्षरकर्ता:** संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड।
- **पृष्ठभूमि:** यह समझौता वर्ष 1951 के ऐतिहासिक अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौते में संशोधन और विस्तार करता है।
- **संप्रभुता:** इस समझौते से ग्रीनलैंड की संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता पर कोई असर नहीं पड़ता है; यह डेनमार्क की संप्रभुता और ग्रीनलैंड के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान करता है। अमेरिका को ग्रीनलैंड का कोई भू-भाग हस्तांतरित नहीं किया गया है।
- **सैन्य उपस्थिति का विस्तार:** अमेरिका को ग्रीनलैंड में अतिरिक्त सैन्य क्षेत्र विकसित करने और अपनी उपस्थिति बढ़ाने की अनुमति मिली है।

- **प्रमुख सैन्य ठिकाने:**
  - **पिटूफिक स्पेस बेस (Pituffik Space Base):** पहले इसे 'थुले एयर बेस' के नाम से जाना जाता था, जहाँ अमेरिका की पहले से मौजूदगी है।
  - **नए संभावित क्षेत्र:** नार्सारसस्वाग और मेस्टरस्विंग जैसे नए क्षेत्रों में अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार संभावित है।
- **गैर-नाटो देशों पर रोक:** रूस और चीन जैसे गैर-नाटो प्रतिद्वंद्वी देशों को ग्रीनलैंड में सैन्य ठिकाने बनाने या संवेदनशील निवेश करने से रोकने पर सहमति बनी है।
- **गोल्डन डोम:** इस क्षेत्र में अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली (जैसे गोल्डन डोम) की तैनाती का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- **अनंत काल अवधि:** अमेरिकी पक्ष के अनुसार इस सुरक्षा व्यवस्था को दीर्घकालिक और "Infinite Life" (बिना किसी समाप्ति तिथि) वाला माना गया है, जो भविष्य में ग्रीनलैंड के स्वतंत्र होने की स्थिति में भी प्रभावी रह सकता है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** ग्रीनलैंड एक स्वशासित डेनिश क्षेत्र है, जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अमेरिकी सैन्य अड्डे रहे हैं।

अमेरिका-चीन द्विपक्षीय व्यापार और पारस्परिक टैरिफ कटौती समझौता

चर्चा में क्यों?

सितंबर 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वाशिंगटन में आयोजित द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान $30 बिलियन (कुल $60 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार) के पारस्परिक टैरिफ कटौती समझौते पर सहमति बनी है।

समझौते के मुख्य बिंदु

- **आठ-सूत्रीय सहमति:** दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते में न केवल टैरिफ कटौती शामिल है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वार्ता और एक नए व्यापार परिषद की स्थापना भी शामिल है।
- **उत्पादों का दायरा:** समझौते के तहत दोनों पक्षों ने गैर-संवेदनशील उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया है। अमेरिका की सूची में 77 चीनी उत्पाद श्रेणियां (जैसे खिलौने, घरेलू उपकरण आदि) शामिल हैं। वहीं, चीन की सूची में 1,619 अमेरिकी वस्तुएं (मुख्य रूप से कृषि उत्पाद) शामिल हैं।

- **समय-सीमा:** दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध को रोकने के लिए पूर्व में की गई 'बुसान संधि' को बढ़ाकर 10 जनवरी 2027 तक कर दिया गया है।
- **मोस्ट-फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट:** दोनों ओर से कवर किए गए 90% से अधिक उत्पादों को घरेलू प्रक्रियाओं के अधीन मोस्ट-फेवर्ड नेशन टैरिफ ट्रीटमेंट मिलने की उम्मीद है।
- **रणनीतिक क्षेत्रों को छूट:** इस समझौते में दोनों देशों के रणनीतिक और संवेदनशील क्षेत्र—जैसे सेमीकंडक्टर (चिप्स), इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी—शामिल नहीं किए गए हैं।

अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होने से वैश्विक विनिर्माण कंपनियाँ जो चीन से विकल्प तलाश रही थीं, उनके रुख में बदलाव आ सकता है। अमेरिकी बाजार में चीनी सामानों पर टैरिफ कम होने से वे सस्ते होंगे, जिससे भारतीय निर्यातकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।

राजव्यवस्था और शासन

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और छात्र आंदोलन

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए युवा-छात्र आंदोलन और देशव्यापी प्रदर्शनों के दौरान दर्ज की गई सभी FIRs को रद्द (quash) कर दिया है। यह मामला मुख्य रूप से जुलाई 2026 के दौरान व्यापक परीक्षा पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा था।

मुख्य बिंदु और न्यायिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 142 का उपयोग:** भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशिष्ट शक्तियों का उपयोग करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेने वाले निर्दोष छात्रों पर दर्ज प्राथमिकियों को रद्द कर दिया है।
- **अपवाद (Exception):** यह राहत केवल उन युवाओं को दी गई है जिनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 2,873 ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनकी जांच खुली रहेगी।
- **मार्च की वापसी:** इस अदालती राहत के बाद CJP ने दिल्ली में 5 सितंबर 2026 को होने वाले अपने प्रस्तावित बड़े मार्च को वापस ले लिया था।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- **अनुच्छेद 142 :** यह केवल सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में "पूर्ण न्याय" (complete justice) करने के लिए आदेश या डिक्री पारित करने की अनोखी शक्ति देता है, जो उच्च न्यायालयों के पास सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है।

भारत निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया और विवाद

चर्चा में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा चुनाव सूची को "शुद्ध" करने के लिए चलाई जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रिया अपने बड़े पैमाने पर नाम काटने (Mass Deletions) और कानूनी व प्रशासनिक आपत्तियों के कारण तीव्र विवाद और न्यायिक समीक्षा के घेरे में है। पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में इसके परिणामों ने व्यापक विसंगतियों और मताधिकार से वंचित होने (Disenfranchisement) की चिंताओं को जन्म दिया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) क्या है?

- **परिभाषा:** यह एक लक्षित, समय-बद्ध घर-घर जाकर सत्यापन प्रक्रिया है, जिसे चुनाव आयोग द्वारा विशिष्ट विसंगतियों या प्रशासनिक/न्यायिक आदेशों के तहत मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए किया जाता है।
- **सामान्य बनाम गहन पुनरीक्षण:** सामान्य पुनरीक्षण (Summary Revision) एक वार्षिक और रूटीन अपडेट है, जबकि 'गहन' या 'विशेष गहन पुनरीक्षण' में विस्तृत सत्यापन और दस्तावेजों की मांग की जाती है।

मुख्य विवाद और मुद्दे:

- **बड़े पैमाने पर नाम विलोपन (Mass Deletions):** आलोचकों का तर्क है कि SIR के तहत "तार्किक विसंगतियों" (Logical Discrepancies) या "अनुपस्थित" बताकर लाखों वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं।
- **सबूत का बोझ (Burden of Proof):** नागरिकों को अपना नाम सूची में बनाए रखने के लिए पिछली पीढ़ियों के वंशावली दस्तावेज (Legacy Documents) या कड़े प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे वास्तविक मतदाताओं को भी कठिनाई हो रही है।
- **आंतरिक मतभेद:** सितंबर 2026 में चुनाव आयोग के भीतर चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू और विवेक Joshi) की ओर से SIR की प्रक्रियाओं और डिजिटल निर्णयों को लेकर आंतरिक असहमति सामने आई, जिसने इस विवाद को और बढ़ा दिया।

सर्वोच्च न्यायालय का रुख:

- **वैधता की पुष्टि:** 27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने SIR की संवैधानिक और कानूनी वैधता को बरकरार रखा और माना कि ECI को मतदाता सूची की शुद्धि के लिए सत्यापन का अधिकार है।
- **सुरक्षा उपाय:** अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी नाम को हटाने से पहले नियम 21A के तहत पूर्व नोटिस और निष्पक्ष सुनवाई जैसे सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना अनिवार्य है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न हो।

अतिरिक्त जानकारी:

- **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है।
- **कानूनी आधार:** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 ECI को विशेष संशोधन करने का अधिकार देती है।
- **मतदान का अधिकार:** भारत में मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार (RPA, 1951 की धारा 62 के तहत) और संवैधानिक अधिकार (Article 326) है, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं है।

ECINET समीक्षा और SIR प्रक्रिया में सुधार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अपने केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म 'ECINET' की समीक्षा के आदेश दिए हैं और चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत नोटिस प्राप्त मतदाताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।

ECINET और इसकी समीक्षा:

- **ECINET क्या है?** यह ECI का केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे मतदाता सेवाओं, मतदाता सूची (Electoral Roll) प्रबंधन और फील्ड रिपोर्टिंग के लिए 40 से अधिक पुराने ऐप्स/पोर्टलों को एकीकृत करके बनाया गया है।
- **समीक्षा समिति:** सॉफ्टवेयर के वैधानिक अधिनियमों और नियमों के अनुपालन की जाँच के लिए एक वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें IIT/IIIT का एक स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल है।

SIR प्रक्रिया और सुनवाई के नए नियम:

- **दस्तावेजों का घर-घर संग्रह:** SIR प्रक्रिया के तहत "अमेप्ड" (Unmapped) या "तार्किक विसंगतियों" (Logical Discrepancies) के रूप में चिह्नित मतदाताओं को अब व्यक्तिगत रूप से ERO/AERO कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- **बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की भूमिका:** BLO अब स्वयं मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ECINET पर अपलोड करेंगे।
- **सुनवाई:** अपवादस्वरूप मामलों में ही सुनवाई की जाएगी, जिसे प्राथमिकता से ऑनलाइन या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

फॉर्म 6 में बदलाव और CEC से जुड़ा विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर फॉर्म 6 में "एकतरफा और अवैध" बदलाव करके कानून तथा संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने की मांग की गई है।

मुख्य विवाद और फॉर्म 6 से जुड़े बिंदु:

- **नया अनिवार्य घोषणा पत्र:** SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन फॉर्म 6 में एक नया खंड जोड़ा गया है, जिसमें नए/युवा मतदाताओं को यह बताना अनिवार्य किया गया है कि क्या उनके माता-पिता या दादा-दादी पिछले SIR में शामिल थे या नहीं।
- **कानूनी ओवररीच का आरोप:** आलोचकों का तर्क है कि चुनाव आयोग (ECI) के पास फॉर्म 6 में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 'निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960' के अनुसार वैधानिक फॉर्म में बदलाव का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, जिसे संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए।
- **प्रथम बार के मतदाताओं पर प्रभाव:** इस अतिरिक्त आवश्यकता के कारण Gen Z (युवा और पहली बार के मतदाताओं) के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना कठिन हो गया है।

फॉर्म 6 क्या है?

- यह 'निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960' के तहत नए मतदाता के रूप में पंजीकरण और नाम शामिल करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक वैधानिक फॉर्म है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की हटाने की प्रक्रिया और ECI

चर्चा में क्यों?

विपक्ष द्वारा संसद के दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक प्रस्ताव (Motion) लाने की तैयारी की जा रही है। यह कदम चुनाव आयोग के भीतर आंतरिक असहमति और विशेष गहन संशोधन (SIR) से जुड़े विवादों के बाद सामने आया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त सम्बंधित प्रावधान:

- **संवैधानिक आधार:** संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को केवल सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया और आधार पर ही हटाया जा सकता है।
- **हटाने के आधार:** इसके लिए संविधान में "सिद्ध कदाचार या असमर्थता" का आधार होना अनिवार्य है।
- **अन्य चुनाव आयुक्तों की स्थिति:** अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, जो कि CEC की तुलना में एक अलग और निचला पैमाना है।

CEC को हटाने की प्रक्रिया:

- **नोटिस:** सांसदों द्वारा दुर्व्यवहार या असमर्थता का आरोप लगाते हुए प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है।
- **समर्थन:** लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
- **अध्यक्ष/सभापति का निर्णय:** लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
- **जांच समिति:** प्रस्ताव स्वीकार होने पर आरोपों की जाँच के लिए एक समिति गठित की जाती है।
- **संसदीय मतदान:** प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना अनिवार्य है।
- **राष्ट्रपति का आदेश:** संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति निष्कासन का आदेश जारी करते हैं। (ध्यान दें: भारत के इतिहास में आज तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है)।

अतिरिक्त जानकारी:

- **संरचना:** चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, जिसमें वर्तमान में एक CEC और दो अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं।
- **नियुक्ति:** राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति (प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री, और लोकसभा में विपक्ष का नेता) की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023' के तहत होती है।
- **कार्यकाल:** 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)। इनका दर्जा और वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है।

फॉर्म 26 और चुनावी उम्मीदवारी से जुड़े खुलासे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराज की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए उनके नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर (RO) द्वारा अस्वीकार किए जाने को चुनौती दी थी। RO का तर्क था कि नटराज ने अपने फॉर्म 26 के हलफनामे में एक लंबित आपराधिक शिकायत की जानकारी नहीं दी थी।

फॉर्म 26 और वैधानिक पृष्ठभूमि:

- **फॉर्म 26 क्या है?** यह एक वैधानिक हलफनामा (Statutory Affidavit) है, जिसे संसद (लोकसभा/राज्यसभा) या राज्य विधानसभाओं के चुनावों में खड़े होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्रों के साथ अनिवार्य रूप से दाखिल करना होता है।
- **कानूनी आधार:** इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33-A और संचालन नियम, 1961 के नियम 4A के तहत अनिवार्य किया गया है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2002) के ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत 'वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का हिस्सा है।

फॉर्म 26 में मुख्य खुलासे:

- **आपराधिक मामले:** उम्मीदवारों को अपने और अपने आश्रितों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों और पूर्व दोषसिद्धियों का विवरण देना होता है।
- **वित्तीय और अन्य विवरण:** इसमें पिछले 5 वर्षों के पैन/आयकर विवरण, चल-अचल संपत्तियां, सरकारी और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋण तथा शैक्षणिक योग्यता का ब्योरा शामिल है।
- **रिक्त स्थान नहीं छोड़े जा सकते:** सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, हलफनामे में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता; ऐसा करने पर नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

- **अनुच्छेद 329(b):** यह प्रावधान चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनावी विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, जिसके तहत चुनाव संबंधी मामलों में केवल चुनाव याचिका (Election Petition) ही एकमात्र उपाय बचता है।
- **योग्यता और प्रकटीकरण:** ध्यान दें कि फॉर्म 26 केवल एक प्रकटीकरण (Disclosure) उपकरण है; केवल किसी आपराधिक मामले के लंबित होने मात्र से उम्मीदवार स्वचालित रूप से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं हो जाता, जब तक कि कानून के तहत विशेष सजा न हुई हो।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और महिला प्रतिनिधित्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिसके बाद वे शपथ ग्रहण करेंगे। इन नियुक्तियों के साथ देश की सर्वोच्च अदालत में महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है।

मुख्य नियुक्तियाँ:

इस बार जिन तीन नए न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है, वे हैं:

1. न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय) — इनके शामिल होने से अब सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत महिला जजों की कुल संख्या तीन हो गई है (अन्य दो न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति वी. मोहना हैं)।
2. न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय (डी.के. उपाध्याय) (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय)
3. न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तेलंगाना उच्च न्यायालय)

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया:

- **संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- **कोलेजियम प्रणाली:** जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश एक कोलेजियम द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) करते हैं और इसमें अदालत के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- **योग्यता (अनुच्छेद 124(3)):** सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए व्यक्ति को:
  - भारत का नागरिक होना चाहिए।
  - किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या
  - किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या
  - राष्ट्रपति की नजर में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।

जजों की संख्या और कार्यकाल:

- **स्वीकृत संख्या:** वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है।
- **कार्यकाल:** सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं।
- **नोट:** न्यायमूर्ति एम. फातिमा बीवी वर्ष 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थीं।

हल्द्वानी मंच शुद्धीकरण विवाद और अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी (रामलीला मैदान) में उनके द्वारा की गई राजनीतिक रैली के बाद मंच के "शुद्धीकरण" अनुष्ठान को "अस्पृश्यता" (Untouchability) का कृत्य करार दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा को पत्र लिखकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है।

अस्पृश्यता का संवैधानिक प्रावधान:

- **मूल पाठ:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 घोषणा करता है कि "अस्पृश्यता" का अंत कर दिया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। "अस्पृश्यता" से उपजी किसी अयोग्यता को लागू करना एक अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

- **विशेषताएं:**
  - यह अधिकार पूर्ण (Absolute) है, अर्थात इस पर कोई तार्किक प्रतिबंध लागू नहीं होता।
  - यह राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है।
  - संविधान या किसी कानून में "अस्पृश्यता" शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है; अदालतों ने इसे ऐतिहासिक रूप से जाति-आधारित सामाजिक विकलांगताओं और बहिष्कार से जोड़ा है।
- **परिभाषा:** भारतीय संविधान या किसी भी अधिनियम में "अस्पृश्यता" शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
- मैसूर उच्च न्यायालय (जयसिंह बनाम वेंकटेश मामला) के अनुसार, इसका ऐतिहासिक संदर्भ है, जिसका अर्थ किसी विशेष जाति में जन्म के कारण व्यक्तियों पर लगाई गई सामाजिक विकलाङ्गताओं/प्रतिबंधों से है न कि किसी बीमारी के सामाजिक बहिष्कार से।

- **वैधानिक तंत्र:**

अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने अनुच्छेद 35 के तहत निम्नलिखित कानून बनाए हैं:

1. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (मूल रूप से अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955): इसके तहत धार्मिक, सामाजिक या पारंपरिक आधार पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों, कुओं, मंदिरों आदि में प्रवेश से रोकना दंडनीय अपराध है।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act): इस तरह के अपमानजनक कृत्यों (जैसे किसी के आने के बाद मंच का शुद्धीकरण करना) को रोकने और दलितों के मान-सम्मान की रक्षा के लिए यह एक कड़ा कानून है, जिसके तहत मामले संज्ञेय और गैर-जमानती होते हैं।

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPPs) और उनका विनियमन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक मीडिया जांच में यह खुलासा हुआ है कि गुजरात स्थित छह पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 1,700 करोड़ रुपये का चंदा मिला है।

RUPP क्या है और इसका पंजीकरण कैसे होता है?

- **परिभाषा:** ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा 'राष्ट्रीय' या 'राज्यीय' दल के रूप में मान्यता नहीं मिली है, उन्हें RUPPs कहा जाता है।
- **कानूनी प्रावधान:** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act) की धारा 29A के तहत कोई भी संघ या व्यक्तियों का निकाय चुनाव आयोग के समक्ष राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।
- **RUPPs को मिलने वाले लाभ:**

1. आयकर अधिनियम के तहत प्राप्त चंदे पर कर छूट।
2. लोकसभा या विधानसभा आम चुनावों में लड़ने के लिए 'सामान्य प्रतीक' (Common Symbol) की सुविधा।
3. चुनाव प्रचार के लिए 20 'स्टार प्रचारकों' की अनुमति।

RUPPs से जुड़े प्रमुख मुद्दे:

- **'लेटर पैड पार्टियाँ':** 2,800+ पंजीकृत दलों में से एक-चौथाई से भी कम चुनाव लड़ते हैं।
- **डी-रजिस्ट्रेशन की शक्ति का अभाव:** सुप्रीम कोर्ट के आदेश (2002) के अनुसार ECI के पास सीधे तौर पर इनका पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं है।
- **दुरुपयोग:** काले धन को सफेद करने (Money Laundering) और कर चोरी का जोखिम।

सुझाव (Way Forward):

- ECI को पंजीकरण रद्द करने का कानूनी अधिकार दिया जाए। विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट)
- कर छूट के लिए निश्चित वोट प्रतिशत का थ्रेशोल्ड (जैसे 1% वोट) तय किया जाए।

लद्दाख के लिए प्रस्तावित 'अनुच्छेद 371(K)' और विशेष शासन मॉडल

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा लद्दाख के लिए एक अनुकूलित (Sui Generis) शासन मॉडल प्रदान करने हेतु संविधान के भाग XXI के अनुच्छेद 371 के तहत एक नया प्रावधान (अनुच्छेद 371-K) जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत इस केंद्र शासित प्रदेश (UT) को एक निर्वाचित विधायी निकाय मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुख्य बिंदु और प्रमुख विशेषताएँ:

- **संवैधानिक आधार:** संविधान के अनुच्छेद 371 और उससे जुड़े प्रावधान (371A से 371J) अभी तक 12 राज्यों को असममित संघीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसे किसी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू करना एक बड़ा संवैधानिक कदम होगा।
- **निर्वाचित विधायी निकाय:** इसके तहत प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए एक UT-स्तरीय निकाय का गठन किया जाएगा, जिसके पास भूमि, संस्कृति, भाषा, वन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर विधायी शक्तियां होंगी।
- **छठी अनुसूची बनाम अनुच्छेद 371(K):** लद्दाख के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए छठी अनुसूची (Article 244) की मांग की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के विस्तार के बजाय एक अलग, व्यापक UT-स्तरीय 'अनुच्छेद 371(K)' का विकल्प चुना है।

- **सुरक्षा और संतुलन:** यह मॉडल पूर्ण राज्य का दर्जा दिए बिना लद्दाख की संस्कृति, भूमि अधिकारों, रोजगार और पहचान की रक्षा करता है, साथ ही चीन से लगी इसकी संवेदनशील सीमा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के सामरिक हितों को भी संतुलित करता है।

अतिरिक्त जानकारी:

- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) द्वारा सुरक्षात्मक उपायों की मांग की जा रही थी।
- **वर्तमान व्यवस्था:** वर्तमान में लद्दाख में दो पर्वतीय परिषदें (लेह और कारगिल) हैं, लेकिन छठी अनुसूची के संरक्षण के अभाव में उनकी शक्तियां सीमित हैं।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) नाम और चुनाव चिह्न विवाद

चर्चा में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आंतरिक गुटबाजी और सत्ता संघर्ष के चलते तृणमूल कांग्रेस (TMC) के मूल नाम और इसके आरक्षित 'फूल और घास' (Flowers and Grass) चुनाव चिह्न को अंतरिम रूप से फ्रीज (शीतित) कर दिया है। इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

मुख्य बिंदु और अंतरिम आवंटन:

- **ममता बनर्जी गुट:** इन्हें अंतरिम रूप से "ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस" नाम और "फुटबॉल खिलाड़ी" (Football Player) चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है।
- **प्रतिद्वंद्वी गुट (ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में):** इन्हें "डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस" नाम और "लिफाफा" चुनाव चिह्न दिया गया है।
- **क्षेत्र:** ये दोनों गुट पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में आगामी अंतरिम उपचुनावों के लिए राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

कानूनी प्रावधान (Paragraph 15):

- **चुनाव चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 का पैराग्राफ 15:** यह वह कानूनी प्रावधान है जिसके तहत ECI किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल पर दावा करने वाले प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच के विवादों का फैसला करता है।
- **निर्णय का आधार:** चुनाव आयोग सांगठनिक समर्थन (पदाधिकारियों और सदस्यों का समर्थन) तथा विधानसभाओं में विधायी ताकत के आधार पर यह तय करता है कि असली पार्टी किसकी है।
- **ECI की शक्तियां:** भारत निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से जुड़े मामलों और चुनाव चिह्नों के विवादों को सुलझाने का सांविधिक अधिकार प्राप्त है।

तमिलनाडु में नवोदय विद्यालयों की स्थापना और भाषाई विवाद

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राज्य में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के निर्देश को वापस लेने की मांग की गई थी। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर हर जिले में नवोदय विद्यालयों के लिए जमीन की पहचान करे।

- **विवाद की मुख्य वजह:** तमिलनाडु भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना का विरोध करता है। राज्य का तर्क है कि यह केंद्र की त्रि-भाषा फॉर्मूला (जिसमें हिंदी शामिल है) पर आधारित है, जबकि तमिलनाडु 'तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट, 2006' के तहत सख्त द्वि-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) का पालन करता है।

- **सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:**
  - न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि "व्यक्तिगत राज्य अलग-अलग देशों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते" और तमिलनाडु को हिंदी को लेकर अपनी 'मानसिकता' में बदलाव करना चाहिए।
  - अदालत ने यह भी कहा कि भारत की शासन संरचना "संरचना में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक" (Unitary in spirit and federal in structure) है।
- **समय सीमा और संवाद:** कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह आगामी 14 दिसंबर, 2026 को अगली सुनवाई से पहले केंद्र के साथ मिलकर इस नीति और वित्त पोषण के अंतर को दूर करने पर चर्चा करे।

अतिरिक्त जानकारी:

- **संवैधानिक प्रावधान (शिक्षा):** संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'शिक्षा' समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
- **सहकारी संघवाद बनाम राज्य स्वायत्तता:** यह मामला केंद्र-राज्य संबंधों, राज्यों की विधाई संप्रभुता और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में टकराव से जुड़े संघीय ढांचे की सीमाओं को रेखांकित करता है।
- **मौलिक अधिकार और भाषा:** याचिकाकर्ताओं/राज्य का तर्क है कि भाषाई विकल्प और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा अनुच्छेद 29 और 30 के तहत सांस्कृतिक अधिकारों का हिस्सा है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार नवोदय विद्यालय ग्रामीण गरीबों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करते हैं।

तुलु भाषा को कर्नाटक में आधिकारिक भाषा का दर्जा

चर्चा में क्यों?

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में तुलु भाषा को राज्य के तटीय जिलों— दक्षिण कन्नड़ और उडुपी के लिए दूसरी अतिरिक्त प्रशासनिक भाषा का दर्जा दे दिया है। सरकार द्वारा इसके अनुवाद, प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों के लिए प्रति वर्ष ₹82 लाख आवंटित किए जाएंगे।

मुख्य बिंदु और पृष्ठभूमि:

- समिति की सिफारिशें: यह निर्णय शिक्षाविद् एम. मोहन अल्वा की अध्यक्षता में 2023 में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है, जिसे तुलु संस्कृति और भाषा के अध्ययन व आधिकारिक मान्यता के रास्ते सुझाने की जिम्मेदारी दी गई थी।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 345** : इसके तहत राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हिंदी या राज्य में प्रयुक्त किसी भी क्षेत्रीय भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में औपचारिक रूप से अपना सकता है।
  - **अनुच्छेद 347:** इसके तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि किसी राज्य की एक पर्याप्त आबादी मांग करती है, तो वे किसी भाषा को पूरे राज्य या उसके किसी विशिष्ट जिले में आधिकारिक मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं।

- **आठवीं अनुसूची की स्थिति:** तुलु भाषा वर्तमान में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के 22 मान्यता प्राप्त भाषा समूहों में शामिल नहीं है, जिसके कारण इसे अभी संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा में वैकल्पिक विषय या माध्यम के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

तुलु भाषा से जुड़े मुख्य तथ्य:

- **भाषाई वंश:** तुलु एक प्रमुख दक्षिण द्रविड़ भाषा है, जिसे तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम के साथ 'पंच-द्रविड़' भाषाओं में गिना जाता है।
- **भौगोलिक क्षेत्र ('तुलुनाडु'):** यह मुख्य रूप से कर्नाटक के तटीय जिलों (करावेली क्षेत्र) और उत्तरी केरल के कासरगोड जिले के कुछ हिस्सों में बोली जाती है।
- **लिपि और साहित्य:** इसकी अपनी प्राचीन लिपि तिगलारी/तुलु लिपि है जो मध्ययुगीन ग्रंथ लिपि से विकसित हुई है, हालांकि वर्तमान में इसे मुख्य रूप से कन्नड़ लिपि में लिखा जाता है।
- **सांस्कृतिक महत्व:** इसकी समृद्ध मौखिक परंपरा है जो स्थानीय लोककथाओं, रंगमंच (यक्षगान), अनुष्ठानों (जैसे भूता कोला) और प्राचीन महाकाव्य कविता से जुड़ी हुई है।

पूर्वोत्तर में AFSPA का विस्तार

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद, पूर्वोत्तर के तीन राज्यों—मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड—के चुनिंदा अशांत क्षेत्रों (Disturbed Areas) में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 को एक बार फिर छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।

राज्यों के अनुसार विस्तार का दायरा:

- **मणिपुर:** राज्य के अधिकांश हिस्सों में AFSPA जारी है, सिवाय पाँच घाटी जिलों के अंतर्गत आने वाले 13 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों को छोड़कर।
- **नागालैंड:** यह 9 जिलों और अन्य 5 जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू है।
- **अरुणाचल प्रदेश:** तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिलों के अलावा नामसाई जिले के 3 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।

AFSPA के बारे में:

- **कानूनी आधार:** AFSPA, 1958 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल को किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।
- **सुरक्षा बलों को अधिकार:** इस कानून के तहत अशांत क्षेत्रों में तैनात सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) को बिना वारंट के तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और कानून के विरुद्ध कार्य करने पर बल प्रयोग (यहाँ तक कि गोली चलाने) का विशेष अधिकार प्राप्त है। साथ ही, कानूनी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति (Sanction) अनिवार्य होने से इन्हें कानूनी संरक्षण मिलता है।

FSSAI पर सर्वोच्च न्यायालय का सख्त रुख

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चीनी, नमक और संतृप्त वसा की उच्च मात्रा को दर्शाने वाले 'फ्रंट-ऑफ-पैकेज वार्निंग लेबल्स' (FoPL) को लागू करने में दो साल की देरी करने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को कड़ी फटकार लगाई है।

मुख्य बिंदु:

- **न्यायालय की आपत्ति:** अदालत ने FSSAI से सवाल किया कि जब यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू की गई थी, तो पिछले चार वर्षों में क्या किया गया और अब नागरिकों की सेहत से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर नई सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया में इतना समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है।
- **FSSAI का रुख और समयसीमा:** FSSAI ने हलफनामा दायर कर मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 4 महीने का समय और खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (FBOs) को नई व्यवस्था अपनाने के लिए 1 साल (365 दिन) का स्वैच्छिक अनुपालन समय देने का प्रस्ताव रखा है।
- **चेतावनी लेबल का स्वरूप:** FSSAI ने कैनेडियन लेबिंग मॉडल की तर्ज पर सफेद वर्गाकार पृष्ठभूमि में लाल रंग के षटकोण आकार के चेतावनी चिह्न को उत्पाद के पैकेट के ऊपरी-बाएँ कोने पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने का प्रस्ताव दिया है। यह चेतावनी उन खाद्य पदार्थों पर भी अनिवार्य होगी जिनमें निर्धारित सीमा से अधिक केवल एक भी चिंताजनक पोषक तत्व पाया जाता है।

- **वैज्ञानिक आधार:** इन वार्निंग लेबल्स के लिए थ्रेशोल्ड (सीमा) तय करने हेतु ICMR-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (NIN) के 'डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, 2024' के मानकों को आधार बनाया जा रहा है।

FSSAI के बारे में

- **गठन:** खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत FSSAI की स्थापना की गई थी।
- **मंत्रालय:** यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **प्रमुख कार्य:** खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक तैयार करना, खाद्य निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना।

वाणिज्यिक मुकदमे और न्यायालय अवसंरचना की समीक्षा

सितंबर 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में लंबित वाणिज्यिक मामलों और वाणिज्यिक अदालतों के बुनियादी ढांचे पर अद्यतन डेटा तलब किया है। यह मामला 'इंडियन कमर्शियल एंड आर्बिट्रेशन बार एसोसिएशन' द्वारा दायर याचिका से संबंधित है।

मुख्य बिंदु:

- **पीठ और सुनवाई:** भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की।
- **पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य:** वाणिज्यिक मुकदमों के बढ़ते बैकलॉग (लंबित मामलों) को कम करने, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों व अपीलीय पीठों का गठन करने के लिए यह डेटा मांगा गया है।

- **अदालतों की स्थिति:** सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि अधिकांश उच्च न्यायालयों और राज्यों ने अभी तक पूरी जानकारी नहीं सौंपी है; केवल कुछ उच्च न्यायालयों (जैसे गुवाहाटी और उत्तराखंड) ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की है, जबकि पटना उच्च न्यायालय को दो सप्ताह का समय दिया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा उच्च न्यायालयों का प्रतिनिधित्व न होने पर रजिस्ट्री को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
- **प्रमुख कानूनी प्रावधान:** यह पूरी प्रक्रिया वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन से जुड़ी हुई है। न्यायालय ने पहले यह भी रेखांकित किया था कि वाणिज्यिक मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

राष्ट्रीय न्यायिक लंबितता का व्यापक परिदृश्य

- **कुल लंबित मामले:** भारत की निचली अदालतों में लगभग 4.80 करोड़ मामले लंबित हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय में स्थिति:** जनवरी 2026 के अंत तक अकेले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 92,828 पहुंच गई है।
- **न्यायाधीशों की कमी:** देश में 10 लाख आबादी पर केवल 21 न्यायाधीश हैं, जो वाणिज्यिक मामलों के त्वरित निपटारे में सबसे बड़ी बाधा है।

बाल अधिकार आयोग द्वारा 3,800 से अधिक बच्चों का रेस्क्यू

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने चलाए गए विशेष "पैन-इंडिया रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन" अभियान के तहत बाल श्रम से 3,800 से अधिक बच्चों का रेस्क्यू किया है।

अभियान के बारे में

- **विशेष अभियान:** NCPCR ने 12 जून से 31 अगस्त 2026 तक "अखिल भारतीय बचाव और पुनर्वास" अभियान चलाया था।
- **मुख्य परिणाम:** इस अभियान के तहत देश भर में बाल मजदूरी और तस्करी के हॉटस्पॉट्स (जैसे कारखाने, ईंट भट्टे, होटल) से 3,800 से अधिक बच्चों को रेस्क्यू किया गया और 575 से अधिक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गईं।
- **कार्यान्वयन:** यह अभियान विभिन्न राज्य सरकारों, जिला मजिस्ट्रेटों, श्रम विभागों, पुलिस और बाल संरक्षण अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से चलाया गया।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के बारे में

- **वैधानिक निकाय:** NCPCR एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत मार्च 2007 में की गई थी।
- **मंत्रालय:** यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
- **अधिदेश (Mandate):** इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (UNCRC) में निहित बाल अधिकारों के अनुरूप हों।
- **शक्तियां:** आयोग के पास शिकायतों की जांच करते समय सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। यह गवाहों को समन भेज सकता है और दस्तावेजों की मांग कर सकता है।
- **निगरानी भूमिका:** NCPCR शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने वाली नोडल एजेंसी भी है।

बाल श्रम से संबंधित संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान

A. संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 23:** मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है।
- **अनुच्छेद 24:** 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।
- **अनुच्छेद 39(e) और (f) (DPSP):** राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो और उन्हें गरिमापूर्ण वातावरण में विकास के अवसर मिलें।
- **अनुच्छेद 21A:** 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE)।

B. कानूनी प्रावधान

- **बाल श्रम (निषेध और नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016:**
  - यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने से पूरी तरह प्रतिबंधित करता है (पारिवारिक व्यवसायों को छोड़कर, बशर्ते कि इससे बच्चे की शिक्षा प्रभावित न हो)।
  - यह 14 से 18 वर्ष के 'किशोरों' (Adolescents) को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं (जैसे खनन, ज्वलनशील पदार्थ आदि) में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है।
- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:** यह संकटग्रस्त और शोषण के शिकार बच्चों के पुनर्वास और उनकी संस्थागत देखभाल के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

ENVIRONMENT

अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस और भारत में गिद्ध संरक्षण

सितंबर 2026 में यह चर्चा में क्यों रहा?

- **राष्ट्रीय कार्यशाला:** 5-6 सितंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस (यह हर साल सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है) के अवसर पर भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने पंचकुला, हरियाणा में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।
- **थीम:** इस कार्यशाला की थीम थी: "संकट से बहाली तक - भारत के गिद्धों का संरक्षण"
- **कॉफ़ी टेबल बुक:** इस अवसर पर 'स्टोरी ऑफ़ जटायु: सेविंग इंडियाज़ वल्चर' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, जो 'जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र' के माध्यम से गिद्धों के सफल कृत्रिम प्रजनन को दर्शाती है।
- **छठी राष्ट्रीय गिद्ध गणना:** सितंबर 2026 में WWF-India द्वारा देशव्यापी छठी वार्षिक गिद्ध गणना भी आयोजित की गई।

भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां और उनकी आईयूसीएन (IUCN) स्थिति
परीक्षा में सही उत्तर पहचानने के लिए इन्हें इन 4 मुख्य श्रेणियों में समझें:

1.घोर संकटग्रस्त— कुल 4 प्रजातियाँ

इनकी आबादी में 97% से 99% तक की भारी गिरावट देखी गई है। यह भारत के स्थानीय गिद्ध हैं:

- ओरिएंटल व्हाइट-रंप्ड गिद्ध (पूर्वी सफेद पीठ वाला गिद्ध)
- लॉन्ग-बिल्ड गिद्ध (लंबी चोंच वाला या भारतीय गिद्ध)
- स्लेंडर-बिल्ड गिद्ध (पतली चोंच वाला गिद्ध)
- रेड-हेडेड गिद्ध (लाल सिर वाला गिद्ध) — इसे 'एशियन किंग वल्चर' या 'राज गिद्ध' भी कहा जाता है।

2. संकटग्रस्त (Endangered) — केवल 1 प्रजाति

- इजिप्टीयन गिद्ध (मिस्री गिद्ध) — यह आकार में छोटा और सफेद रंग का होता है।

3. संकट-निकट (Near Threatened) — कुल 3 प्रजातियाँ

ये प्रजातियाँ मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं और स्वभाव से प्रवासी होती हैं:

- सिनेरियस गिद्ध (भूरट गिद्ध)
- बियर्डेड गिद्ध (दाढ़ी वाला गिद्ध या लैमर्गियर) — यह हड्डियों को ऊंचाई से पत्थरों पर गिराकर तोड़ता है और उसके अंदर का गूदा (मज्जा) खाता है।
- हिमालयन ग्रिफन (हिमालयी गिद्ध)

4. न्यूनतम चिंताजनक (Least Concern) — केवल 1 प्रजाति

- यूरेशियन ग्रिफन (यूरेशियाई गिद्ध) — यह एक शीतकालीन प्रवासी पक्षी है, जो सर्दियों में भारत के मैदानी इलाकों में आता है।

गिद्धों की आबादी घटने का मुख्य कारण (डाइक्लोफेनाक संकट)

- **डाइक्लोफेनाक दवा:** यह मवेशियों (पशुओं) को दी जाने वाली एक गैर-स्टेरॉयडल सूजनरोधी (दर्द निवारक) दवा है। 1990 के दशक में इसके कारण भारत के 99% गिद्ध खत्म हो गए।
- **गुर्दे की विफलता (किडनी फेलियर):** जब गिद्ध इस दवा से उपचारित मृत पशु का मांस खाते हैं, तो उनके शरीर में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। इससे उनके गुर्दे पूरी तरह खराब (विसरल गाउट) हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है।
- **प्रतिबंध और सुरक्षित विकल्प:** भारत सरकार ने 2008 में पशु चिकित्सा में इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके सुरक्षित विकल्प के रूप में मेलोक्सिकैम दवा को मंजूरी दी गई है।
- **नए उभरते रासायनिक खतरे:** वर्तमान में एसेक्लोफेनाक और कीटोप्रोफेन जैसी अन्य पशु चिकित्सा दवाएं गिद्धों के लिए नया जहर बनकर उभरी हैं। इसके अलावा बिजली की लाइनों से करंट लगना भी एक बड़ा खतरा है।

भारत सरकार के प्रमुख संरक्षण प्रयास

- **गिद्ध संरक्षण कार्य योजना (2020-2025):** गिद्धों की सुरक्षा और विषैली दवाओं पर प्रतिबंध को कड़ा करने के लिए राष्ट्रीय नीति।
- **गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र:** भारत में 9 केंद्र सक्रिय हैं (मुख्य: पिंजौर-हरियाणा, राजाभाटखावा-पश्चिम बंगाल, रानी-असम, भोपाल-मध्य प्रदेश)। इन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और राज्य वन विभाग मिलकर चलाते हैं।
- **प्राकृतिक आवास में पुनरुत्पादन:** मार्च 2026 में, कृत्रिम रूप से पाले गए 5 पतली चोंच वाले (स्लेंडर-बिल्ड) गिद्धों को असम के काजीरंगा टाइगर रिजर्व में पहली बार सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ा गया।
- **गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र (वल्चर सेफ जोन):** मवेशी पालन वाले क्षेत्रों के आसपास 100 किलोमीटर का ऐसा दायरा, जहाँ यह सुनिश्चित किया जाता है कि पशुओं के लिए किसी भी विषैली दवा का उपयोग न हो।

यूएनईपी (UNEP) की 'लिमिटिंग ओवरशूट' रिपोर्ट 2026

चर्चा में क्यों?

- 2 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने "लिमिटिंग ओवरशूट: नेविगेटिंग एक्सीडेंस ऑफ 1.5°C एंड पाथवेज टुवर्ड्स रिटर्न" शीर्षक से अपनी पहली विशेष रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट वैश्विक तापमान वृद्धि के पेरिस समझौते (Paris Agreement) की 1.5°C की सीमा को पार करने और उसके बाद की रणनीतियों पर केंद्रित है।

'क्लाइमेट ओवरशूट' (Climate Overshoot) क्या है?

- जब वैश्विक औसत तापमान पेरिस समझौते के तहत निर्धारित 1.5°C की सीमा को अस्थायी रूप से पार (Exceed) कर जाता है, और फिर प्रयासों के बाद धीरे-धीरे नीचे आता है, तो तापमान के इस अस्थायी उल्लंघन को 'क्लाइमेट ओवरशूट' कहा जाता है।

'लिमिटिंग ओवरशूट' रिपोर्ट: मुख्य निष्कर्ष

- **1.5°C सीमा का उल्लंघन:** मानव-प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान में 1.4°C तक पहुंच चुकी है। 2026-2030 के बीच 5-वर्षीय औसत तापमान के 1.5°C को पार करने की 75% संभावना है।
- **सिकुड़ता कार्बन बजट:** 1.5°C की सीमा बनाए रखने के लिए वर्ष 2026 से बचा हुआ कुल कार्बन बजट केवल 130 बिलियन टन ($GtCO_2$) है। वर्तमान उत्सर्जन दर के हिसाब से यह अगले 3 वर्षों में समाप्त हो जाएगा।

पिचावरम मैंग्रोव वन (Pichavaram Mangrove)

चर्चा में क्यों?

एक नए पर्यावरण अध्ययन में पहली बार तमिलनाडु के पिचावरम मैंग्रोव का कुल आर्थिक मूल्य ₹2,485.38 करोड़ (~₹1.83 करोड़ प्रति हेक्टेयर) आंका गया है। इसके अतिरिक्त, ईस्ट कोस्ट रोड के चौड़ीकरण के दौरान नष्ट हुए मैंग्रोव की भरपाई के लिए यहाँ 'मछली की हड्डी' आकृति में नए पौधों का सफल रोपण किया गया है।

भौगोलिक अवस्थिति

- यह तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में चिदंबरम के पास स्थित है।
- **नदी तंत्र:** यह उत्तर में वेल्लार नदी और दक्षिण में कोलेरून नदी के मुहानों के बीच स्थित है। ये नदियाँ उप्पानार नदी के साथ मिलकर किल्लई बैकवाटर कॉम्प्लेक्स बनाती हैं।
- यह सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र भी है।

मुख्य पारिस्थितिक विशेषताएं

- **स्थायी जलमग्नता:** सामान्य मैंग्रोव के विपरीत, पिचावरम के मैंग्रोव वृक्ष कुछ फीट गहरे खारे पानी में स्थायी रूप से डूबे रहते हैं।
- **प्राकृतिक सुरक्षा कवच:** इन वनों ने 2004 की सुनामी के दौरान तीव्र लहरों को रोककर तटवर्ती गांवों की रक्षा की थी।

संरक्षण पहल

- **मिश्ती योजना (MISHTI):** भारत के समुद्र तटों के किनारे मैंग्रोव पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट की एक प्रमुख पहल।
- **मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC):** वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव संरक्षण के लिए इंडोनेशिया और यूएई द्वारा शुरू किया गया गठबंधन, जिसका भारत एक सक्रिय सदस्य है।

WMO अल नीनो अलर्ट

चर्चा में क्यों?

- **'अत्यंत तीव्र' (Very Strong) अल नीनो की पुष्टि:** विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने अपने सितंबर 2026 के वैश्विक जलवायु अपडेट में पुष्टि की है कि प्रशांत महासागर में जारी अल नीनो परिघटना तेजी से मजबूत हो रही है।
- **दीर्घकालिक प्रभाव:** पूर्वानुमानों के अनुसार, इसके फरवरी 2027 तक जारी रहने की लगभग 100% संभावना है।
- **वर्गीकरण:** वैज्ञानिक इसे अनौपचारिक रूप से 'सुपर अल नीनो' कह रहे हैं।

अल नीनो का मूल कॉन्सेप्ट

- **परिभाषा:** यह एक प्राकृतिक रूप से घटने वाली जलवायु परिघटना है, जिसमें मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर (विशेष रूप से पेरू के तट के पास) की सतह का तापमान सामान्य से अत्यधिक गर्म हो जाता है।
- **वायुमंडलीय अंत:क्रिया** (ENSO): अल नीनो और ला नीना, 'एंसो' (ENSO - El Niño Southern Oscillation) चक्र के दो विपरीत चरण हैं। दक्षिणी दोलन (Southern Oscillation) उष्णकटिबंधीय भारत-प्रशांत क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव का उतार-चढ़ाव है।

क्रियाविधि (Mechanism)

1. **सामान्य वर्ष में:** व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर बहती हैं और गर्म पानी को एशिया/इंडोनेशिया की तरफ धकेलती हैं। पेरू के तट पर नीचे से ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी ऊपर आता है।
2. **अल नीनो वर्ष में:** व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं। इसके कारण गर्म पानी पश्चिम से वापस पूर्व की ओर (दक्षिण अमेरिका की तरफ) खिसक जाता है। पेरू के तट पर ठंडे पानी का ऊपर आना रुक जाता है, जिससे वहाँ का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है।
3. **वॉकर सर्कुलेशन :** वायुमंडलीय परिसंचरण का यह चक्र पूर्व की ओर खिसक जाता है।

वैश्विक और भारत पर प्रभाव

- **वैश्विक तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि:** महासागरों से निकलने वाली अत्यधिक ऊष्मा के कारण वर्ष 2026 और 2027 के वैश्विक इतिहास के सबसे गर्म वर्ष होने की संभावना है।

वर्षा के पैटर्न में बदलाव

- **अत्यधिक वर्षा/बाढ़:** दक्षिणी अमेरिका (पेरू, इक्वाडोर) और पूर्वी अफ्रीका (हॉर्न ऑफ अफ्रीका) में भारी बारिश और बाढ़ आती है।
- **सूखा:** ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मध्य अमेरिका और दक्षिण एशिया (भारत सहित) में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है।
- **भारतीय मानसून पर प्रभाव:** अल नीनो आमतौर पर भारत के दक्षिण-पश्चिम मानसून को कमजोर करता है, जिससे देश में कम वर्षा होती है, जलाशयों का स्तर गिरता है और कृषि उत्पादन (विशेषकर खरीफ फसल) प्रभावित होता है।
- **सकारात्मक IOD की भूमिका (+IOD):** सामान्यतः एक सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (+IOD) भारतीय मानसून के लिए फायदेमंद होता है और यह अल नीनो के नकारात्मक प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकता है।

नेपाल महाबाढ़ 2026

26 अगस्त 2026 को तिब्बत-नेपाल सीमा पर स्थित लांगटांग लिरुंग पर्वत श्रृंखला पर एक विशाल ग्लेशियर खंड और चट्टान के ढहने (GLOF) तथा उसके बाद हुई मानसूनी बारिश के कारण नेपाल सहित उत्तर भारत (बिहार व उत्तर प्रदेश) में विनाशकारी बाढ़ आ गई।

आपदा के मुख्य भौगोलिक कारण

- **ग्लेशियर का ढहना:** 26 अगस्त 2026 को तिब्बत-नेपाल सीमा पर स्थित लांगटांग लिरुंग (Langtang Lirung) पर्वत श्रृंखला पर भारी मात्रा में बर्फ और चट्टानों का एक विशाल हिमस्खलन (Ice-Rock Avalanche) हुआ।
- **भूकंपीय भ्रम का निवारण:** शुरुआत में वैश्विक स्तर पर दर्ज हुए झटकों को 5.2 तीव्रता का भूकंप माना गया था, परंतु अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पुष्टि की कि यह कोई टेक्टोनिक भूकंप नहीं बल्कि ग्लेशियर ढहने से उत्पन्न हुए कंपन थे।
- **मलबे का बहाव:** हिमस्खलन के अत्यधिक वेग और घर्षण के कारण बर्फ पिघल गई, जिसने मलबे और गाद के साथ मिलकर एक विनाशकारी सैलाब का रूप ले लिया और नदी घाटियों को अवरुद्ध कर दिया।
- **जलवायु परिवर्तन की कड़ियाँ:** वैज्ञानिकों के अनुसार बढ़ते तापमान के कारण पेरमाफ्रॉस्ट (स्थायी रूप से जमी हुई बर्फ और मिट्टी) के पिघलने से पर्वतीय चट्टानों की पकड़ कमजोर हो रही है, जिससे इस प्रकार के हिमस्खलन बढ़ रहे हैं।

प्रभावित नदी तंत्र और मैपिंग

- **त्रिशूली / भोटेकोशी:** इसका उद्गम तिब्बत (चीन) से होता है। मलबे के बहाव का पहला और सबसे तीव्र प्रभाव इसी नदी घाटी पर पड़ा, जिससे सीमा पर स्थित जिरोंग पोर्ट पूरी तरह नष्ट हो गया।
- **गण्डक नदी:** नेपाल में इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। नेपाल के लुम्बिनी और गण्डकी प्रांतों में हुई रिकॉर्ड बारिश के कारण इस नदी का जलस्तर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया।
- **कोसी और बागमती:** ये भी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से निकलकर उत्तर बिहार में प्रवेश करने वाली मुख्य सीमा-पार नदियां हैं।

जन-माल एवं अवसंरचना की हानि

संयुक्त राष्ट्र (UN) और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, 1,497 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 5,237 से अधिक लोग लापता हैं (जिसमें कई भारतीय और विदेशी पर्यटक शामिल हैं)।

- **आर्थिक एवं ऊर्जा आघात:** नेपाल में कुल आर्थिक नुकसान देश की जीडीपी के लगभग 4-5% (₹40,000 करोड़ से अधिक) के बराबर आंका गया है। इसके कारण 13 से अधिक जलविद्युत परियोजनाएं जैसे 'अपर त्रिशूली-1' गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं और देश की लगभग एक-तिहाई बिजली आपूर्ति बाधित हुई।

भारत और बिहार पर सीधा प्रभाव

- **रिकॉर्ड जल निर्वहन:** बाढ़ के अत्यधिक दबाव के कारण बिहार के वाल्मीकिनगर बैराज - जो गण्डक नदी पर स्थित है के सभी 36 फाटकों को खोलना पड़ा और 5.43 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर है।
- **बिहार के सर्वाधिक संवेदनशील जिले:** बाढ़ ने मुख्य रूप से उत्तर बिहार के जिलों-पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, और दरभंगा को जलमग्न कर दिया, जिससे कई स्थानों पर सुरक्षा तटबंध टूट गए।
- **स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जोखिम:** पानी के अत्यधिक तीव्र बहाव के कारण मलबे और जीवों के अवशेष 180-240 किमी दूर उत्तर प्रदेश (महाराजगंज, कुशीनगर) और बिहार की सीमाओं तक बहकर आए हैं। दूषित पानी से जल-जनित रोगों (हैजा, टाइफाइड) का संकट गहरा गया है।

ओरांगुटान (Orangutan) का रेस्क्यू

चर्चा में क्यों?

- सितंबर 2026 में ओडिशा के बालासोर जिले के जंगलों से 5 विदेशी नन्हे ओरांगुटान को अंतरराष्ट्रीय तस्करों से रेस्क्यू किया गया।
- इन्हें नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क (भुवनेश्वर) में 90 दिनों के कड़े जैव-सुरक्षा क्वारंटीन में रखा गया है।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और ओडिशा STF इसकी अंतरराष्ट्रीय रूट से हुई तस्करी की जांच कर रहे हैं।

ओरांगुटान (Orangutan)

मूल निवासी: ये भारत के मूल निवासी नहीं हैं। ये प्राकृतिक रूप से केवल इंडोनेशिया और मलेशिया के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं।

भौगोलिक वितरण (3 जीवित प्रजातियां): ये केवल दो द्वीपों तक सीमित हैं:

1. बोरानियन ओरांगुटान– बोर्नियो द्वीप
2. सुमात्रन ओरांगुटान – सुमात्रा द्वीप
3. तपनुली ओरांगुटान– सुमात्रा का टोबा क्षेत्र

पारिस्थितिक विशेषताएं:

- ये दुनिया के सबसे बड़े वृक्षवासी (Arboreal) स्तनधारी जीव हैं (अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताते हैं)।
- इन्हें "जंगल का माली" (Gardeners of the Forest) कहा जाता है क्योंकि ये बीजों के प्रकीर्णन में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संरक्षण स्थिति

- **IUCN रेड लिस्ट :** ओरांगुटान की तीनों प्रजातियां घोर संकटग्रस्त (Critically Endangered - CR) श्रेणी में आती हैं।
- **CITES:** इन्हें Appendix-I में रखा गया है (अर्थात इनके अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है)।
- **भारतीय विधिक प्रावधान:** वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के तहत भारत में CITES के प्रावधानों को लागू किया गया है, जिसके तहत विदेशी (Exotic) संकटग्रस्त जीवों की अवैध तस्करी या उन्हें बिना अनुमति पास रखना गैर-जमानती अपराध है।

नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क

- **अवस्थिति:** यह ओडिशा के भुवनेश्वर में कांजिया झील के निकट स्थित है।
- **सदस्यता:** यह 'वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम' (WAZA) का आधिकारिक सदस्य बनने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर है।
- **विशिष्टता:** यह सफेद बाघों और मेलानिस्टिक बाघों (काले बाघ) के संरक्षण और ब्रीडिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घड़ियाल और भारतीय पैंगोलिन का कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर भी है।
- **इतिहास:** भारत की अंतिम जीवित ओरांगुटान 'बिनी' (Binny) थी, जिसकी मई 2019 में इसी पार्क में मृत्यु हो गई थी।

WAZA (वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम)

- **प्रकृति:** चिड़ियाघरों और एक्वेरियम का एक वैश्विक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है (यह UN या सरकारी संस्था नहीं है)।
- **मुख्यालय:** ग्लैंड, स्विट्जरलैंड।
- **उद्देश्य:** वैश्विक स्तर पर पशु कल्याण और बाह्य-स्थाने संरक्षण के मानक तय करना।
- **भारत से जुड़ाव:** ओडिशा का नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क इसका सदस्य बनने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर है।

महाराष्ट्र सूखा संकट

चर्चा में क्यों?

- 26 सितंबर 2026 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कुल 358 तालुकों में से 265 तालुकों (लगभग 74% भूभाग) को आधिकारिक रूप से सूखा-प्रभावित घोषित कर दिया है।
- जून से सितंबर 2026 के मानसून सत्र के दौरान राज्य में 18.8% वर्षा की कमी दर्ज की गई और खरीफ फसलों के दौरान 21 दिनों से अधिक का लंबा शुष्क दौर देखा गया।
- विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और पुणे संभाग के 32 जिले इससे गंभीर रूप से प्रभावित हैं, जिसके कारण 16 अक्टूबर 2026 से राज्य के सभी स्थानीय निकायों में 10% जल कटौती लागू की जा रही है।

मुख्य भौगोलिक एवं जलवायु कारक

- **एल नीनो का प्रभाव:** वर्ष 2026 में एल नीनो प्रभाव के सक्रिय होने के कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर पड़ा और वर्षा प्रतिरूप में भारी अनिश्चितता देखी गई।
- **क्षेत्रीय संवेदनशीलता:** मराठवाड़ा (38% कमी) और विदर्भ (27% कमी) दक्कन के पठार के 'वृष्टि छाया क्षेत्र' में आते हैं, जिससे यहाँ संकट हमेशा गहरा होता है।
- **कृषि संरचना:** महाराष्ट्र का कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ कुल सिंचाई क्षमता 20% से भी कम है, जो उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों की तुलना में काफी कम है.

सूखा प्रबंधन और विधिक प्रावधान

- **सूखा कौन घोषित करता है?:** भारत में सूखा घोषित करने का अनन्य अधिकार राज्य सरकारों के पास है. केंद्र सरकार केवल आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार (सूखा प्रबंधन नियमावली, 2016) के अनुसार सूखा घोषणा मानदंड

- **प्रक्रिया:** सूखा घोषित करने के लिए त्रि-स्तरीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनिवार्य है।
- **चरण 1:** ट्रिगर-1 (मौसम वैज्ञानिक संकेतक - अनिवार्य)
  - ❑ **वर्षा की कमी:** जून-सितंबर मानसून वर्षा दीर्घकालिक औसत (LPA) से ≥ 19% कम हो।
  - ❑ **शुष्क दौर (Dry Spell):** लगातार 3 से 4 सप्ताह तक वर्षा न होना।

- **चरण 2:** ट्रिगर-2 (प्रभाव संकेतक - 4 में से कोई 2 पास होना अनिवार्य)
  - **कृषि:** बुवाई क्षेत्र में > 33% की कमी।
  - **वनस्पति:** उपग्रह (Satellite) डेटा द्वारा NDVI (वनस्पति ह्रास) में भारी गिरावट।
  - **मृदा नमी:** मिट्टी में नमी का स्तर अत्यंत कम होना।
  - **जल विज्ञान:** भूजल और जलाशयों (Reservoirs) के जल स्तर में भारी गिरावट।

- **चरण 3:** ग्राउंड ट्रूथिंग (जमीनी सत्यापन)-जिला प्रशासन द्वारा 10% प्रभावित गांवों का प्रत्यक्ष भौतिक सर्वेक्षण।
- **तीव्रता निर्धारण:**
  - **मध्यम सूखा:** फसल नुकसान 33% से 50% के बीच।
  - **गंभीर सूखा:** फसल नुकसान > 50%। (केंद्र से NDRF सहायता केवल गंभीर सूखे की स्थिति में मिलती है)।

सूखा घोषणा के बाद सहायता

विधिक स्थिति: सूखा अधिसूचना 6 महीने के लिए वैध होती है. जिला स्तर पर जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी के रूप में 'आपदा शमन योजना' लागू करते हैं।

वित्तीय राहत:

- प्राथमिक राहत राज्य अपने SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष) से देता है.
- 'गंभीर सूखा' होने पर केंद्रीय टीम के मूल्यांकन के बाद NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष) से अतिरिक्त वित्तीय मदद मिलती है.

फसल क्षतिपूर्ति: प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता मिलती है:

- वर्षा-आधारित फसलों के लिए: ₹8,500 प्रति हेक्टेयर.
- सिंचित फसलों के लिए: ₹17,000 प्रति हेक्टेयर.

कृषि ऋण व बैंकिंग राहत:

- किसानों के अल्पकालिक ऋण मध्यम अवधि के ऋणों में पुनर्गठित कर दिए जाते हैं.
- ऋण वसूली पर तत्काल रोक लगती है और कृषि पंपों के बिजली बिल में रियायत दी जाती है।

कस्तूरीरंगन रिपोर्ट-7वें मसौदे (7th Draft Notification)

चर्चा में क्यों?

- **ताजा घटनाक्रम:** केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जुलाई 2026 में जारी किए गए 7वें मसौदे पर राज्यों और जनता से आपत्ति दर्ज कराने की 60 दिनों की समय-सीमा सितंबर 2026 में समाप्त हुई है।
- **विवाद:** कर्नाटक सरकार ने सितंबर 2026 में अपनी विधानसभा में इस मसौदे को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। कर्नाटक का तर्क है कि सैटेलाइट मैपिंग के कारण इसमें कृषि भूमि और बस्तियां भी शामिल हो गई हैं, जिससे स्थानीय आजीविका प्रभावित होगी।

कस्तूरीरंगन रिपोर्ट: मुख्य बिंदु

- **गठन:** प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य समूह (HLWG) का गठन वर्ष 2012 में किया गया था (रिपोर्ट अप्रैल 2013 में सौंपी गई)।
- **उद्देश्य:** इससे पहले आई अत्यधिक पर्यावरण-केंद्रित माधव गाडगिल समिति (2011) की सिफारिशों (जिसने 64% क्षेत्र को संरक्षित करने को कहा था) की समीक्षा करना और विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना।
- **मुख्य सिफारिश (37% नियम):** कस्तूरीरंगन समिति ने पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल का केवल 37% हिस्सा (लगभग 59,940 वर्ग किमी) ही 'पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र' (ESA) घोषित करने की सिफारिश की थी।

7वें मसौदे (7th Draft, 2026) में क्या है?

- **कुल क्षेत्रफल:** 6 राज्यों में फैले 56,825.7 वर्ग किमी क्षेत्र को ESA बनाने का प्रस्ताव है।
- **राज्यवार कवरेज:** सबसे अधिक क्षेत्र कर्नाटक (20,668 वर्ग किमी) में और सबसे कम गुजरात (449 वर्ग किमी) में प्रस्तावित है।

  क्रम (अधिक से कम): कर्नाटक > महाराष्ट्र > केरल > तमिलनाडु > गोवा > गुजरात।

- **प्रतिबंधित गतिविधियाँ:** वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, नए थर्मल पावर प्लांट और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 'रेड कैटेगरी' के उद्योगों पर पूर्ण प्रतिबंध।
- **अनुमति प्राप्त गतिविधियाँ:** पनबिजली परियोजनाओं को सख्त नियमों के साथ अनुमति। खेती, बागवानी और दैनिक आजीविका की गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पश्चिमी घाट (Western Ghats): भौगोलिक एवं जलवायु विशेषताएं

- **विस्तार:** यह तापी नदी (गुजरात) से कन्याकुमारी (तमिलनाडु) तक 6 राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु) में 1,600 किमी की लंबाई में फैला है।
- **आयु:** ये पहाड़ हिमालय से भी पुराने हैं।
- **वैश्विक महत्व:** यह दुनिया के 8 'सफेद-तप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट' (Hottest Biodiversity Hotspots) में से एक है। वर्ष 2012 में इसे UNESCO विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
- **सर्वोच्च चोटी:** अनामुडी (Anamudi - 2,695 मीटर), जो केरल में स्थित है (यह दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है)।
- **जलवायु:** यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यह अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर भारत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा (ओरोग्राफिक/पर्वतीय वर्षा) कराता है।

पश्चिमी घाट बनाम पूर्वी घाट

निरंतरता:

- **पश्चिमी घाट:** यह निरंतर पर्वत श्रृंखला है, जिसे केवल पालघाट, थालघाट और भोरघाट जैसे दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है।
- **पूर्वी घाट:** यह कटा-छँटा और असमान है, जिसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बड़ी नदियों (महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी) ने जगह-जगह से काट दिया है।

ऊंचाई (Elevation):

- **पश्चिमी घाट:** अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे हैं (औसत ऊंचाई: 900 से 1600 मीटर)। इनकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है।
- **पूर्वी घाट:** कम ऊंचे हैं (औसत ऊंचाई: लगभग 600 मीटर)।

सर्वोच्च चोटी (Highest Peak):

- **पश्चिमी घाट:** इसकी सर्वोच्च चोटी अनामुडी (2,695 मीटर) है, जो केरल में स्थित है।
- **पूर्वी घाट:** इसकी सर्वोच्च चोटी जिंधागड़ा (1,690 मीटर) है, जो आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है।

वर्षा प्रतिरूप:

- **पश्चिमी घाट:** इसके पश्चिमी ढलानों पर दक्षिण-पश्चिम मानसून से अत्यधिक पर्वतीय वर्षा होती है (250 सेमी से अधिक)।
- **पूर्वी घाट:** यहाँ कम वर्षा होती है, और मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी (लौटते) मानसून से शीतकाल में वर्षा प्राप्त होती है।

नदियों का उद्गम:

- **पश्चिमी घाट:** यह प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल-विभाजक है, जहाँ से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी बारहमासी नदियाँ निकलती हैं।
- **पूर्वी घाट:** यहाँ से कोई बड़ी बारहमासी नदी नहीं निकलती, केवल कुछ छोटी स्थानीय नदियाँ निकलती हैं।

मुन्नार में नीलकुरिंजी का सामूहिक पुष्पन

चर्चा में क्यों?

सितंबर 2026 में केरल के इडुक्की जिले में स्थित मुन्नार की पहाड़ियों में नीलकुरिंजी के फूलों का शानदार सामूहिक पुष्पन देखा गया है।

नीलकुरिंजी

- केरल के मुन्नार (चोकरमुडी, मट्टुपेट्टी) की पहाड़ियों में 12 वर्ष बाद नीलकुरिंजी का सामूहिक पुष्पन हुआ।
- यह एक स्थानिक झाड़ी है। यह 'सेमैलपैरस' पौधा है, जो अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक बार फूल/फल देकर नष्ट हो जाता है।
- **भौगोलिक वितरण:** मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के शोला घास के मैदानों (1,340 से 2,600 मीटर ऊंचाई) में पाया जाता है। नीलगिरि पर्वत का नाम इसी के कारण पड़ा।
- **नामकरण:**केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क की 'कुंती नदी' के नाम पर।

- **संरक्षण स्थिति**
  - **IUCN रेड लिस्ट:** असुरक्षित (Vulnerable - VU)।
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** यह एक संरक्षित/अनुसूचित प्रजाति है। इसे उखाड़ने या नुकसान पहुँचाने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।
  - **विशेष क्षेत्र:** केरल में इसके लिए 'कुरिंजीमाला अभयारण्य' अधिसूचित है।
- **पारिस्थितिक कड़ी:** इसका खिलना संकटग्रस्त नीलगिरि तहर और स्थानीय मधुमक्खियों को आकर्षित करता है।
- **सांस्कृतिक जुड़ाव:** तमिलनाडु की 'पालियन' जनजाति इस फूल के 12 वर्षीय चक्र से अपनी उम्र की गणना करती है।

संयुक्त राष्ट्र समुद्र स्तर घोषणा 2026

चर्चा में क्यों?

- **घटना:** 24 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान पहली बार 'समुद्र स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा' को सर्वसम्मति से अपनाया गया है।
- **कारण:** विश्व मौसम विज्ञान संगठन के हालिया आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में वैश्विक समुद्र स्तर में रिकॉर्ड 6 मिमी की वृद्धि दर्ज की गई. समुद्र स्तर बढ़ने की यह गति पिछले तीन दशकों में दोगुनी (4.7 मिमी/वर्ष) हो चुकी है, जिससे कई द्वीप देशों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है।

घोषणा के मुख्य बिंदु

- **राज्यत्व की निरंतरता** : यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय कानून में एक ऐतिहासिक बदलाव लाती है. इसके तहत यदि कोई द्वीप देश (जैसे- तुवालु, फिजी, वानुअतु) समुद्र का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह जलमग्न भी हो जाता है, तो भी उसकी संप्रभुता, राज्यत्व (Statehood) और UN सदस्यता स्वत: समाप्त नहीं होगी
- अंतरराष्ट्रीय कानून (1933 के मोंटेवीडियो कन्वेंशन) के अनुसार राज्य के लिए 'निश्चित भूभाग' अनिवार्य होता है, लेकिन यह घोषणा उस विधिक परिभाषा से आगे बढ़कर काम करती है.
- **समुद्री सीमाओं का संरक्षण:** घोषणा स्पष्ट करती है कि UNCLOS (1982) के तहत स्थापित देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और क्षेत्रीय समुद्री सीमाएं वैसी ही बनी रहेंगी, भले ही उनकी वास्तविक तटरेखा पीछे खिसक जाए या डूब जाए.

- **यह घोषणा क्या है? :** यह वैश्विक समुद्र स्तर में हो रही अभूतपूर्व वृद्धि से निपटने और इसके कारण डूबने की कगार पर खड़े छोटे द्वीप देशों (Small Island Developing States - SIDS) के विधिक व मानवीय अस्तित्व को बचाने के लिए तैयार की गई पहली वैश्विक राजनीतिक रूपरेखा है।
- **विधिक प्रकृति:** यह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा अपनाई गई एक गैर-बाध्यकारी राजनीतिक घोषणा है। यह किसी संधि (Treaty) की तरह विधिक रूप से लागू नहीं होती।
- **मोंटेवीडियो कन्वेंशन (1933) बनाम यह घोषणा:** मोंटेवीडियो कन्वेंशन के पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, किसी भी देश के 'राज्यत्व' के लिए एक निश्चित भौगोलिक भूभाग का होना अनिवार्य है। यह घोषणा इस नियम को बदलते हुए स्थापित करती है कि पूरी तरह जलमग्न होने के बाद भी किसी देश की संप्रभुता और UN सदस्यता समाप्त नहीं होगी।
- **UNCLOS (1982) और समुद्री सीमाएं:** घोषणा स्पष्ट करती है कि किसी देश की तटरेखा डूबने के बावजूद समुद्री कानून के तहत उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और क्षेत्रीय समुद्री अधिकार अक्षुण्ण (वैसे ही) रहेंगे।

'विश्व गैंडा दिवस' (World Rhino Day)

चर्चा में क्यों?

- **घोषणा:** 22 सितंबर 2026 को 'विश्व गैंडा दिवस' के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर देश में 'प्रोजेक्ट राइनो' शुरू करने की घोषणा की है।
- **उद्देश्य:** गैंडा-आश्रित राज्यों को एक सींग वाले बड़े गैंडे के संरक्षण, सुरक्षा और पर्यावास प्रबंधन के लिए समर्पित वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

प्रोजेक्ट राइनो (Project Rhino)

- **नोडल मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
- **मुख्य फोकस क्षेत्र:**
  - वन्यजीव शिकार विरोधी प्रवर्तन और निगरानी को मजबूत करना।
  - पर्यावास प्रबंधन और आनुवंशिक सुधार।
  - जनसंख्या गतिशीलता और डीएनए प्रोफाइलिंग का वैज्ञानिक अध्ययन।
- **शामिल राज्य:** यह योजना मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गैंडों की आबादी को सुरक्षित और पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है।

एक सींग वाला बड़ा गैंडा : वैज्ञानिक व भौगोलिक तथ्य

भौगोलिक वितरण:

- वैश्विक आबादी का लगभग 80% हिस्सा अकेले असम में पाया जाता है।
- असम का काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया में इस प्रजाति का सबसे बड़ा पर्यावास (Stronghold) है। इसके अलावा पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, ओरंग नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क प्रमुख हैं।
- उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क और बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इनके सफल पुनर्वास (Reintroduction) के उदाहरण हैं।

- **शारीरिक विशेषता:** यह गैंडे की प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है. इसकी पहचान इसकी त्वचा पर मौजूद मोटे फोल्ड (मजबूत कवच जैसी संरचना) और नाक पर स्थित एक सींग से होती है.

अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संरक्षण स्थिति

- **IUCN रेड लिस्ट:** असुरक्षित (Vulnerable - VU)।
- **CITES स्थिति:** Appendix I (इसके अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है)।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I (Schedule I) के तहत इसे सर्वोच्च स्तर की विधिक सुरक्षा प्राप्त है।

- **स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2026:** इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन (IRF) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कुल गैंडों की संख्या लगभग 26,700 है, जिसमें से ग्रेटर वन-हॉर्नड राइनो की आबादी बढ़कर 4,075 हो गई है (जो एक बड़ी संरक्षण सफलता है).

विश्व ओजोन दिवस (World Ozone Day, 2026)

चर्चा में क्यों?

मुख्य कारण: 16 सितंबर 2026 को दुनिया भर में "विश्व ओजोन दिवस" मनाया गया.

- **वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम: "Global Action for a Cooler Planet" (शीतल ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई)।**

पृष्ठभूमि

1. वियना कन्वेंशन (Vienna Convention, 1985):

- ओजोन परत के संरक्षण के लिए स्थापित यह पहला वैश्विक ढांचा था।
- **प्रकृति:** यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और इसमें ओजोन क्षयकारी पदार्थों की कटौती के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं थे।

2. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol, 1987):

- ✓ वियना कन्वेंशन के तहत 16 सितंबर 1987 को इस पर हस्ताक्षर किए गए (इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है).
- ✓ **प्रकृति:** यह एक विधिक रूप से बाध्यकारी (वैश्विक संधि है.
- ✓ **गौरव:** यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के इतिहास में सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाली सबसे सफल पर्यावरण संधि मानी जाती है, जिसके सभी 197 देश सदस्य हैं. इसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFC) जैसे 96 ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ODS) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया है।

3. किगाली संशोधन (Kigali Amendment, 2016)

- ✓ अक्टूबर 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया यह 6वां ऐतिहासिक संशोधन है.
- ✓ **लक्ष्य:** इसके तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से (Phase-down) कम करना है.
- ✓ **नोट:** HFCs ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन ये अत्यधिक शक्तिशाली 'ग्रीनहाउस गैसें' हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं।

ओजोन परत

- **अवस्थिति:** ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में (सतह से लगभग 15 से 35 किमी ऊपर) केंद्रित है.
- **कार्य:** यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण (मुख्य रूप से UV-B किरणों) को अवशोषित कर लेती है. इसके अभाव में मनुष्यों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और वैश्विक पादप पारिस्थितिक तंत्र को भारी नुकसान पहुँचता है.
- **रिकवरी का अनुमान:** वैज्ञानिक आकलनों के अनुसार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता के कारण ओजोन परत तेजी से ठीक (Heal) हो रही है और इसके वर्ष 2040 से 2066 के बीच अपने पुराने 1980 वाले स्तर पर पूरी तरह लौटने की उम्मीद है.

ECONOMY

भारत की Q1 जीडीपी वृद्धि (FY 2026-27): समष्टि-आर्थिक विश्लेषण

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1: अप्रैल-जून) के लिए जीडीपी वृद्धि के आंकड़े जारी किए हैं।
- इन आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.8% की मजबूत वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की है।
- यह आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक लचीलेपन को प्रमाणित करता है और इसे परीक्षा (विशेषकर अर्थव्यवस्था के विकास एवं निवेश वाले खंड) की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है।

- सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि (आमतौर पर एक वर्ष या तिमाही) में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है।

इसमें निम्नलिखित अवधारणाएँ महत्वपूर्ण हैं:

- **वास्तविक जीडीपी:** यह मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने के बाद मापी गई जीडीपी है, जो अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि को दर्शाती है।
- **सकल स्थायी पूंजी निर्माण:** यह अर्थव्यवस्था में होने वाले उत्पादक निवेश या 'पूंजीगत व्यय' को मापने का प्रमुख समष्टि-आर्थिक संकेतक है।
- **क्राउडिंग-इन प्रभाव:** जब सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाता है, तो इसके फलस्वरूप निजी क्षेत्र का निवेश भी प्रेरित होकर बढ़ता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

नवीनतम Q1 FY 2026-27 आंकड़ों के अनुसार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन निम्नलिखित रहा है:

- **विनिर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार:**विनिर्माण क्षेत्र ने 9.2% की शानदार वृद्धि दर्ज की है (जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 8.3% थी)।यह वृद्धि सरकार की 'उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन' (PLI) योजना के सकारात्मक प्रभाव और कच्चे माल की कीमतों में स्थिरता का परिणाम है।
- **सेवा क्षेत्र का निरंतर विस्तार:**तृतीयक या सेवा क्षेत्र ने कुल मिलाकर 10% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। इसमें विशेष रूप से 'वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं' का 12.1% की दर से विस्तार हुआ है, जो मजबूत शहरी खपत और कॉर्पोरेट मांग को दर्शाता है।
- **पूंजीगत निर्माण में उछाल:** निवेश का मुख्य सूचक 'GFCF' नाममात्र (Nominal)आधार पर GDP के 34.3% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह स्पष्ट रूप से 'क्राउडिंग-इन प्रभाव' को प्रमाणित करता है, जहाँ सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश निजी पूंजी को आकर्षित कर रहा है।
- **प्राथमिक क्षेत्र का पिछड़ना:** खनन और उत्खनन क्षेत्र में -2.4% का संकुचन दर्ज किया गया है, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष का 'उच्च आधार प्रभाव' है।कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर भी धीमी होकर 3.6% रह गई है।

आर्थिक एवं रणनीतिक महत्व

- **आर्थिक लचीलापन :** ऐसे समय में जब कई विकसित अर्थव्यवस्थाएँ मंदी (Recession) के मुहाने पर हैं, भारत की 7.8% की वृद्धि दर इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का "उज्ज्वल बिंदु" (Bright Spot) बनाती है।
- **रणनीतिक :** विनिर्माण क्षेत्र की 9.2% की वृद्धि इंगित करती है कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के विकल्प ('China Plus One' रणनीति) के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।
- **प्रशासनिक सफलता:** GFCF का 34.3% तक पहुँचना नीतिगत स्थिरता और सरकार की बुनियादी ढांचा केंद्रित राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) की प्रत्यक्ष सफलता है।

उदाहरण

- **क्राउडिंग-इन प्रभाव का उदाहरण:** सरकार द्वारा सड़कों, रेलवे और रक्षा क्षेत्र में किए गए भारी सार्वजनिक निवेश ने निजी क्षेत्र को डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा (और रियल एस्टेट में भारी निवेश करने के लिए प्रेरित किया है।
- **K-आकार की रिकवरी का उदाहरण:** एक ओर लग्जरी गाड़ियां, हवाई यात्रा और प्रीमियम हाउसिंग (शहरी मांग) में भारी उछाल देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दोपहिया वाहन, ट्रैक्टर और FMCG उत्पादों (ग्रामीण मांग) की बिक्री अभी भी दबाव का सामना कर रही है।

प्रमुख चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

- **कृषि में सुस्ती और अल नीनो (El Niño) का संकट:** o कृषि वृद्धि दर 4.4% से गिरकर 3.6% रह गई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की अनियमितता और अल नीनो के कारण फसल उत्पादन प्रभावित होने का जोखिम है, जिससे ग्रामीण आय में गिरावट आ सकती है।
- **K-शेप्ड रिकवरी का जोखिम:** अर्थव्यवस्था में आय की असमानता (बढ़ रही है। शहरी मांग मजबूत है, लेकिन ग्रामीण उपभोग अब भी सुस्त है।
- **मुद्रास्फीति (Inflation) का दबाव:** वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति (विशेषकर अनाज और दालें) के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ब्याज दरों (Repo Rate) में कटौती करने में असमर्थ है, जो भविष्य में कर्ज को महंगा बनाए रखेगा।
- **खनन में संकुचन:** खनन क्षेत्र में -2.4% की गिरावट भविष्य में औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए चिंताजनक हो सकती है।

आगे की राह

- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन:** o ग्रामीण मांग को पुनर्जीवित करने के लिए मनरेगा और पीएम-किसान जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष आय सहायता और रोजगार सृजन बढ़ाना चाहिए।
- **जलवायु-अनुकूलन कृषि:** अल नीनो जैसे झटकों से निपटने के लिए सूक्ष्म-सिंचाई के विस्तार, सूखा-प्रतिरोधी बीजों और एग्री-स्टार्टअप्स में निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **निजी निवेश का विकेंद्रीकरण:**वर्तमान पूंजी निर्माण मुख्य रूप से बड़े कॉर्पोरेट्स तक सीमित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आसान और सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए क्योंकि वे सबसे बड़े रोजगार प्रदाता हैं।
- **सक्रिय राजकोषीय हस्तक्षेप:** o खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के बफर स्टॉक का कुशल प्रबंधन कर आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं (Supply chain bottlenecks) को दूर किया जाना चाहिए।

RBI की विदेशी मुद्रा अदला-बदली सुविधा (Forex Swap Facility) और रुपये का स्थिरीकरण

सुर्खियों में क्यों?

- सितंबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू की गई विशेष डॉलर-रुपया विदेशी मुद्रा अदला-बदली (स्वैप) सुविधा के तहत भारत में 136 अरब डॉलर से अधिक का भारी विदेशी मुद्रा प्रवाह दर्ज किया गया है।
- इसमें सबसे बड़ा योगदान अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा अनिवासी-बैंक [FCNR (B)] जमा (127.22 अरब डॉलर) का रहा है।
  - ❑ **FCNR (B) खाते:** अनिवासी भारतीयों के लिए विशेष जमा योजना, जहाँ धनराशि केवल स्वीकृत विदेशी मुद्रा (जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो) में ही जमा की जाती है।
- अप्रत्याशित और भारी डॉलर प्रवाह के कारण रिज़र्व बैंक को इस योजना को इसकी निर्धारित अंतिम तिथि (30 सितंबर) से पहले 31 अगस्त 2026 को ही बंद करना पड़ा।

विषय के बारे में

विदेशी मुद्रा अदला-बदली सुविधा:

- **परिभाषा:** यह रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा बाज़ार में तरलता को प्रबंधित करने का एक मौद्रिक उपकरण है।
- **संबंधित संस्था:** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)।
- **कार्यप्रणाली:** इस व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक बैंक विदेशी मुद्रा (जैसे डॉलर) रिज़र्व बैंक को सौंपते हैं और बदले में रुपये प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही, भविष्य की एक तय तारीख और दर पर इसे वापस अदला-बदली (उलटा लेन-देन) करने का समझौता होता है।
- **उद्देश्य:** बाज़ार में डॉलर की कमी को दूर करना और भारतीय रुपये को तेजी से गिरने (मूल्यह्रास) से रोकना।

मुख्य तथ्य

- **रुपये में गिरावट की पृष्ठभूमि (जून 2026):**कच्चे तेल की उच्च कीमतें: भारत अपनी तेल आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है। तेल महंगा होने से डॉलर की मांग अचानक बढ़ गई।
- **पूंजी का पलायन:** विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) द्वारा भारतीय शेयर बाज़ारों से भारी मात्रा में पूंजी निकालने से डॉलर देश से बाहर जा रहा था।
- **विदेशी मुद्रा प्रवाह के मुख्य स्रोत:** FCNR (B) जमा: यह केवल अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में खोला जाने वाला एक सावधि जमा खाता है।
- **बाह्य वाणिज्यिक उधारी :** भारतीय कॉर्पोरेट कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशी ऋणदाताओं से प्राप्त वाणिज्यिक ऋण।
- **विदेशी मुद्रा उधारी:** बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा विदेशी बाज़ारों से सीधे विदेशी मुद्रा में लिया गया ऋण।

महत्वपूर्ण आँकड़े

- **कुल विदेशी मुद्रा प्रवाह:** 136 अरब डॉलर से अधिक।
- **FCNR (B) जमा का योगदान:** 127.22 अरब डॉलर (सर्वाधिक)।
- **रुपये की विनिमय दर (जून 2026 में):** लगभग ₹94.97 प्रति डॉलर।
- **भारत की तेल आयात निर्भरता:** लगभग 85%।
- **ECB योजना की वर्तमान समय-सीमा:** 31 दिसंबर 2026 तक।
- **FCNR (B) योजना की समाप्ति तिथि:** 31 अगस्त 2026 (लक्ष्य समय से पूर्व पूरा होने के कारण बंद)

महत्व /प्रभाव

- **आर्थिक:** 136 अरब डॉलर की नई आपूर्ति से बाज़ार में डॉलर की तुलना में रुपये की मांग और आपूर्ति का संतुलन बेहतर हुआ, जिससे रुपये को मजबूती मिली।
- **रणनीतिक:** रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी उछाल आया है, जिससे भारत की आयात भुगतान क्षमता (आयात कवर) मजबूत हुई है।
- **अंतरराष्ट्रीय:** वैश्विक संकट और विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकाले जाने के बावजूद केवल 3 महीनों में भारी अनिवासी भारतीय निवेश (127.22 अरब डॉलर) भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत मूल तत्वों पर वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।

चुनौतियाँ / चिंताएँ

- **वित्तीय:** भविष्य में समझौते की परिपक्वता (समय पूरा होने) के समय रिज़र्व बैंक को बैंकों को भारी मात्रा में डॉलर वापस लौटाने होंगे, जो उस समय विनिमय दर का जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
- **भू-राजनीतिक:** कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक अस्थिरता भारत के चालू खाता घाटे पर स्थायी दबाव बनाए हुए है।
- **संरचनात्मक:** विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर अत्यधिक निर्भरता पूंजी के पलायन का जोखिम हमेशा बनाए रखती है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य

- **FCNR (B) खातों की मुद्रा:** यह खाता केवल विदेशी मुद्रा में रखा जाता है, इसे भारतीय रुपये में परिवर्तित नहीं किया जाता है।
- **विनिमय दर जोखिम:** FCNR (B) खातों में विनिमय दर के उतार-चढ़ाव का जोखिम खाताधारक (NRI) पर नहीं पड़ता क्योंकि धनराशि विदेशी मुद्रा में ही रहती है।
- **बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) ऋणदाता:** यह भारतीय कंपनियों द्वारा गैर-निवासी विदेशी ऋणदाता संस्थाओं से प्राप्त किया जाता है।
- **विदेशी मुद्रा का संरक्षक:** भारतीय रिज़र्व बैंक (FEMA, 1999 के अंतर्गत)

निष्कर्ष

रिज़र्व बैंक द्वारा सही समय पर लाई गई यह विदेशी मुद्रा अदला-बदली सुविधा एक अत्यंत सफल संकट प्रबंधन का उदाहरण है। इसने न केवल रुपये को तेजी से गिरने से बचाया है, बल्कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को ऐसी मजबूती दी है जो भविष्य के किसी भी बाहरी आर्थिक आघात को सोखने में पूरी तरह सक्षम है।

घरेलू नोटबुक उद्योग का संकट और उल्टा शुल्क ढाँचा

(Domestic Notebook Industry Crisis & Inverted Duty Structure)

सुर्खियों में क्यों?

- अखिल भारतीय नोटबुक निर्माता संघ ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से घरेलू नोटबुक उद्योग को संकट से बचाने के लिए सहायता की अपील की है।
- भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते के तहत शून्य सीमा शुल्क और जीएसटी दरों में संशोधन से विदेशी सस्ते उत्पादों के सामने घरेलू निर्माता प्रतिस्पर्धी संकट झेल रहे हैं।
- इस संकट से देश की लगभग 1,500 विनिर्माण इकाइयाँ और 1.25 लाख रोजगार प्रभावित हो रहे हैं।

विषय के बारे में

- **उल्टा शुल्क ढाँचा:** यह एक ऐसी कर स्थिति है जहाँ अंतिम उत्पाद पर लगने वाली कर या सीमा शुल्क दर, उसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर लगने वाली कर दर से कम होती है।
- **मूल सीमा शुल्क:** किसी देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर सीमाओं पर लगाया जाने वाला बुनियादी व्यापार शुल्क।
- **एकीकृत जीएसटी:** अंतर-राज्यीय व्यापार तथा भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर।
- **न्यूनतम आयात मूल्य:** सरकार द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम मूल्य जिससे कम कीमत पर किसी वस्तु के आयात की अनुमति नहीं होती, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाना होता है।
- **एंटी-डंपिंग शुल्क:** जब कोई विदेशी देश किसी उत्पाद को अपने घरेलू बाज़ार मूल्य से काफी कम कीमत पर निर्यात (डंप) करता है, तो घरेलू उद्योग के संरक्षण हेतु लगाया जाने वाला उपचारात्मक शुल्क।

मुख्य तथ्य

- **आसियान मुक्त व्यापार समझौता (India-ASEAN FTA) का प्रभाव:** इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया जैसे आसियान देशों से तैयार नोटबुक, अभ्यास पुस्तिकाएँ और लैब नोटबुक बिना किसी मूल सीमा शुल्क के भारत में प्रवेश कर सकती हैं।
- **जीएसटी संशोधन का परिणाम:**विद्यार्थियों पर वित्तीय बोझ कम करने के उद्देश्य से नोटबुक पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 0% (पूर्ण छूट) कर दी गई।घरेलू जीएसटी 0% होने के कारण आयातित नोटबुक पर लगने वाला एकीकृत जीएसटी (IGST) भी स्वचालित रूप से 0% हो गया।
- **उल्टा शुल्क ढाँचे का प्रभाव:** तैयार नोटबुक पर जीएसटी दर 0% है, जबकि इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल (कागज, बोर्ड, गोंद, सिलाई तार, पैकेजिंग, स्याही) पर 18% जीएसटी लागू है।अंतिम उत्पाद पर 0% जीएसटी होने के कारण निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते, जिससे यह 18% कर निर्माताओं के लिए एक गैर-वसूली योग्य लागत बन जाता है।
- **उद्योग संघ द्वारा प्रस्तावित प्रमुख माँगों में शामिल हैं:** नोटबुक आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) लागू करना। इंडोनेशिया से आयातित नोटबुक के खिलाफ एंटी-डंपिंग जाँच शुरू करना।निर्यात रिफंड तंत्र को सुव्यवस्थित करना। घरेलू पेपर मिलों द्वारा संभावित अनुचित लाभखोरी की जाँच करना।

महत्वपूर्ण आँकड़े

- **घरेलू विनिर्माण इकाइयाँ:** भारत भर में लगभग 1,500 इकाइयाँ।
- **रोजगार प्रभावित:** प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1.25 लाख कर्मचारी।
- **जीएसटी दर में बदलाव:** तैयार नोटबुक पर 12% से घटाकर 0% (Nil Rate)।
- **कच्चे माल पर जीएसटी:** 18% (कागज, गोंद, स्याही, पैकेजिंग सामग्री आदि पर)।
- **आसियान देशों से सीमा शुल्क (BCD):** 0% (मुक्त व्यापार समझौते के तहत)।

प्रभाव

- **आर्थिक:** उल्टा शुल्क ढाँचा घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुँचाता है और 'मेक इन इंडिया' पहल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।
- **प्रशासनिक:** व्यापार समझौतों (FTA) और घरेलू कर नीतियों (GST) के बीच तालमेल बिठाना आवश्यक है ताकि अनपेक्षित विसंगतियों से बचा जा सके।
- **सामाजिक:** MSME क्षेत्र की इकाइयों के बंद होने से 1.25 लाख श्रमिकों की आजीविका पर संकट आ सकता है।

चुनौतियां

- **संरचनात्मक विषमता:** 0% अंतिम कर दर निर्माताओं को कच्चे माल पर चुकाए गए 18% इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को क्लेम करने से रोकती है।
- **अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा:** इंडोनेशियाई पेपर मिलों को बड़े पैमाने के उत्पादन (Economies of scale) और सरकारी सब्सिडी वाले वानिकी कार्यक्रमों का लाभ मिलता है।
- **राजस्व एवं व्यापार हानि:** शून्य BCD और शून्य IGST के कारण विदेशी आयातकों को घरेलू निर्माताओं की तुलना में लागत में अनुचित बढ़त मिल जाती है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

- **उल्टा शुल्क ढाँचा (Inverted Duty Structure):** कच्चे माल पर कर दर > अंतिम उत्पाद पर कर दर।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नियम:** यदि अंतिम उत्पाद पूरी तरह से छूट प्राप्त (Exempt / 0%) है, तो उस पर चुकाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट रिफंड नहीं होता है।
- **भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौता (AIFTA):** भारत और 10 आसियान सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौता।
- **व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR):** वाणिज्य मंत्रालय के तहत एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग जाँच करने वाली नोडल एजेंसी।

निष्कर्ष

घरेलू नोटबुक उद्योग के समक्ष उत्पन्न संकट यह स्पष्ट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों और घरेलू कर सुधारों के बीच सूक्ष्म संतुलन कितना अनिवार्य है। उल्टा शुल्क ढाँचा दूर करने तथा न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) जैसे सुरक्षात्मक कदम उठाने से न केवल 1.25 लाख रोजगार सुरक्षित होंगे, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य भी सुदृढ़ होगा।

आरबीआई की ओवरनाइट वैरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामी और बैंकिंग तरलता प्रबंधन

सुर्खियों में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में मौजूद अत्यधिक अतिरिक्त तरलता को वापस खींचने के लिए 22 सितंबर 2026 को ओवरनाइट वैरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामी आयोजित की।
- इस 1-दिवसीय नीलामी के माध्यम से रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली से ₹71,971 करोड़ सोख लिए हैं।
- यह कदम अनिवासी भारतीय विदेशी मुद्रा गैर-निवासी [NRI FCNR (B)] जमा से हुए भारी विदेशी मुद्रा प्रवाह और सरकारी खर्च के कारण उत्पन्न अत्यधिक नकदी को संतुलित करने के लिए उठाया गया।

विषय के बारे में

- **परिभाषा:** वैरिएबल रेट रिवर्स रेपो वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी को अल्पकाल (1 दिन या उससे अधिक) के लिए रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं।
- **उद्देश्य:** बैंकिंग प्रणाली में अत्यधिक तरलता को अवशोषित करना, ओवरनाइट कॉल मनी रेट को नीतिगत रेपो दर के करीब संरेखित रखना और मुद्रास्फीति के दबावों पर नियंत्रण पाना।
- **कानूनी/संवैधानिक आधार:** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत तरलता समायोजन सुविधा का एक हिस्सा।

बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त तरलता के कारण:

- **FCNR (B) स्वैप आवक:** अनिवासी भारतीय (NRI) जमा योजना के तहत $133 अरब डॉलर का भारी विदेशी मुद्रा प्रवाह आया, जिसे बैंकों द्वारा RBI के साथ करेंसी स्वैप करने से घरेलू बाजार में रुपये की नकदी बढ़ी।
- **सरकारी व्यय:** केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महीने के अंत में वेतन, पेंशन और विकास परियोजनाओं के मद में किए गए भुगतानों से बैंकिंग तंत्र में नकदी का स्तर बढ़ा।
- **मौद्रिक प्रभाव:**ओवरनाइट कॉल मनी रेट को गिरने से बचाकर अल्पकालिक ब्याज दरों को स्थिरता प्रदान की गई।चूंकि यह ओवरनाइट सुविधा थी, इसलिए अवशोषित की गई राशि अगले ही दिन पुन: सिस्टम में लौट आती है, जिससे सतत तरलता प्रबंधन आवश्यक होता है।

महत्व /प्रभाव

- **आर्थिक:** बैंकिंग प्रणाली में सरप्लस लिक्विडिटी से बैंकों की अत्यधिक ऋण देने की क्षमता पर रोक लगती है, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित रहती है।
- **प्रशासनिक/मौद्रिक:** कॉल मनी मार्केट में ब्याज दरों को नीतिगत रेपो रेट के करीब संतुलित रखा जाता है, जिससे मौद्रिक नीति का प्रभावी संचार सुनिश्चित होता है।
- **वित्तीय स्थिरता:** विदेशी मुद्रा प्रवाह से उपजी अचानक नकदी की विसंगति को दूर कर अल्पकालिक मनी मार्केट दरों को गिरने से बचाया जाता है।

चुनौतियाँ

- **अल्पकालिक प्रभाव:** ओवरनाइट VRRR का असर केवल एक दिन के लिए होता है; अगले दिन यह धनराशि पुनः बैंकिंग प्रणाली में लौट आती है।
- **सतत नीलामी का दबाव:** तरलता को लगातार संतुलित रखने के लिए RBI को बार-बार 7-दिवसीय या ओवरनाइट नीलामियों का सहारा लेना पड़ता है।

ई-कॉमर्स संशोधन नियम 2026

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने डिजिटल बाज़ार में पारदर्शिता लाने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। यह नया ढांचा 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा।

संशोधनों के प्रमुख प्रावधान

- **मूल्य पारदर्शिता और छूट का नियम:** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स केवल "50% Off" जैसा बड़ा डिस्काउंट टैग नहीं दिखा सकेंगे। उन्हें उत्पाद की "पूर्व कीमत" भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी, ताकि उपभोक्ता को वास्तविक छूट का पता चल सके।
- **खोज परिणामों में हेरफेर पर रोक :**प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम के माध्यम से अपने स्वयं के ब्रांड्स या महंगे उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए खोज परिणामों में हेरफेर नहीं कर सकेंगे।प्रायोजित विज्ञापनों को अलग से स्पष्ट रूप से टैग करना अनिवार्य होगा।

- **डार्क पैटर्न पर नियंत्रण:**भ्रामक इंटरफेस (जैसे झूठी उलटी गिनती, बिना सहमति उत्पाद जोड़ना) के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ई-कॉमर्स कंपनियों को डार्क पैटर्न अनुपालन से संबंधित वार्षिक ऑडिट प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना होगा।
- **समयबद्ध शिकायत निवारण:** शिकायतों का निपटारा 1 माह के भीतर करना अनिवार्य होगा।शिकायत दर्ज होते ही उपभोक्ता को उसकी दर्ज शिकायत की एक आधिकारिक प्रति प्रदान की जाएगी। इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से एकीकृत किया जाएगा।
- **विक्रेता और उत्पाद विवरण:** उत्पाद की एक्सपायरी डेट, रिटर्न/रिफंड नीतियां, वारंटी और आयातित सामान के मामले में मूल देश तथा आयातक की पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा।
- **अनुचित बंडल शुल्क पर रोक:**प्लेटफॉर्म मुख्य सेवा से असंबद्ध अतिरिक्त या छिपे हुए शुल्क (Bundled Fees) नहीं वसूल सकेंगे, जब तक कि वह किसी लॉयल्टी या मेंबरशिप प्रोग्राम के तहत न हो।

महत्त्व

- **उपभोक्ता अधिकार संरक्षण:** फर्जी छूट, छिपाए गए शुल्क और डार्क पैटर्न जैसी पद्धतियों से ग्राहकों की सुरक्षा होगी।
- **प्रतिस्पर्धी बाज़ार:** छोटे विक्रेताओं को निष्पक्ष स्थान मिलेगा, क्योंकि बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों को खोज परिणामों में अनुचित लाभ नहीं दे पाएंगी।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** आयातित वस्तुओं की उत्पत्ति और शिकायतों के समयबद्ध समाधान से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय होगी।

चुनौतियाँ

- **अनुपालन लागत :** छोटे ई-कॉमर्स स्टार्ट-अप्स और प्लेटफार्मों के लिए कठोर ऑडिटिंग और टेक-ढांचा लागू करना खर्चीला हो सकता है।
- **डाटा सहमति और निजी ब्रांड्स:** डेटा गोपनीयता (DPDP Act) और निजी ब्रांड्स के प्रचार के बीच संतुलन बनाना प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए एक जटिल तकनीकी चुनौती होगी।
- **प्रवर्तन:** लाखों दैनिक लेनदेन वाले बाज़ार में एल्गोरिदम और खोज रैंकिंग के अनुपालन की निगरानी करना नियामकों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा।

आगे की राह

1. **सख्त तकनीकी निगरानी:** एल्गोरिदम हेरफेर की जाँच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑडिट टूल्स का उपयोग किया जाए।
2. **उपभोक्ता जागरूकता:** नए नियमों और अपने अधिकारों के प्रति आम नागरिकों में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।

EPFO वेज सीलिंग संशोधन (2026)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से वेज सीलिंग (Statutory Wage Ceiling) को ₹15,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने की अधिसूचना जारी की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी यह नया नियम 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गया है। वर्ष 2014 के बाद (जब इसे ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था) यह पहला संशोधन है, जिसका सीधा प्रभाव देश के करोड़ों संगठित और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों पर पड़ेगा।

वेज सीलिंग संशोधन के प्रमुख प्रावधान

- **अनिवार्य कवरेज का विस्तार:** ₹15,000 से अधिक और ₹25,000 तक की बेसिक सैलरी (+DA) वाले नए कर्मचारी अब अनिवार्य रूप से EPF, EPS (पेंशन योजना) और EDLI (बीमा योजना) के दायरे में आएंगे।
- **योगदान की नई सीमा :**
  - पहले ₹15,000 की सीलिंग पर कर्मचारी का अनिवार्य योगदान अधिकतम ₹1,800/माह (12%) था।
  - अब नई ₹25,000 की सीमा के तहत यह अनिवार्य योगदान बढ़कर अधिकतम ₹3,000/माह हो जाएगा।

- **नियोक्ता के अंशदान का आवंटन:**
  - नियोक्ता के 12% योगदान में से 8.33% हिस्सा पेंशन फंड (EPS) में जाएगा (अधिकतम ₹2,082.50)।
  - शेष 3.67% हिस्सा EPF खाते में जमा होगा।
- **बीमा एवं प्रशासनिक शुल्क:** EDLI (कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा) के तहत 0.5% का अंशदान भी अब ₹25,000 की बढ़ी हुई सीमा पर आकलित होगा।

आवश्यकता एवं महत्त्व

- **आर्थिक यथार्थ और मुद्रास्फीति:** पिछले 12 वर्षों (2014-2026) में औसत वेतन वृद्धि और जीवन-यापन की लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है। ₹15,000 की सीमा पुरानी पड़ चुकी थी।
- **श्रमबल का औपचारिकीकरण:** इस कदम से 1 करोड़ से अधिक नए कर्मचारियों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र में शामिल किया जा सकेगा।
- **दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति निधि:** पेंशन और पीएफ में अधिक योगदान से कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति कोष बड़ा होगा, जिससे वृद्धावस्था सुरक्षा मजबूत होगी।

प्रभाव एवं चुनौतियाँ

- टेक-होम सैलरी में कमी: जिन कर्मचारियों का पीएफ योगदान पहले ₹15,000 पर सीमित था, यदि उनकी बेसिक सैलरी ₹25,000 है, तो उनका पीएफ कटौतियाँ बढ़ने से इन-हैंड सैलरी ₹1,200/माह तक कम हो सकती है।
- **कंपनियों पर वित्तीय बोझ:**
  - नियोक्ताओं का अंशदान दायरा भी बढ़ेगा।
  - The Times of India की रिपोर्ट के अनुसार, श्रम मंत्रालय ने कंपनियों को निर्देश जारी किया है कि वे इस अतिरिक्त वैधानिक लागत का बोझ कर्मचारियों के CTC में कटौती करके उनके ऊपर न डालें, बल्कि इसे स्वयं वहन करें।
- **अनुपालन और पेरोल जटिलता:** कंपनियों के लिए मध्य-सितंबर से प्रभावी इस नियम के अनुसार अपने पेरोल सॉफ्टवेयर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर भुगतानों को तुरंत री-कैलिब्रेट करना एक बड़ी परिचालन चुनौती है।

आगे की राह

1. **मुद्रास्फीति से जुड़ाव:** भविष्य में वेज सीलिंग को एक निश्चित अवधि या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से सीधे जोड़ा जाना चाहिए ताकि इसे हर 10-12 साल में अचानक बढ़ाने के बजाय स्वतः समायोजित किया जा सके।
2. **सख्त प्रवर्तन और निगरानी:** श्रम विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनियाँ इस आड़ में कर्मचारियों का CTC या मूल वेतन न घटाएं।
3. **जागरूकता अभियान:** कर्मचारियों को यह समझाना आवश्यक है कि इन-हैंड वेतन में होने वाली यह मामूली कमी वास्तव में उनकी दीर्घकालिक पेंशन और बचत कोष को मजबूत कर रही है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)Central Board of Direct Taxes - CBDT)

चर्चा में क्यों

केंद्रीय बजट में घोषित आयकर अधिनियम, 1961 के पुनरीक्षण के तहत CBDT द्वारा गठित आंतरिक समिति ने सितंबर में आम जनता और हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए एक सार्वजनिक पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य आयकर कानून की भाषा को सरल बनाना और मुकदमों को कम करना है।

- **CBDT की संरचना:** यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
- **संरचना:** इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। (सदस्य: आयकर, राजस्व, सतर्कता, विधान, प्रणाली व ऑडिट, और अनुसंधान)।
- **दायित्व:** भारत में प्रत्यक्ष करों (जैसे-आयकर, कॉरपोरेट टैक्स) की नीति तैयार करना, संग्रह करना और आयकर विभाग के कामकाज का प्रशासन देखना।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति और वैश्विक वित्तीय बाजारों पर प्रभाव (US Fed Rate Hike & Global Impact)

सुर्खियों में क्यों?

- अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) की मौद्रिक नीति समिति ने 16 सितंबर 2026 की बैठक में ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट्स (0.25%) की बढ़ोतरी की।
- इसके साथ ही नीतिगत ब्याज दर (Fed Funds Rate) बढ़कर 3.75% से 4.00% के दायरे में पहुँच गई है।
- वर्ष 2023 के बाद यह पहला अवसर है जब फेडरल रिजर्व ने अपनी दरों में वृद्धि का निर्णय लिया है।

विषय के बारे में

- **फेड फंड्स रेट (Fed Funds Rate):** अमेरिका में ओवरनाइट अंतर-बैंक उधार के लिए फेडरल रिजर्व द्वारा तय की जाने वाली प्रमुख नीतिगत दर (भारत के रेपो रेट के समकक्ष)।
- **संघीय खुला बाज़ार समिति (FOMC):** फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बनाने वाली नोडल समिति जो वर्ष में 8 बार बैठक कर ब्याज दरों पर निर्णय लेती है।
- **हॉकिश रुख (Hawkish Stance):** मुद्रास्फीति/महंगाई पर नियंत्रण पाने हेतु ब्याज दरें बढ़ाने या कड़े मौद्रिक रुख का संकेत देना।
- **स्टिकी इन्फ्लेशन (Persistent Inflation):** ऐसी मुद्रास्फीति जो कड़े मौद्रिक उपायों के बावजूद आसानी से कम नहीं होती और लंबे समय तक उच्च स्तर पर बनी रहती है।

मुख्य तथ्य

- **ब्याज दर में वृद्धि के मुख्य कारण:**
  - ✓ स्टिकी इन्फ्लेशन तथा ऊर्जा की कीमतें: अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 2% के लक्षित स्तर से ऊपर बनी हुई थी, तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से इसके और बढ़ने का जोखिम था।
  - ✓ मजबूत लेबर मार्केट: अमेरिका में बेरोजगारी दर ~4.1% के निचले और मजबूत स्तर पर बनी रही, जिससे आर्थिक मंदी के जोखिम के बिना दरें बढ़ाने का अवसर मिला।

- **मौद्रिक रुख:**

✓ "Higher for Longer" रणनीति: फेड ने संकेत दिया कि 2026 के अंत तक दरें उच्च स्तर पर रहेंगी तथा वर्ष के अंत तक एक और 25 Bps बढ़ोतरी की संभावना है।

- **वैश्विक व भारतीय अर्थव्यवस्था (RBI) पर असर:**
  - ✓ **पूंजी का पलायन:** यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड आकर्षक होने से विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारत जैसे उभरते बाज़ारों से पूंजी निकालकर अमेरिका में निवेश किया।
  - ✓ **रुपये पर दबाव (USD vs INR):** डॉलर इंडेक्स मजबूत होने से भारतीय रुपये में मूल्यह्रास का दबाव बढ़ा।
  - ✓ **आयातित मुद्रास्फीति:** कमजोर रुपये के कारण कच्चे तेल और अन्य आयातों की लागत बढ़ी, जिससे RBI पर भी अपनी रेपो रेट ऊंची बनाए रखने का दबाव बना।

प्रभाव

- आर्थिक: अमेरिका में महंगे कर्ज से वैश्विक तरलता (Global Liquidity) में कमी आती है और विकासशील देशों में पूंजी की लागत बढ़ जाती है।
- अंतरराष्ट्रीय: वैश्विक वित्तीय चक्र में रुख में बदलाव से उभरते बाज़ारों (Emerging Markets) की मुद्राओं पर मूल्यह्रास का दबाव बढ़ता है।
- वित्तीय बाज़ार: शेयर बाज़ारों में अस्थिरता बढ़ती है और बॉन्ड यील्ड (Bond Yields) में उछाल आता है।

चुनौतियाँ

- **पूंजी की निकासी:** विकासशील देशों के शेयर एवं ऋण बाज़ारों से लगातार डॉलर की निकासी।
- **आयातित मुद्रास्फीति:** डॉलर मजबूत होने से भारत जैसे तेल-आयातक देशों का आयात बिल और चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ता है।
- **नीतिगत दुविधा:** केंद्रीय बैंकों के सामने आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति नियंत्रण (Inflation Management) के बीच संतुलन बनाने की चुनौती।

1. इंडोनेशिया का निकेल उत्पादन एवं वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति श्रृंखला (Indonesia's Nickel Production & Global Critical Minerals Supply Chain)

सुर्खियों में क्यों?

- विश्व का सबसे बड़ा निकेल उत्पादक देश इंडोनेशिया (वैश्विक आपूर्ति का 60% से अधिक) वर्ष 2025-26 में खनन कोटा प्रणाली (RKAB) में कटौती, वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव और पर्यावरणीय विवादों के कारण अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चा में रहा।
- इंडोनेशिया में चीनी निवेश से संचालित स्मेल्टर्स के कारण वैश्विक बाज़ार में 'क्लास-2 निकेल' की अत्यधिक आपूर्ति (Oversupply) हुई, जिससे ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी देशों की खदानें वित्तीय नुकसान के कारण बंद होने के कगार पर पहुँच गईं।
- इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) हेतु 'ग्रीन मेटल' निष्कर्षण में कोयला आधारित ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग और सुलावेसी एवं मालुकु द्वीपों में वनों की कटाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ESG (पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन) संबंधी चिंताएँ बढ़ गई हैं।

विषय के बारे में

- **क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज):** ऐसे खनिज (जैसे निकेल, लिथियम, कोबाल्ट) जो आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बैटरियों के निर्माण के लिए अति-आवश्यक होते हैं।
- **डाउनस्ट्रीमिंग नीति:** इंडोनेशिया सरकार की नीति जिसके तहत कच्चे खनिजों के सीधे निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर देश के भीतर ही उनके प्रसंस्करण को अनिवार्य बनाया गया है।
- **RKAB (रेंकाना केर्जा दान अंगगरन बियाया):** इंडोनेशियाई खनन मंत्रालय द्वारा खदानों को जारी किया जाने वाला वार्षिक कार्य योजना एवं बजट कोटा लाइसेंस, जो खनन सीमा निर्धारित करता है।
- **क्लास-2 निकेल:** निकेल पिग आयरन (NPI) और मैटे (Matte) जैसे कम शुद्धता वाले निकेल उत्पाद, जिनका उपयोग मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील और आंशिक रूप से बैटरी घटकों में होता है।

मुख्य तथ्य

- **आपूर्ति एवं बाज़ार पर इंडोनेशिया का प्रभुत्व:** इंडोनेशिया वैश्विक निकेल आपूर्ति के 60% से अधिक हिस्से का नियंत्रण करता है।इंडोनेशिया के प्रमुख निकेल खनन हब सुलावेसी और मालुकु द्वीप हैं।
- **खनन कोटे (RKAB) में कटौती का प्रभाव:** अत्यधिक दोहन रोकने और पर्यावरणीय मानकों हेतु इंडोनेशियाई खनन मंत्रालय ने RKAB लाइसेंस प्रक्रिया को धीमा किया, जिससे बाज़ार में अयस्क की संभावित कमी की चिंताएँ उत्पन्न हुईं।
- **चीन का दबदबा और अमेरिकी रणनीतिक चिंताएँ:** इंडोनेशिया के निकेल प्रोसेसिंग और स्मेल्टिंग क्षेत्र में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 70–80% है।अमेरिका के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट (IRA) के तहत चीनी घटकों वाले ईवी (EVs) को सब्सिडी से बाहर रखा गया है, जिसके कारण अमेरिका-इंडोनेशिया क्रिटिकल मिनरल्स समझौते में बाधा आ रही है।
- **पर्यावरणीय (ESG) अंतर्विरोध:** ईवी बैटरियों हेतु निकेल निष्कर्षण को 'ग्रीन' माना जाता है, परंतु इंडोनेशिया में स्मेल्टर्स चलाने के लिए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है।

प्रमुख प्रभाव

- **आर्थिक:** इंडोनेशिया ने 'डाउनस्ट्रीमिंग' नीति के माध्यम से कच्चे माल के निर्यात के बजाय उच्च-मूल्य संवर्धित निकेल उत्पादों का निर्यात कर घरेलू राजस्व बढ़ाया है।
- **पर्यावरणीय:** कोयला आधारित स्मेल्टिंग और व्यापक वनों की कटाई के कारण वैश्विक हरित ऊर्जा संक्रमण के कार्बन-न्यूट्रल दावों पर सवाल उठ रहे हैं।
- **भू-राजनीतिक/रणनीतिक:** निकेल आपूर्ति पर चीन के एकाधिकार जैसे नियंत्रण से पश्चिमी देश आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण हेतु दबाव बना रहे हैं।

चिंताएँ

- **कीमतों में गिरावट:** अत्यधिक आपूर्ति के कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलेडोनिया जैसे देशों में उच्च-लागत वाली खदानें बंद हो रही हैं।
- **पर्यावरणीय एवं समुद्री प्रदूषण:** खनन अपशिष्ट और समुद्री निपटान के कारण तटीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्रवाल भित्तियों को भारी नुकसान हो रहा है।
- **भू-राजनीतिक खींचतान:** चीनी स्वामित्व के कारण इंडोनेशियाई निकेल को अमेरिकी और यूरोपीय बाज़ारों में सब्सिडी और प्रवेश प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

1. वैश्विक सल्फर (गंधक) मूल्य वृद्धि एवं आपूर्ति श्रृंखला संकट (Global Sulphur Price Surge & Supply Chain Crisis)

सुर्खियों में क्यों?

- सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में दानेदार सल्फर की दरें बढ़कर $315 से $340 प्रति टन के उच्च स्तर पर पहुँच गईं।
- भारतीय तेल रिफाइनरियों में रख-रखाव संबंधी शटडाउन के कारण घरेलू आपूर्ति घटने से भारतीय उर्वरक कंपनियों को महंगे आयात पर निर्भर होना पड़ा।
- इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए निकेल और कॉपर निष्कर्षण हेतु सल्फ्यूरिक एसिड की बढ़ती माँग और लाल सागर लॉजिस्टिक्स संकट ने सल्फर की वैश्विक तंगी को और बढ़ा दिया।

विषय के बारे में

- **परिभाषा:** सल्फर (गंधक) एक गैर-धात्विक तत्व है, जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम रिफाइनिंग और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण के दौरान उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।
- **प्राथमिक उपयोग:** सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में, जिसका उपयोग फॉस्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन तथा बैटरी धातुओं (निकेल, कॉपर) के खनन एवं निष्कर्षण में होता है।
- **हाइ-प्रेशर एसिड लीचिंग:** एक औद्योगिक प्रक्रिया जिसमें निम्न-ग्रेड निकेल-कोबाल्ट अयस्क से शुद्ध धातु निकालने के लिए उच्च तापमान और दाब पर अत्यधिक सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मूल्य वृद्धि के कारण

- ✓ **उच्च माँग:** चीन, ब्राज़ील और भारत जैसे प्रमुख आयातक देशों द्वारा रबी/कृषि मौसम हेतु आक्रामक खरीद।
- ✓ **EV क्षेत्र से नई माँग:** इंडोनेशिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो में EV बैटरी-ग्रेड निकेल/कॉपर निकालने के लिए संयंत्रों द्वारा सल्फर की भारी मात्रा में खपत।

घरेलू भारतीय बाज़ार पर प्रभाव:

- ✓ **रिफाइनरी आउटेज:** बीपीसीएल (BPCL Kochi) और सीपीसीएल (CPCL Manali) में मेंटेनेंस शटडाउन से घरेलू उत्पादन में गिरावट।
- ✓ **आयात पर निर्भरता:** परादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड और कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसी उर्वरक कंपनियों को $320–$340/टन CFR दर पर महँगा सल्फर आयात करना पड़ा।

लॉजिस्टिक्स और मालभाड़ा (Freight) संकट:

- ✓ **लाल सागर संकट:** समुद्री जहाजों के मार्ग परिवर्तन (Cape of Good Hope से होकर) तथा उच्च बीमा प्रीमियम के कारण मध्य-पूर्व और कनाडा से एशिया तक शिपिंग लागत बढ़ी।

प्रमुख प्रभाव

- ✓ **आर्थिक:** कच्चे माल (सल्फर) की लागत बढ़ने से फॉस्फेटिक उर्वरक निर्माताओं का मार्जिन प्रभावित होता है और सरकारी सब्सिडी बिल पर दबाव बढ़ता है।
- ✓ **रणनीतिक:** सल्फर का दोहरा उपयोग—खाद्य सुरक्षा (उर्वरक) और हरित ऊर्जा संक्रमण (EV बैटरी निष्कर्षण)—इसे एक क्रिटिकल कमोडिटी बनाता है।
- ✓ **अंतर्राष्ट्रीय:** वैश्विक ऊर्जा संक्रमण और कृषि बाज़ारों के बीच कच्चे माल की सीधी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रही है।

चुनौतियाँ

- **संरचनात्मक आयात निर्भरता:** भारत में घरेलू उत्पादन रिफाइनरी चक्रों पर निर्भर है, जिससे रिफाइनरी शटडाउन के समय अचानक तंगी पैदा हो जाती है।
- **मूल्य अस्थिरता एवं लॉजिस्टिक्स जोखिम:** लाल सागर जैसे भू-राजनीतिक संकटों से मालभाड़ा बढ़ने से आयातित उर्वरकों की अंतिम लागत बढ़ जाती है।
- **क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा:** EV बैटरी क्षेत्र द्वारा उच्च दरों पर सल्फर खरीदने से उर्वरक उद्योग को लागत प्रतिस्पर्धा में नुकसान उठाना पड़ता है।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate – MDR) और यूपीआई का नया फ्रेमवर्क 2026

चर्चा में क्यों?

सितंबर 2026 में, भारत सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के लिए एक नया MDR फ्रेमवर्क अधिसूचित किया है, जो 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो रहा है। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने इस नए नियम पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे यह विषय आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) क्या है?

- MDR वह शुल्क (Fee) है जो एक व्यापारी अपने ग्राहकों से डिजिटल माध्यमों (क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड) के जरिए भुगतान स्वीकार करने के बदले बैंकों और पेमेंट गेटवे प्रदाताओं को चुकाता है।
- **वितरण:** एकत्रित किए गए MDR को मुख्य रूप से तीन हितधारकों में विभाजित किया जाता है।
- **इश्यूइंग बैंक:** वह बैंक जिसने ग्राहक का खाता/कार्ड जारी किया है।
- **एक्वायरिंग बैंक (Acquiring Bank):** वह बैंक जिसने मर्चेंट का डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे QR कोड या POS मशीन) स्थापित किया है।
- **नेटवर्क गेटवे/प्रदाता:** जैसे NPCI (UPI/RuPay के लिए), Visa, या Mastercard।

नए यूपीआई MDR फ्रेमवर्क (2026) के मुख्य बिंदु

- **विधिक संशोधन (Legal Amendment):** केंद्र सरकार ने Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A में संशोधन करके नया नियम लागू किया है।
- **₹2,000 की थ्रेशोल्ड (Threshold):** नया 0.4% MDR केवल ₹2,000 से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई पेमेंट्स पर ही लागू होगा। ₹2,000 या उससे कम के सभी ट्रांजैक्शन पूरी तरह नि:शुल्क (0% MDR) रहेंगे।
- **अधिकतम सीमा (Caping):** प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम MDR सीमा ₹300 निर्धारित की गई है।

अपवाद और विशेष श्रेणियां

- **P2P ट्रांसफर:** दो व्यक्तियों के बीच होने वाला सामान्य मनी ट्रांसफर (Peer-to-Peer) हमेशा की तरह 0% शुल्क पर रहेगा।
- **लघु व्यापारी (P2PM):** जिन छोटे व्यापारियों की यूपीआई से मासिक आय ₹1 लाख तक है, उन्हें इस शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।
- **आवश्यक सेवाएं (Utilities):** रेलवे, ईंधन (Fuel), बीमा (Insurance), और टेलीकॉम जैसी श्रेणियों में प्रतिशत के बजाय ₹5 का फ्लैट चार्ज (Flat Fee) लगेगा।
- **कैपिटल मार्केट:** म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश के लिए ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर केवल 0.02% MDR देय होगा।

ग्राहकों और मर्चेंट्स पर विनियामक प्रभाव

- **उपभोक्ता संरक्षण:** नए नियमों के तहत बैंक या मर्चेंट इस MDR शुल्क का वित्तीय बोझ ग्राहकों पर स्थानांतरित नहीं कर सकते। ग्राहकों के लिए यूपीआई का उपयोग पूर्णत: नि:शुल्क रहेगा।
- **प्लेटफॉर्म शुल्क पर प्रतिबंध:** यूपीआई ऐप्स भुगतान के समय कोई अतिरिक्त 'प्लेटफॉर्म शुल्क' नहीं जोड़ पाएंगे।
- **डिजिटल भुगतान अवसंरचना विकास कोष:** प्राप्त होने वाले कुल MDR का 5% हिस्सा एक विशेष कोष में स्थानांतरित किया जाएगा। इसका उपयोग टीयर-3 से टीयर-6 (ग्रामीण और अर्ध-शहरी) क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना के विस्तार, साइबर सुरक्षा और फ्रॉड रोकने के लिए किया जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

GSLV-F17 और EOS-05 मिशन

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से देश के पहले समर्पित भू-तुल्यकालिक इमेजिंग उपग्रह EOS-05 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है।

मिशन का अवलोकन

- **प्रक्षेपण तिथि:** 4 सितंबर, 2026
- **प्रक्षेपण स्थल:** सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा
- **प्रक्षेपण यान:** GSLV-F17 (जीएसएलवी की 19वीं उड़ान)
- **उपग्रह:** EOS-05 (Earth Observation Satellite-05) जिसे पूर्व में GISAT-1 के नाम से भी जाना जाता था।
- **वजन:** 2,367 किलोग्राम, (GSLV द्वारा प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी पेलोड)।
- **लक्षित कक्षा:** उप-भू-तुल्यकाली अंतरण कक्षा (Sub-Geosynchronous Transfer Orbit - Sub-GTO), जहां से उपग्रह अपने ऑनबोर्ड मोटरों का उपयोग कर अंतिम भू-तुल्यकालिक कक्षा (GEO - ~36,000 किमी) में स्थापित होगा।

EOS-05 उपग्रह की प्रमुख विशेषताएं

- **पहला समर्पित जियो-इमेजिंग सैटेलाइट:** यह भू-तुल्यकालिक कक्षा से काम करने वाला भारत का पहला समर्पित पृथ्वी अवलोकन/इमेजिंग उपग्रह है। परंपरागत रूप से, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को 'लो अर्थ ऑर्बिट' (LEO) में स्थापित किया जाता है।
- **पेलोड क्षमता:** यह उन्नत ऑप्टिकल और इंफ्रारेड इमेजिंग पेलोड से सुसज्जित है।
- **रियल-टाइम इमेजरी :** चूँकि यह GEO (36,000 किमी ऊंचाई) में स्थित रहेगा, यह पृथ्वी के घूर्णन की गति से तालमेल मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप पर लगातार नजर रख सकेगा। यह हर 30 मिनट में भारतीय क्षेत्र की तस्वीरें अपडेट कर सकता है।

महत्व: GEO इमेजिंग मौसम संबंधी तीव्र आपदाओं (जैसे बादल फटना, चक्रवात, अचानक बाढ़ और जंगल की आग) की उच्च-आवृत्ति और निरंतर ट्रैकिंग में बेहद मददगार साबित होती है, जहां राहत कार्यों के लिए हर घंटे के अपडेट महत्वपूर्ण होते हैं।

ISRO का CE20 क्रायोजेनिक इंजन हॉट टेस्ट

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 9 सितंबर 2026 को LVM3 लॉन्च व्हीकल के सातवें ऑपरेशनल मिशन LVM3-M7 के लिए निर्धारित क्रायोजेनिक इंजन का सफल उड़ान स्वीकृति हॉट परीक्षण (Flight Acceptance Hot Testing) संपन्न किया।

मुख्य बिंदु:

- **परीक्षण स्थल:** यह परीक्षण ISRO प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (IPRC), महेंद्रगिरि (तमिलनाडु) के मुख्य इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी में किया गया।
- **नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम (NPS):** उच्च ऊंचाई के लिए डिज़ाइन किए गए नोजल वाले इस अपर स्टेज इंजन का समुद्र-स्तरीय परिस्थितियों में परीक्षण करने के लिए NPS का उपयोग किया गया, जो वैक्यूम जैसी उड़ान स्थितियों का अनुकरण करता है।
- **उन्नत थ्रस्ट स्तर:** LVM3 की पेलोड ले जाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भविष्य के मिशनों में CE20 इंजन को 22 टन के बढ़े हुए थ्रस्ट स्तर पर संचालित C32 चरण के साथ नियोजित किया गया है।
    - CE20 क्रायोजेनिक अपर-स्टेज इंजन है। यह पूरी तरह से भारत में बना इंजन है।

- **गगनयान का घटक:** इस परीक्षण के दौरान गगनयान मिशन के C32 चरणों के लिए लक्षित 'LOX टैंक प्रेशराइज्ड मॉड्यूल' (LTPM) का प्रदर्शन भी सफलतापूर्वक किया गया।
- **लॉन्च शेड्यूल:** इस इंजन को रिफर्बिश करके 2026 की चौथी तिमाही में निर्धारित LVM3 M7 मिशन के C32 फ्लाइट स्टेज में जोड़ा जाएगा।
- **डेवलपर:** यह इंजन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर, वलियामला द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
- **प्रोपेलेंट (इंधन और ऑक्सीकारक):**
  - **फ्यूल:** लिक्विड हाइड्रोजन (≈ -253°C से -265°C)
  - **ऑक्सीकारक:** लिक्विड ऑक्सीजन (≈ -183°C से -240°C)

भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास क्रायोजेनिक इंजन तकनीक है (विश्व के ऐसे 6 देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जापान और भारत शामिल हैं)।

पेरिस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस के ग्रैंड पैलैस में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 90 देशों ने हिस्सा लिया और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए 50 से अधिक परियोजनाओं पर सहमति बनी।

मुख्य बिंदु और प्रमुख घोषणाएँ:

- **स्थान और वर्ष:** यह अपनी तरह का पहला वैश्विक अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन था जो सितंबर 2026 में पेरिस में हुआ।
- **आयोजक और सह-अध्यक्षता:** इसका आयोजन Élysée (फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय) द्वारा किया गया और इसमें जर्मनी ने सह-अध्यक्ष की भूमिका निभाई।
- **केंद्रीय विषय:** शिखर सम्मेलन का मुख्य ध्यान अंतरिक्ष स्थिरता, अंतरिक्ष मलबे को कम करना, सुरक्षित अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन, अंतरिक्ष का वाणिज्यीकरण और जिम्मेदार वैश्विक शासन पर था।

- **परियोजनाएं और निवेश:** इस दो दिवसीय सम्मेलन में 50 से अधिक संयुक्त अंतरिक्ष परियोजनाओं और अरबों डॉलर के निवेश के साथ-साथ साझा वैश्विक नियमों में सुधार के तरीकों पर चर्चा की गई।
- **निजी अंतरिक्ष मिशन:** ग्रीस के फ्लाइट सर्जन एड्रियानोस गोलेमी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए निजी अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले ग्रीस के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में घोषित किया गया।
- **स्पेसएक्स का मिशन:** यह उड़ान 'वैस्ट' नामक अमेरिकी निजी एयरोस्पेस कंपनी के मिशन का हिस्सा होगी, जिसके कमांडर फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेस्के होंगे और इसे 2027 में स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा।
- **भारत की भागीदारी:** इस शिखर सम्मेलन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायण के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया और विभिन्न वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

वेकफील्ड त्वरक (Wakefield Accelerator)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भौतिकी और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में चर्चा में रहे वेकफील्ड त्वरक (Wakefield Accelerator) पारंपरिक विशालकाय कण त्वरकों (जैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर) का एक बेहद संक्षिप्त और कॉम्पैक्ट विकल्प प्रदान करते हैं।

मुख्य बिंदु और कार्यप्रणाली:

- **परिभाषा:** वेकफील्ड त्वरक एक ऐसी उन्नत तकनीक है जिसका उपयोग आवेशित कणों को बहुत कम दूरी में अत्यधिक उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में एक तीव्र लेजर पल्स या कण बीम को आयनित गैस या प्लाज्मा के माध्यम से गुजारा जाता है।
- **कार्य करने का तरीका:** जब उच्च ऊर्जा वाला लेजर या इलेक्ट्रॉन बीम प्लाज्मा से गुजरता है, तो यह अपने रास्ते के हल्के इलेक्ट्रॉनों को पीछे धकेल देता है, जबकि भारी आयन लगभग स्थिर रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्लाज्मा में एक तीव्र दोलन तरंग (plasma wave) या 'वेक' बनती है। इस प्लाज्मा तरंग से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक मजबूत विद्युत क्षेत्रों का उपयोग करके आवेशित कणों को बहुत कम दूरी में उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है।

पारंपरिक त्वरकों से यह किस प्रकार भिन्न है?

- **पारंपरिक त्वरक:** लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) जैसे पारंपरिक रेडियो-फ्रीक्वेंसी त्वरकों में कणों को त्वरित करने के लिए लंबी दूरी (कई किलोमीटर) की आवश्यकता होती है।
- **वेकफील्ड त्वरक:** यह पारंपरिक मशीनों की तुलना में बेहद कम दूरी में हजारों गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिससे भविष्य में छोटे और किफायती कण त्वरक बनाना संभव हो सकता है।
- **मुख्य बल:** इसमें त्वरण मुख्य रूप से प्लाज्मा तरंगों से जुड़े विद्युत क्षेत्रों के कारण होता है, न कि चुंबकीय क्षेत्रों से।

महत्व: इसका उपयोग भविष्य में मूलभूत कण भौतिकी के अध्ययन के साथ-साथ चिकित्सा (जैसे कैंसर उपचार) और सामग्री विज्ञान में किया जा सकता है।

दुर्लभ बीमारियाँ (Rare Diseases)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जिस प्रकार भारत ने दुनिया को किफायती जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई हैं, उसी प्रकार दुर्लभ बीमारियों (Rare Diseases) की दवाओं को सुलभ और किफायती बनाना भारत का अगला बड़ा वैश्विक फार्मास्युटिकल अवसर हो सकता है।

दुर्लभ रोग क्या हैं?

- दुर्लभ रोग ऐसी स्वास्थ्य स्थितियाँ हैं जिनका प्रचलन आम बीमारियों की तुलना में बहुत कम होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, यह एक दुर्बल करने वाला जीवन भर का विकार है।
- **आनुवंशिक प्रकृति:** अधिकांश (लगभग 95%) दुर्लभ रोग आनुवंशिक होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं।
- **प्रमुख बीमारियाँ:** हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पोम्पे रोग, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और गौचर रोग।

दायरा:

- दुनिया भर में ऐसी लगभग 8,000 दुर्लभ बीमारियाँ हैं।
- भारत में 1,004 दुर्लभ आनुवंशिक विकार रिपोर्ट किए गए हैं।
- भारत में अनुमानित 5 करोड़ से 10 करोड़ लोग दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनमें से लगभग 75% से 80% बच्चे हैं।

भारत के लिए अवसर:

- **रोगी आधार और क्लीनिकल ट्रायल:** 1.4 अरब से अधिक की आबादी और अंतर्विवाह (Endogamy) की उच्च दरों के कारण भारत में विशिष्ट दुर्लभ बीमारियों का प्रसार अधिक है, जो क्लीनिकल ट्रायल के लिए पर्याप्त रोगी समूह प्रदान करता है।
- **नियामक प्रावधान:** CDSCO के 'न्यू ड्रग्स एंड क्लीनिकल ट्रायल्स रूल्स, 2019' (नियम 101) के तहत अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अनुमोदित देशों की स्वीकृत दवाओं को भारत में तेज गति से स्वीकृति मिलने का मार्ग प्रशस्त होता है।
- **राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021 (NPRD):**
  - इसके तहत नामित उत्कृष्टता केंद्रों में इलाज कराने वाले रोगियों को प्रति मरीज ₹50 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
  - आयात शुल्क में छूट और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) जैसी योजनाओं के माध्यम से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है।

नोट: हर साल 28 फरवरी (लीप वर्ष में 29 फरवरी) को दुर्लभ रोग दिवस (Rare Disease Day) मनाया जाता है।

अंतरिक्ष में हथियार और 'स्पेस कंट्रोल' की रणनीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में 'स्पेस कंट्रोल' हथियारों की तैनाती की आधिकारिक स्वीकारोक्ति ने वैश्विक भू-राजनीति, अंतरिक्ष सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्षेत्र में एक नई बहस को जन्म दिया है।

'स्पेस कंट्रोल' क्या है?

अंतरिक्ष में अपनी परिचालन स्वतंत्रता को बनाए रखना और दुश्मन को इसका लाभ उठाने से रोकना। इसके दो भाग हैं:

- **रक्षात्मक (Defensive):** अपने उपग्रहों और संचार प्रणालियों को दुश्मन के साइबर हमलों, जैमिंग या मिसाइलों से बचाना।
- **आक्रामक (Offensive):** आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन के सैन्य या खुफिया उपग्रहों को निष्क्रिय, बाधित या नष्ट करना।

अमेरिका के इस कदम के कारण

- **चीन और रूस से चुनौती:** चीन (2007 A-SAT टेस्ट के बाद से) और रूस द्वारा अंतरिक्ष के तेजी से किए जा रहे सैन्यीकरण का मुकाबला करना।
- **युद्ध का पाँचवाँ क्षेत्र (Fifth Domain):** थल, जल, नभ और साइबर के बाद अंतरिक्ष को अब आधिकारिक युद्धक्षेत्र माना गया है।
- **गोल्डन डोम योजना:** राष्ट्रपति ट्रंप की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष-आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली का हिस्सा।

अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत की स्थिति

- **बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967:** यह संधि अंतरिक्ष में केवल सामूहिक विनाश के हथियारों जैसे परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है। यह पारंपरिक हथियारों, लेजर या साइबर हथियारों पर मौन है, जिसका लाभ देश उठा रहे हैं।
- **PAROS:** अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने के लिए PAROS (Prevention of an Arms Race in Outer Space) UN का एक प्रस्तावित समझौता, जो अभी तक लागू नहीं हो सका है।
- **भारत का रुख:** भारत अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थक है। हालांकि, रणनीतिक संतुलन के लिए भारत ने 2019 में 'मिशन शक्ति' के तहत एंटी-सैटेलाइट (A-SAT) परीक्षण कर अपनी क्षमता सिद्ध की थी।

प्रमुख चिंताएं

- **केसलर सिंड्रोम:** अंतरिक्ष में हथियारों के प्रयोग से मलबे (Space Debris) का अत्यधिक बढ़ना, जिससे भविष्य के उपग्रहों के लिए खतरा पैदा होना।

तुर्किये और आर्टेमिस समझौते

चर्चा में क्यों?

तुर्किये हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 71वां हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया है, जिससे यह इस वैश्विक ढांचे में शामिल होने वाला मध्य पूर्व का 7वां देश बन गया है।

आर्टेमिस समझौता क्या है?

- **प्रकृति:** यह चंद्रमा, मंगल और उससे आगे के नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण को सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने के लिए स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी (Non-binding) सिद्धांतों का एक समूह है। यह कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है।
- **शुरुआत:** इसे वर्ष 2020 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।

- **संस्थापक सदस्य:** इसके 8 प्रारंभिक संस्थापक सदस्य थे—संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और यूनाइटेड किंगडम (UK)।
- **कानूनी आधार:** यह समझौता मुख्य रूप से वर्ष 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि के सिद्धांतों पर आधारित
- **उद्देश्य:** शांतिपूर्ण उद्देश्य, डेटा और नीतियां साझा करने में पारदर्शिता, अंतरसंचालनीयता, आपातकालीन सहायता, अंतरिक्ष विरासत का संरक्षण और अंतरिक्ष मलबे का शमन।

अन्य तथ्य

- **भारत की स्थिति:** भारत जून 2023 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बना था।
- **महत्वपूर्ण अंतर:** आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष प्रशासन के लिए एक राजनीतिक मार्गदर्शिका है, जबकि आर्टेमिस कार्यक्रम नासा का एक वास्तविक अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत इंसानों को दोबारा चंद्रमा की सतह पर भेजने और वहां एक स्थायी चंद्र बेस बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत में मेलेनोमा (त्वचा का कैंसर) और शुरुआती निदान की चुनौती

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विशेषज्ञों द्वारा यह रेखांकित किया गया है कि भारत में मेलेनोमा के प्रकट होने का तरीका पश्चिमी देशों से काफी अलग है, जिसके कारण शुरुआती चरण में इसकी पहचान न हो पाना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।

मेलेनोमा क्या है?

- यह त्वचा के कैंसर का सबसे गंभीर और घातक रूप है।
- यह त्वचा को रंग देने वाली कोशिकाओं मेलानोसाइट्स से विकसित होता है।
- त्वचा कैंसर से होने वाली अधिकांश मौतों के लिए यही बीमारी जिम्मेदार होती है।

पश्चिमी देशों से भिन्न कैसे ?

पश्चिमी देशों में मेलेनोमा अक्सर धूप (UV किरणों) के संपर्क में आने वाली त्वचा पर तिल के रूप में दिखाई देता है। इसके विपरीत, भारत में यह सबसे अधिक पैरों के तलवों या नाखूनों के नीचे पाया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में इसे 'एक्रल लेंटिजिनस मेलेनोमा' कहा जाता है।

शुरुआती निदान की चुनौती

- **गलत पहचान:** तलवों या नाखूनों के घाव को लोग सामान्य चोट, फंगल इन्फेक्शन या डायबिटिक अल्सर समझ लेते हैं।
- **देरी:** समय पर बायोप्सी न होने से कैंसर अंतिम अवस्था (मेटास्टेसिस) में पहुँच जाता है।
- **अभियानों में चूक:** भारत में जागरूकता संदेश केवल धूप से बचने पर केंद्रित हैं, तलवों की जाँच पर नहीं।

आधुनिक उपचार तकनीकें

- **इम्यून-चेकपॉइंट ब्लॉकेड:** जेम्स एलिसन और तासुकु होंजो (नोबेल विजेता) की खोज। दवा का उदाहरण: पेम्ब्रोलिजुमबा (प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करती है)।
- **mRNA वैक्सीन:** उच्च जोखिम वाले मेलेनोमा के लिए 'इंटिसमेरान' वैक्सीन के सकारात्मक परिणाम।
- **सटीक चिकित्सा:** इसके लिए Next-Generation Sequencing (NGS) और TIL थेरेपी का उपयोग।
- **प्राथमिक इलाज:** शुरुआती चरण में केवल सर्जरी (ट्यूमर हटाना)।

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के लिए स्टेम सेल थेरेपी और नए दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने भारत में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के उपचार के रूप में स्टेम सेल थेरेपी के व्यावसायिक और सामान्य उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इसे किसी भी रूप में 'मानक देखभाल' के तौर पर विज्ञापित या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

प्रमुख बिंदु और कानूनी स्थिति

- **सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय:**
  - यश चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि स्टेम सेल थेरेपी को केवल सरकार द्वारा स्वीकृत नैदानिक परीक्षणों (Clinical Trials) के दायरे में ही रखा जा सकता है। इसके बाहर ऑटिज्म के इलाज के रूप में इसे पेश करना अवैध है।
- **केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सख्त एडवाइजरी:**
  - मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी के व्यावसायिक विज्ञापनों और अनधिकृत उपयोग पर तुरंत रोक लगाएं।

- **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) का रुख:**
  - NMC ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों के बाहर या बिना अनुमति के स्टेम सेल थेरेपी देने वाले अस्पतालों, क्लीनिकों और डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- **मानक उपचार की वर्तमान स्थिति:**
  - ICMR के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में स्टेम सेल थेरेपी को केवल कुछ विशिष्ट हेमेटोलॉजिकल विकारों के लिए ही मान्यता प्राप्त है।
  - मान्यता प्राप्त बीमारियां: रक्त कैंसर, लिम्फोमा, एप्लास्टिक एनीमिया और बोन मैरो से जुड़े रोग।
  - ऑटिज्म या अन्य न्यूरो-डेवलपमेंटल स्थितियों के लिए मेसेनकाइमल या अन्य प्रकार के स्टेम सेल प्रत्यारोपण की सिफारिश बिल्कुल नहीं की जाती है।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में स्टेम सेल अनुसंधान, दिशा-निर्देशों और इसके नियमन का कार्य संयुक्त रूप से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा किया जाता है।

निष्कर्ष: भारत में ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी का व्यावसायिक उपयोग अवैध है। स्टेम सेल का उपयोग केवल स्वीकृत हेमेटोलॉजिकल रोगों के लिए एक 'मानक उपचार' है, जबकि ऑटिज्म जैसी स्थितियों के लिए यह केवल अनुसंधान/क्लिनिकल ट्रायल तक ही सीमित है।

टेस्ला साइबरकैब रोबोटैक्सी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने अपनी बहुप्रतीक्षित पूर्णतः स्वायत्त और ड्राइवरलेस कार 'साइबरकैब' को अमेरिकी सड़कों पर व्यावसायिक तौर पर लॉन्च किया है। इसके साथ ही यह वाहन अमेरिकी सुरक्षा नियामकों की कड़ी सुरक्षा जांच के दायरे में भी आ गया है।

प्रमुख बिंदु:

- **स्वरूप:** यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित 2-सीटर इलेक्ट्रिक रोबोटैक्सी है, जिसे बिना ड्राइवर के परिवहन सेवा देने के उद्देश्य से बनाया गया है।
- **तकनीकी विशेषता:** यह रोबोटैक्सी बाजार में मौजूद अन्य प्रतिस्पर्धियों की तरह महंगे लिडार (LiDAR) और रडार सेंसर का उपयोग करने के बजाय पूरी तरह से कैमरों पर निर्भर करती है
- **चार्जिंग तकनीक:** साइबरकैब में पारंपरिक चार्जिंग प्लग के बजाय वायरलेस इंडक्टिव चार्जिंग तकनीक का उपयोग किया गया है।
- **लागत:** कंपनी के अनुसार, इसकी परिचालन लागत लगभग $0.20 प्रति मील (काफी सस्ती) रहने का अनुमान है।

नियामक चुनौतियाँ: जहाँ वैश्विक स्तर पर स्वायत्त वाहनों के लिए लिडार (लेजर-आधारित दूरी मापन) को सुरक्षित माना जाता है, वहीं टेस्ला का केवल कैमरों पर निर्भर रहना एक विवाद का विषय है। हाल ही में यह बात सामने आई कि धुंधले या अंधेरे माहौल में यह प्रणाली पालतू जानवरों या छोटी वस्तुओं को पहचानने में कठिनाई महसूस करती है।

भारत के संदर्भ में इसका महत्व: भारत वर्तमान में ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) और कनेक्टेड मोबिलिटी तकनीकों को अपना रहा है। भारत की सड़कों की अनियंत्रित परिस्थितियाँ, पैदल यात्रियों की भारी संख्या और बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण पूर्णत: स्वायत्त (Level 5 Automation) वाहनों को भारतीय सड़कों पर लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है।

ई-कॉमर्स नए नियम और उपभोक्ता संरक्षण

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2026 को 9 सितंबर 2026 को अधिसूचित किया है। ये नए नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे।

मुख्य बिंदु और नए नियम:

- **शिकायत निवारण:** ई-कॉमर्स कंपनियों के शिकायत अधिकारी को उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति की सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होगी और एक महीने के भीतर शिकायत का समाधान करना होगा।
- **मूल्य प्रदर्शन:** छूट की घोषणा करते समय विक्रेताओं को वस्तु या सेवा की कम की गई कीमत के साथ-साथ उसकी पुरानी (पूर्व) कीमत भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
- **पारदर्शिता और शुल्क:** आयातित वस्तुओं के लिए आयातक और मूल देश (Country of Origin) का विवरण देना अनिवार्य होगा। साथ ही, प्लेटफॉर्म से असंबंधित सेवाओं के लिए बंडल फीस वसूलने पर रोक लगाई गई है।
- **डार्क पैटर्न पर रोक:** प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को 'डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन दिशा-निर्देश, 2023' का पालन करना होगा और प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न न होने की पुष्टि के लिए वार्षिक स्व-ऑडिट करना होगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (मूल कानून)

यह मुख्य कानून है जिसने पुराने 1986 के अधिनियम को बदला। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है:

- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA):** भ्रामक विज्ञापनों और गलत व्यापारिक तौर-तरीकों की जांच के लिए इस शक्तिशाली केंद्रीय संस्था का गठन किया गया।
- **ई-दाखिल पोर्टल:** उपभोक्ता अब घर बैठे ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- **शून्य शिकायत शुल्क:** ₹5 लाख तक के दावों/मामलों के लिए कोई कोर्ट फीस या फाइलिंग चार्ज नहीं लगता
- **उत्पाद दायित्व:** यदि किसी खराब उत्पाद या सेवा के कारण नुकसान होता है, तो निर्माता और विक्रेता दोनों की कानूनी जवाबदेही तय की गई है।

भूटान रेबीज मुक्त

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने आधिकारिक तौर पर भूटान को कुत्तों से फैलने वाले मानव रेबीज को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला देश घोषित किया है।

मुख्य तथ्य

- **गौरवपूर्ण उपलब्धि:** भूटान WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में यह सफलता हासिल करने वाला पहला देश बन गया है।
- **शून्य मृत्यु दर:** भूटान में जून 2023 से रेबीज के कारण किसी भी इंसान की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। [
- **सत्यापन का मानदंड:** WHO किसी देश को तब रेबीज-मुक्त या समाप्त घोषित करता है जब वहां कम से कम लगातार दो वर्षों तक कुत्तों के काटने से किसी इंसान की मौत न हुई हो और देश में संक्रमण को दोबारा फैलने से रोकने की मजबूत प्रणाली मौजूद हो।

रेबीज से जुड़े तथ्य

- **रोग का प्रकार:** यह एक विषाणुजनित और जूनोटिक बीमारी है, जो जानवरों से इंसानों में फैलती है।
- **वायरस:** यह Lyssavirus जीनस के एक न्यूरोट्रोपिक RNA वायरस के कारण होता है।
- **प्रभाव:** यह मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। लक्षण प्रकट होने के बाद यह बीमारी लगभग 100% घातक हो जाती है।
- **प्रमुख लक्षण:** हाइड्रोफोबिया (पानी से अत्यधिक डर लगना), मतिभ्रम और पक्षाघात इसके प्रमुख लक्षण हैं।

भारत के लिए प्रासंगिकता

- दुनिया में रेबीज के कारण होने वाली कुल मौतों का लगभग 1/3 हिस्सा भारत में होता है।
- भारत में लगभग 96% रेबीज के मामले आवारा कुत्तों के काटने से जुड़े हैं।
- भूटान का यह मॉडल भारत के अपने 'राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम' और वर्ष 2030 तक रेबीज से होने वाली मौतों को शून्य करने के वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है।

DEFENCE

जेवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम

खबरों में क्यों?

भारत ने अमेरिकी सरकार के Foreign Military Sales प्रोग्राम के तहत लगभग ₹292 करोड़ की लागत से 60 जेवलिन मिसाइलें खरीदने के लिए मुहर लगाई है।इस समझौते के तहत भविष्य में भारत की Tata Advanced Systems Limited और अमेरिका की 'Javelin Joint Venture' भारत में ही इसका स्थानीय स्तर पर सह-उत्पादन कर सकती हैं।

जेवलिन मिसाइल की मुख्य विशेषताएं (Core Facts for Prelims)

- यह एक सैनिक द्वारा कंधे पर रखकर दागी जाने वाली(Man-portable)और मध्यम दूरी की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है।
- **यह मिसाइल पूर्णत:** "दागो और भूल जाओ" सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रक्षेपण के बाद इसे किसी बाहरी ऑपरेटर या लेजर गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, मिसाइल का ऑन-बोर्ड सीकर खुद लक्ष्य को ढूंढ लेता है।
- **यह मिसाइल दो तरीकों से हमला कर सकती है:**
  - ✓ **Top-Attack (शीर्ष हमला):** यह सीधे टैंक के सबसे कमजोर हिस्से यानी उसके ऊपरी कवच पर हमला करती है।
  - ✓ **Direct-Attack (सीधा हमला):** यह बंकरों, इमारतों या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों को सीधे निशाना बना सकती है।

भारत के पास उपलब्ध अन्य विकल्प

- **MPATGM (Man-Portable ATGM):** इसे भारत के DRDO द्वारा पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जो वर्तमान में अपने अंतिम विकासात्मक परीक्षणों के दौर में है।
- **स्पाइक (Spike) मिसाइल:** भारत ने अपनी तात्कालिक और आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इजराइल (Israel) से स्पाइक ATGM प्रणाली का आयात किया है।
- **नाग और हेलिना (Helina):** ये दोनों भारत की स्वदेशी मिसाइलें हैं। नाग एक तीसरी पीढ़ी की टैंक-रोधी मिसाइल है, जबकि हेलिना (Helina) इसी नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर-लॉन्च संस्करण है।

INS निपुण (INS Nipun) भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल (Diving Support Vessel - DSV) है, जिसे 31 अगस्त 2026 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल (Commissioned) किया गया है। [1, 2]

UPSC Prelims और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदु नीचे Concise (टू-द-पॉइंट) रूप में दिए गए हैं:

INS निपुण (INS Nipun)

खबरों में क्यों?

- नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन की उपस्थिति में इसे भारतीय नौसेना बेड़े का हिस्सा बनाया गया।
- यह निस्तार श्रेणी का दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल है। इस श्रेणी का पहला जहाज 'INS निस्तार' है।
- इस जहाज के निर्माण में लगभग 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है।

विशेषताएं

- इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL), विशाखापत्तनम द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है।
- **आकार और वजन:** इसकी लंबाई लगभग 119 मीटर है और यह करीब 9,350 से 10,500 टन वजनी पोत है।
- **सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम:** यह गहरे समुद्र में गोताखोरों को अत्यधिक दबाव वाले वातावरण में लंबे समय तक रहने और काम करने की सुविधा देता है, जिससे वे बिना किसी रुकावट के जटिल अंडरवाटर ऑपरेशन कर सकते हैं।
- यह अंडरवाटर रोबोट्स से लैस है, जो उन जगहों पर काम कर सकते हैं जहां इंसानों या गोताखोरों का पहुंचना खतरनाक होता है।

मुख्य रणनीतिक भूमिका

- **पनडुब्बी बचाव:** यह जहाज डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल के लिए एक 'मदर शिप' के रूप में कार्य करता है। यदि समुद्र में कोई पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो यह वहां फंसे सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में सक्षम है।
- **अंडरवाटर इंटरवेंशन और साल्वेज:** गहरे समुद्र में डूबे हुए जहाजों या मलबे को निकालने और पानी के नीचे निरीक्षण-रखरखाव के लिए इसका उपयोग होता है।
- **आपदा राहत:** यह समुद्र में खोज और बचाव अभियानों के साथ-साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

PRATUSH (प्रत्यूष) टेलीस्कोप

- **पूरा नाम:** Probing ReionizATion of the Universe using Signal from Hydrogen
- **प्रकार:**यह एक भावी रेडियो टेलीस्कोप है।
- **विकासकर्ता:** इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सक्रिय सहयोग से स्वदेशी रूप से निर्मित किया जा रहा है।
- कहाँ स्थापित होगा? शुरुआत में इसे पृथ्वी की कक्षा में टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद इसका मुख्य संचालन चंद्रमा की सुदूर सतह पर या चंद्र-कक्षा में किया जाएगा।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - ब्रह्मांड के कॉस्मिक डॉन और पुनर्आयनन युग के समय और विशेषताओं का पता लगाना।
  - बिग बैंग के बाद बने सबसे पहले तारों और आकाशगंगाओं से आने वाले न्यूट्रल हाइड्रोजन के अत्यंत धुंधले रेडियो सिग्नलों (रेडशिफ्टेड 21-सेमी हाइड्रोजन सिग्नल) को रिकॉर्ड करना।
- **तकनीकी विशेषता:** यह 30-250 MHz के विस्तृत बैंड पर काम करेगा। इसके मास्टर कंट्रोलर के रूप में एक छोटे सिंगल-बोर्ड कंप्यूटर का अभिनव उपयोग किया जा रहा है।
- चंद्रमा का सुदूर भाग ही क्यों? पृथ्वी का वायुमंडल और मानव निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भारी मात्रा में रेडियो हस्तक्षेप पैदा करते हैं। चंद्रमा का पिछला हिस्सा पृथ्वी से पूरी तरह ओझल होने के कारण 'रेडियो-शांत'वातावरण प्रदान करता है, जो इन बारीक सिग्नलों को पकड़ने के लिए आदर्श है।

CosmoCube (कॉस्मोक्यूब) मिशन

खबरों में क्यों?

- **चंद्रमा आधारित खगोल विज्ञान:** सितंबर 2026 में चंद्रमा आधारित रेडियो खगोल विज्ञान पर हुई वैश्विक चर्चाओं के दौरान इस मिशन और भारत के PRATUSH प्रोजेक्ट के तकनीकी तालमेल पर नए अपडेट साझा किए गए।

मुख्य तथ्य

- **क्या है?:** यह नासा के नेतृत्व में विकसित किया जा रहा एक कम वजनी, छोटा उपग्रह है।
- **कक्षा:** इसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
- **पेलोड:** यह अत्यधिक संवेदनशील लो-फ्रीक्वेंसी रेडियो रिसीवर और एंटीना से लैस है।

वैज्ञानिक उद्देश्य व तकनीक

- **मुख्य लक्ष्य:** ब्रह्मांड के शुरुआती कालखंडों—कॉस्मिक डार्क एजेस और कॉस्मिक डॉन का अध्ययन करना।
- **क्या खोजेगा?:** बिग बैंग के बाद जब पहला तारा चमका (कॉस्मिक डॉन), तो वह कब और कैसे बना, इसका पता लगाना।
- **तकनीक:** यह शुरुआती ब्रह्मांड में बिखरी न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस से निकलने वाले धुंधले सिग्नलों को रिकॉर्ड करेगा। ये सिग्नल ब्रह्मांड के विस्तार के कारण रेडशिफ्ट होकर बहुत लंबी और कम आवृत्ति वाली तरंगों में बदल चुके हैं।

इसे चंद्रमा की कक्षा में क्यों भेजा जा रहा है?

- **पृथ्वी पर बाधाएं:** पृथ्वी पर मौजूद मोबाइल, वाई-फाई, रडार का रेडियो शोर और पृथ्वी का आयनोस्फीयर इन कम आवृत्ति वाली अंतरिक्ष तरंगों को ब्लॉक कर देते हैं।
- **समाधान:** चंद्रमा की कक्षा में चंद्रमा एक विशाल ढाल की तरह काम करता है, जो पृथ्वी के शोर को रोककर पूरी तरह 'रेडियो-शांत' (Radio-Quiet) वातावरण देता है।

TRISH (Translational Research Institute for Space Health)

खबरों में क्यों?

- **निजी अंतरिक्ष मिशनों का डेटा:** सितंबर-अक्टूबर 2026 में TRISH ने हालिया कमर्शियल स्पेस मिशनों के यात्रियों के बायो-सैंपल्स और स्वास्थ्य डेटा को अपने EXPAND डेटाबेस में शामिल करने की घोषणा की है।
- **स्वरूप:** यह नासा के ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम द्वारा वित्त पोषित एक वर्चुअल अनुसंधान संघ है।
- **नेतृत्व:** इसका संचालन बायलोर कॉलेज ऑफ मेडिसिन द्वारा और एमआईटी (MIT) के सहयोग से किया जाता है।
- **मूल उद्देश्य:** पृथ्वी की चिकित्सा तकनीकों को अंतरिक्ष के चरम वातावरण के अनुकूल बनाकर अंतरिक्ष यात्रियों की रक्षा करना।

IAF 'Dronathon-2026' (ड्रोनॉथॉन)

खबरों में क्यों ?

- **प्रथम संस्करण :** भारतीय वायु सेना (IAF) ने देश के मानव रहित विमान उद्योग के साथ सीधे जुड़ने और उनकी क्षमताओं को वास्तविक युद्ध जैसी स्थितियों में परखने के लिए अपना पहला 'ड्रोनॉथॉन-2026' लॉन्च किया।
- **स्थान:** यह तीन दिवसीय लाइव परीक्षण अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया।
- **भागीदारी:** इसमें 20 से अधिक अग्रणी रक्षा कंपनियों, स्टार्टअप्स, MSMEs, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वतंत्र इनोवेटर्स ने हिस्सा लिया।

ड्रोनॉथॉन का मुख्य उद्देश्य

- **ऑपरेशनल इवैल्यूएशन :** इसका मुख्य उद्देश्य केवल ड्रोन के प्रोटोटाइप की सामान्य प्रदर्शनी करना नहीं था, बल्कि अत्यधिक कठिन, रेतीले और शत्रुतापूर्ण माहौल में उनकी विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और युद्धक अनुकूलता की लाइव जांच करना था।
- **इंटीग्रेशन:** वायु सेना का लक्ष्य मानवयुक्त विमानों के साथ इन मानव रहित प्रणालियों को एकीकृत करना है, ताकि युद्ध के समय लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता और पहुंच को बढ़ाया जा सके।

CoBRA की पहली महिला प्रमुख

खबरों में क्यों?

CoBRA की पहली महिला प्रमुख: 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी डॉ. संजुक्ता पाराशर को CoBRA सेक्टर का आईजी नियुक्त किया गया है। वह इस विशेष जंगल-वारफेयर फोर्स का नेतृत्व करने वाली देश की पहली महिला अधिकारी हैं।

- **40 वर्ष पूरे:** 25 सितंबर 2026 को सीआरपीएफ (CRPF) ने अपनी पहली महिला कॉम्बैटेंट बटालियन (1986 में गठित) की स्थापना के 40 वर्ष पूरे होने पर विशेष समारोह मनाया.

डॉ. संजुक्ता पाराशर व CoBRA

- डॉ. संजुक्ता पाराशर असम-मेघालय कैडर की अधिकारी हैं, जिन्हें आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनकी भूमिका के लिए 'आयरन लेडी ऑफ असम' भी कहा जाता है. उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) में भी अपनी सेवाएं दी हैं।
- **CoBRA क्या है?:** इसका पूरा नाम Commando Battalion for Resolute Action है। यह सीआरपीएफ के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली एक विशिष्ट गोरिल्ला और जंगल-वारफेयर फोर्स है।
- **गठन और कार्य:** इसका गठन 2008-09 में विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) और उत्तर-पूर्व के उग्रवाद से निपटने के लिए किया गया था. वर्तमान में इसमें 10 बटालियन शामिल हैं।

सीआरपीएफ में महिला कॉम्बैट का इतिहास

- सीआरपीएफ (CRPF) वर्ष 1986 में महिलाओं को सीधे युद्धक भूमिका (Combat) में शामिल करने वाला देश का पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) बना था।
- सीआरपीएफ के पास वर्तमान में 6 पूर्ण महिला बटालियन हैं। इसके अतिरिक्त महिला कमांडो RAF, बस्तरिया बटालियन और CoBRA टीमों (2021 से शामिल) में भी तैनात हैं।

प्रमुख सैन्य अभ्यास

सैन्य अभ्यास	प्रतिभागी	प्रकार	आयोजन स्थल	प्रीलिम्स कोर फैक्ट्स (Direct Points)
IAF ड्रोनॉथॉन-2026	भारत (IAF + स्टार्टअप्स) [2]	ड्रोन परीक्षण [2]	पोखरण, राजस्थान [1, 2]	❖ युद्ध स्थितियों में स्वदेशी UAS/CUAS का परीक्षण। ❖ स्वदेशी अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट 'वायु उत्तम' (Vayu UTtaM) का लाइव प्रदर्शन।
तरंग शक्ति 2026	भारत + ~40 देश	वायु सेना	जोधपुर, राजस्थान	❖ IAF का अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास। ❖ थीम: 'Power in Partnership'। F-35, तेजस और प्रचंड शामिल।

युद्ध अभ्यास 2026	भारत + अमेरिका	थल सेना	औली (UK) व महाजन (RJ)	❖ 22वां संस्करण; 'टू-थिएटर फॉर्मेट' (पहाड़ + मरुस्थल) में आयोजित। ❖ मुख्य फोकस: Anti-drone क्षमताएं और हाई-अल्टीट्यूड वॉरफेयर।
नोमैडिक एलीफेंट 2026	भारत + मंगोलिया	थल सेना	पिथौरागढ़, उत्तराखंड	❖ 18वां संस्करण। ❖ उद्देश्य: पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान।
काज़िंड-2026 (KAZIND)	भारत + कजाकिस्तान	थल सेना + वायु सेना	ओस्केमेन, कजाकिस्तान	❖ 9वां संस्करण; भारतीय सेना की 'गढ़वाल राइफल्स' ने भाग लिया। ❖ फोकस: UN शासनादेश के तहत काउंटर-टेरर ऑपरेशन।

वीर गार्डियन 2026	**भारत + जापान**	**वायु सेना**	**जोधपुर, राजस्थान**	❖ **दूसरा संस्करण।** ❖ **पहली बार जापानी लड़ाकू विमानों ने भारतीय धरती पर अभ्यास में भाग लिया।**
समुद्र लक्ष्मण 2026	भारत + मलेशिया	नौसेना	लुमुट, मलेशिया	❖ चौथा संस्करण। ❖ उद्देश्य: द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा और इंटरऑपरेबिलिटी मजबूत करना।
माउंटेन गार्जियन 2026	भारत + UAE	थल सेना	चौबटिया, उत्तराखंड	❖ फोकस: पर्वतीय युद्ध कला ❖ मुख्य तथ्य: महिला अधिकारियों व कॉम्बैटेंट्स की विशेषज्ञ भूमिका में सक्रिय भागीदारी।

Scheme News in Sep 2026

उत्तर प्रदेश में 'भारत टैक्सी सेवा' एवं अन्य सहकारिता पहलें

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश में 'भारत टैक्सी सेवा' की शुरुआत 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' पोर्टल, 'उर्वरक सेतु मोबाइल ऐप' और 'यूपीसीडीसी मोबाइल ऐप' के साथ की गई है।

1. भारत टैक्सी सेवा :

- **शुरुआत (उत्तर प्रदेश):** लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज (इन 5 शहरों में लगभग 40,000 सारथियों ने पंजीकरण कराया है)।
- **सहकारी मॉडल:** यह सेवा "चालक ही मालिक है" के सिद्धांत पर आधारित है, जो चालकों को सहकारी मॉडल में हितधारक बनाती है।
- **राष्ट्रीय प्रगति (फरवरी 2026 के लॉन्च के बाद):**
  - लॉन्च के 6 महीने के भीतर 10 लाख से अधिक 'सारथी' (चालक) जुड़ चुके हैं।
  - प्रतिदिन लगभग 20,000 यात्राएँ पूरी की जा रही हैं और लगभग 40 लाख यात्री जुड़ चुके हैं।
  - सारथियों के खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई है।
- **प्रमुख समझौते (MoU):** एयरपोर्ट अथॉरिटी, लखनऊ मेट्रो रेल और लखनऊ पुलिस ने भारत टैक्सी के साथ समझौता ज्ञापनों (MoU) का आदान-प्रदान किया है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना: 3 वर्ष पूरे

- **आरंभ:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2023 को पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने हेतु शुभारंभ (इसमें कुल 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं)।
- **तीन वर्ष पूरे होने का समारोह:** 17 सितंबर 2026 को कोलकाता के धोनो धन्य सभागार में आयोजित।
- **पंजीकरण:** योजना के तहत अब तक लगभग 30 लाख लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं।

योजना की मुख्य उपलब्धियाँ:

1. **कौशल प्रशिक्षण:** लगभग 24.50 लाख विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
2. **आधुनिक टूलकिट:** इंडिया पोस्ट के माध्यम से 18.15 लाख से अधिक आधुनिक टूलकिट वितरित किए जा चुके हैं।
3. **ऋण सहायता:** लगभग 6.18 लाख विश्वकर्माओं को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक के रियायती ऋण (कुल 5,297 करोड़ रुपये) वितरित किए गए हैं।

योजना के मुख्य उद्देश्य:

- पारंपरिक कारीगरों को पहचान और कौशल उन्नयन (Skill Upgradation) देना।
- आधुनिक उपकरण और संस्थागत ऋण (Institutional Credit) उपलब्ध कराना।
- डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और बाजार संपर्क (Market Linkage) प्रदान करना।

विकसित भारत इस्पात योजना (2026)

भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026 में प्रस्तावित 'विकसित भारत इस्पात योजना' (Viksit Bharat Ispat Scheme) जिसे 'नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल सेकेंडरी इस्पात' भी कहा जाता है।

- **मंत्रालय:** इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार
- **वित्तीय परिव्यय:** ₹5,000 करोड़ (लगभग 529 मिलियन डॉलर)
- **मुख्य फोकस:** देश के छोटे और मध्यम इस्पात उत्पादकों (Secondary Steel Producers) को पर्यावरण के अनुकूल बनाना और कार्बन उत्सर्जन कम करना।

1. योजना के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएँ:

- **कार्बन उत्सर्जन में कमी:** घरेलू इस्पात उद्योग में स्वच्छ तकनीक और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना।
- **उत्पादन-आधारित इंसेंटिव:** दिए जाने वाले इंसेंटिव सीधे उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन में की गई कमी से जुड़े होंगे (यानी जो कंपनी जितना अधिक प्रदूषण कम करेगी, उसे उतना बेहतर लाभ मिलेगा)।
- **हरित तकनीक अपनाना:**
  - आधुनिक तकनीकों का उपयोग, स्क्रैप का बेहतर इस्तेमाल।
  - कोयले/जीवाश्म ईंधन की जगह नवीकरणीय ऊर्जा और पायलट स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना।

2. नई राष्ट्रीय इस्पात नीति 2047 के लक्ष्य:

- यह योजना नई ड्राफ्ट नेशनल स्टील पॉलिसी का हिस्सा है।
- **मुख्य लक्ष्य (2047 तक):**
  - भारत की इस्पात क्षमता को 600 मिलियन टन तक पहुँचाना।
  - प्रति टन कच्चे इस्पात पर कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को वर्तमान के 2.54 टन से घटाकर 1.54 टन करना।

3. वर्तमान प्रगति व अद्यतन (September 2026 Update):

- **हरित इस्पात प्रमाणपत्र:** सितंबर 2026 तक 101 अलग-अलग इस्पात उत्पादकों को हरित इस्पात प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं (अधिकांश को 5-स्टार रेटिंग)।
- **अनिवार्य उपयोग:** सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027-28 से सभी केंद्रीय और केंद्र-प्रायोजित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में केवल 'ग्रीन-रेटेड स्टील' के उपयोग को अनिवार्य बनाना है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)

- **परिचय व आरंभ:** यह लघु एवं सीमांत किसानों (SMF) के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जिसने 2019 में शुरू होने के बाद 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
- **मंत्रालय व कार्यान्वयन:** यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसका संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के सहयोग से किया जाता है।

1. प्रमुख लाभ एवं पेंशन:

- **न्यूनतम पेंशन:** 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पात्र अभिदाताओं को न्यूनतम ₹3,000 प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन।
- **पारिवारिक पेंशन:** अभिदाता की मृत्यु के बाद उसके पति/पत्नी को पेंशन का 50% (₹1,500 प्रतिमाह) पारिवारिक पेंशन के रूप में देय है।

2. पात्रता एवं अंशदान मॉडल:

- **पात्रता:** 18 से 40 वर्ष की आयु वाले ऐसे लघु एवं सीमांत किसान, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि हो।
- **अंशदान:** यह समान अंशदान मॉडल पर आधारित है; किसान अपनी आयु के अनुसार ₹55 से ₹200 प्रतिमाह का अंशदान करते हैं, और केंद्र सरकार द्वारा इतनी ही राशि का मिलान अंशदान दिया जाता है (स्वतः डेबिट सुविधा या PM-KISAN के लाभों से सीधे लिंक करने का विकल्प)।

3. मुख्य अपवर्जन (Exclusions):

- अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (NPS, EPFO, PM-SYM आदि) के लाभार्थी, संस्थागत भूमिधारक, आयकरदाता और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे पंजीकृत पेशेवर इसमें शामिल नहीं हैं।
- नोट: मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), चतुर्थ श्रेणी और समूह 'D' के कर्मचारियों को इस अपवर्जन से छूट दी गई है।

4. कवरेज और प्रगति:

- फरवरी 2026 तक देश भर में लगभग 24.96 लाख किसानों का नामांकन हो चुका है।
- नामांकन के मामले में हरियाणा सबसे आगे, उसके बाद बिहार का स्थान है।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)

- **मंत्रालय:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- **प्रकृति:** 100% केंद्र प्रायोजित योजना (वित्त वर्ष 2021-22 में आरंभ)।
- **उद्देश्य:** अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के माध्यम से एकीकृत विकास करना।
- **विलय:** यह योजना तीन पूर्ववर्ती योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है:

1. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
2. अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता
3. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

मुख्य घटक (Components):

1. आदर्श ग्राम के रूप में विकास:

- **पात्रता:** ऐसे गाँव जिनकी कुल जनसंख्या 500 या उससे अधिक है और जहाँ 40% या उससे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति (SC) की है।
- **उद्देश्य:** बुनियादी सेवाओं और आवश्यक अवसंरचना की कमियों को दूर करके इन गाँवों को मॉडल गाँवों में बदलना।

2. सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान:

- आजीविका सृजन, कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा देना।
- **पात्रता:** वे SC परिवार या व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं है।
- **प्रगति:** वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्यों को ₹1,730 करोड़ से अधिक जारी किए गए, जिससे 2.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायता मिली।

3. छात्रावासों का निर्माण और मरम्मत:

- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के SC छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुलभ बनाना।
- प्रगति: सितंबर 2026 तक कुल 785 छात्र छात्रावास बनकर तैयार हो चुके हैं (वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹61.46 करोड़ आवंटित, जिससे 264 छात्रों की क्षमता वाले नए छात्रावास बनेंगे)।

डिजिटल गवर्नेंस (Digital Governance):

- योजना के तीव्र, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 'PM-AJAY मोबाइल ऐप' और 'PM-AJAY पोर्टल' का शुभारंभ किया गया है, जिससे कार्यप्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल और रियल-टाइम बनाया जा रहा है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026

1. अधिनियम का उद्देश्य एवं पृष्ठभूमि:

- **मुख्य उद्देश्य:** खनन क्षेत्र में कर संरचना को स्पष्ट, स्थिर, पूर्वानुमानित और तर्कसंगत बनाना, जिससे देश में औद्योगिक भागीदारी और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके।
- **रणतिक महत्व:** महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और खनिजों की आयात पर निर्भरता को कम करना, जो 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक है।

2. राजस्व और कर प्रणाली से जुड़े प्रावधान:

- **राज्यों को राजस्व सुरक्षा:** इस अधिनियम से राज्यों को मिलने वाले राजस्व में कोई कमी नहीं आएगी। वर्तमान में खनन क्षेत्र से प्राप्त कुल राजस्व का लगभग 90% से 96% हिस्सा राज्यों को ही प्राप्त होता है (रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम, डीएमएफ और जीएसटी के माध्यम से)।
- **राज्यों के कर और अतिरिक्त बोझ:** वर्तमान में राज्य लगभग 14 प्रकार के कर, शुल्क और प्रभार ले रहे हैं। कुछ राज्यों द्वारा खनिज युक्त भूमि पर अत्यधिक कर (20% तक) लगाए जाने से सरकारी व अन्य कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है।
- **आम नागरिक पर प्रभाव:** खनन चरण में अत्यधिक कर लगने से इस्पात, बिजली, सीमेंट और बुनियादी ढांचे जैसे प्राथमिक कच्चे माल की इनपुट लागत बढ़ जाती है, जिससे अंततः विनिर्माण और आम नागरिकों के जीवन यापन की लागत में वृद्धि होती है।

3. प्रमुख सुधार और उपलब्धियाँ (2015 से 2026):

- **पारदर्शी ई-नीलामी:** विवेकाधीन आवंटन को समाप्त कर 100% पारदर्शी ई-नीलामी व्यवस्था लागू की गई है (अब तक 720 से अधिक प्रमुख खनिज ब्लॉकों और 140 से अधिक कोयला खदानों की सफल नीलामी)।
- **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM):** 29 जनवरी 2025 को ₹16,300 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत। इसके तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और NMEDT महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं और विदेशी अन्वेषण (जैसे अर्जेंटीना में लिथियम) में सक्रिय हैं।
- **जिला खनिज निधि (DMF):** 2015 में स्थापित इस निधि के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों और स्थानीय लोगों (सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) के कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं।
- **पुनर्चक्रण और तकनीक:** महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ और महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण पार्क (CMPP) स्थापित किए जा रहे हैं।

4. लघु खनिजों पर स्थिति:

- **अप्रभावित क्षेत्र:** यह संशोधन अधिनियम लघु खनिजों (Minor Minerals) पर लागू नहीं होता है। रेत, बजरी, मिट्टी, संगमरमर, जिप्सम आदि लगभग 50 लघु खनिजों के विनियमन, प्रशासन और कर लगाने से संबंधित राज्य सरकारों की शक्तियाँ पूरी तरह सुरक्षित और अप्रभावित रहती हैं।

विवाद एवं विरोध प्रदर्शन:

- **भाकपा (माले) का विरोध:** 30 अगस्त 2026 को रामगढ़ (झारखंड) सहित विभिन्न स्थानों पर इस अधिनियम के खिलाफ प्रतिवाद प्रदर्शन किया गया, पुतला दहन किया गया और इसे वापस लेने की मांग की गई।
- **आरोप:** विरोध करने वाले संगठनों का तर्क है कि यह विधेयक जल-जंगल-जमीन और खनिज संपदा को कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करने वाला है तथा यह राज्यों के संघीय अधिकारों पर कुठाराघात है।
- **परिसीमन से जुड़े मुद्दे:** इसके साथ ही, भाकपा (माले) राज्य कमेटी ने परिसीमन प्रक्रिया में आदिवासी संगठनों की सहमति हासिल करने और आरक्षित सीटों के अनुपात से छेड़छाड़ न करने की मांग उठाई है।

पश्चिम बंगाल 'अन्नपूर्णा योजना'

- **शुरुआत:** 3 जून 2026 (मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रभावी; यह योजना पिछली 'लक्ष्मी भंडार' योजना का स्थान लेती है)।
- **उद्देश्य:** राज्य की महिलाओं (विशेषकर 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की) का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करना, उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना और उनके दैनिक जीवन की ज़रूरतों को आसान बनाना।
- **लक्ष्य (Goal):** राज्य की लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं तक लाभ पहुँचाना और यह सुनिश्चित करना कि एक भी पात्र महिला इस योजना से वंचित न रहे।
- **वित्तीय सहायता:** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रति माह ₹3,000 की सहायता सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है।
- **वर्तमान घटनाक्रम (17 सितंबर 2026):** विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना के तहत चौथी किस्त का सफल वितरण किया गया।

ई-फास्ट इंडिया पहल और PACT (2026)

- **पूरा नाम:** इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट - इंडिया (Electric Freight Accelerator for Sustainable Transport - India)
- **किसका मंच है:** नीति आयोग का एक सरकारी-उद्योग मंच (Government-Industry Platform)।
- **मुख्य उद्देश्य:** भारत में मध्यम और भारी माल ढुलाई (Medium and Heavy-Duty Vehicles - MHDVs) को शून्य-उत्सर्जन वाहनों (Zero-Emission Vehicles - ZEVs) की ओर स्थानांतरित करना।
- **हितधारक (Stakeholders):** इसमें ओईएम (OEMs), लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, फाइनेंसर, शिपर्स और चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर (CPOs) शामिल हैं।

PACT (Platform for Aggregating Clean Transport) क्या है?

- **शुभारंभ:** 5वें ई-फास्ट इंडिया समिट 2026 में नीति आयोग द्वारा।
- **कार्य और उद्देश्य:**
  - यह शिपर्स, लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स (LSPs) और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों से माल ढुलाई की मांग को एकत्रित (Aggregate) करता है।
  - इसे पहचाने गए माल ढुलाई कॉरिडोर (Freight Corridors) में तैनाती के अवसरों में बदला जाता है।
  - यह मांग की स्पष्टता में सुधार करता है, चार्जिंग बुनियादी ढांचा (Charging Infrastructure) की योजना बनाने में मदद करता है और इलेक्ट्रिक मीडियम एवं हेवी-ड्यूटी वाहनों (e-MHDVs) के लिए व्यावसायिक आधार को मजबूत करता है।

'मेक इन इंडिया' पहल: 12 वर्ष (2014 - 2026)

- **शुभारंभ: 25** सितंबर 2014 को भारत को विनिर्माण, डिज़ाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से।
- **मूल दर्शन:** 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (Minimum Government, Maximum Governance) – जिसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना और नीतिकरण को सरल करना है।
- **विस्तार (मेक इन इंडिया 2.0):** फरवरी 2021 से विस्तारित, जिसके तहत अब 27 प्राथमिकता वाले क्षेत्र (15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र) शामिल हैं।

1. प्रमुख उपलब्धियाँ एवं क्षेत्रवार विकास:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण:
- इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपये से लगभग 7 गुना बढ़कर 2025-26 में ₹13.11 लाख करोड़ हो गया।
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता बन गया है (घरेलू उपयोग के 99.2% मोबाइल देश में ही बन रहे हैं)। वर्ष 2025 में स्मार्टफोन भारत की सबसे बड़ी निर्यातित उत्पाद श्रेणी बने।

- **ऑटोमोबाइल क्षेत्र:**
  - वर्ष 2024-25 में कुल वाहन उत्पादन 31.03 मिलियन यूनिट तक पहुँचा।
  - 2020-25 के दौरान यात्री व वाणिज्यिक वाहनों में 65%, तीन-पहिया में 71% और दो-पहिया वाहनों में 30% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **स्वदेशी रक्षा उत्पादन:**
  - वित्त वर्ष 2014-15 के 46,429 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड ₹1.78 लाख करोड़ हो गया (लगभग 283% की वृद्धि)।
  - एचएएल (HAL) द्वारा LCA तेजस Mk1A और HTT-40 ट्रेनर विमानों की नई उत्पादन लाइनें शुरू की गईं।
- **भारी उद्योग (इस्पात):**
  - कच्चे इस्पात का उत्पादन 2014-15 के 81.7 मिलियन टन से बढ़कर 2025-26 में 170.0 मिलियन टन हो गया।

- **औषधि एवं चिकित्सा उपकरण:**
  - भारत औषधि उत्पादन की मात्रा के आधार पर विश्व में तीसरे और मूल्य के आधार पर 11वें स्थान पर है (कारोबार ₹5,08,630 करोड़ तक पहुँचा)।
  - कई स्वदेशी जीवनरक्षक दवाइयाँ (जैसे- ट्रास्टुज़ुमैब एम्टैन्सिन, डोकारविमैब-मिरोविमैब, मिकनाफ आदि) विकसित की गईं।
- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:**
  - 14 क्षेत्रों में लागू PLI योजनाओं ने जून 2026 तक ₹2.6 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया, ₹23.8 लाख करोड़ की बिक्री/उत्पादन को बढ़ावा दिया और 14.6 लाख नए रोज़गार सृजित किए।
- **उन्नत तकनीक एवं अंतरिक्ष क्षेत्र:**
  - इसरो (ISRO) और एससीएल (SCL) द्वारा VIKRAM3201 और KALPANA3201 अंतरिक्ष-ग्रेड माइक्रोप्रोसेसरों का विकास।
  - मार्च 2026 में हैदराबाद (ARCI) में नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (Nd-Fe-B) दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक हेतु पायलट संयंत्र की स्थापना।

2. विनिर्माण को सुदृढ़ करने वाली प्रमुख योजनाएँ:

- **विशेष इस्पात के लिए PLI योजना (PLI 1.2):** सुपर एलॉय, सीआरजीओ (CRGO) इस्पात, स्टेनलेस स्टील आदि के विकास हेतु।
- **सिंटर्ड दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक योजना:** EV और पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए।
- **भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA):** विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्कों और रसायन पार्कों का विकास।
- **सेमीकॉन 2.0:** सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, विनिर्माण, पैकेजिंग और अनुसंधान के लिए दीर्घकालिक समर्थन।

3. वर्तमान चुनौतियाँ एवं चिंताएँ:

- **GVA में धीमी वृद्धि:** विनिर्माण क्षेत्र की सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) में हिस्सेदारी 2022-23 के 14.6% से बढ़कर 2025-26 में केवल 15.6% हुई है (जबकि निर्धारित लक्ष्य 25% का था)।
- **वैश्विक निर्यात हिस्सेदारी में स्थिरता:** वैश्विक मर्चेंडाइज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1.7% पर स्थिर बनी हुई है।
- **निजी निवेश और FDI में सुस्ती:** सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले निजी क्षेत्र का GFCF (सकल स्थायी पूंजी निर्माण) कम हुआ है।
- **पर्याप्त रोज़गार सृजन का अभाव:** कृषि क्षेत्र से स्थानांतरित हो रही विशाल युवा आबादी के अनुपात में विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर औपचारिक रोज़गारों का सृजन अभी भी एक चुनौती है।

Award सितंबर 2026

चौथे इको वॉरियर अवार्ड्स 2026

- **आयोजन तिथि व स्थल:** 29 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के रंग भवन (ऑल इंडिया रेडियो) में आयोजित।
- **अध्यक्षता:** केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा।
- **आयोजक:** भारतीय वन सेवा (IFS) एसोसिएशन और 'इंडियन मास्टरमाइंड्स' द्वारा संयुक्त रूप से (वन्यजीव, पर्यावरण और जंगलों की सुरक्षा में असाधारण कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने हेतु)।

वर्ष 2026 के प्रमुख विजेता (श्रेणीवार):

- **लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड:** श्री बृज किशोर सिंह (कर्नाटक कैडर, 1976 बैच) – वन्यजीव संरक्षण और चंदन तस्करी रोकने में दीर्घकालिक योगदान के लिए।
- **संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन (Protected Area Management):** डॉ. प्रकाश चंद गोगिनेनी एवं श्री मनीष सिंह (बाघों के पर्यावास व संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु)।
- **वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा (Wildlife Protection):** सुश्री सेल्वी एस. सेबागाप्रिया एवं डॉ. संजीव शर्मा (अवैध शिकार रोकने हेतु)।
- **पर्यावरण संरक्षण (Environment Conservation):** श्री धर्म सिंह मीणा एवं श्री सुमन शिवशंकर शिवाचार डब्ल्यू.एम. (पारिस्थितिक तंत्र की बहाली हेतु)।
- **कम्युनिटी कनेक्ट (सामुदायिक सहभागिता):** श्री धवन कुमार रावत एवं श्री गुरहर्ष सिंह (स्थानीय समुदायों व आदिवासियों को जोड़ने हेतु)।
- **तकनीक का सर्वश्रेष्ठ उपयोग (Best Use of Technology):** श्री एन. जयराज एवं श्री रामसुंदर एम. (हाथियों/वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु AI-आधारित निगरानी व अर्ली-वार्निंग सिस्टम)।
- **विशेष जूरी पुरस्कार (Special Jury Award):** सुश्री सविता दहिया एवं सुश्री के. कार्तिकेयनी (साहसिक व विशिष्ट प्रयासों हेतु)।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2026

- **परिचय:** इसे व्यापक रूप से "एशिया का नोबेल पुरस्कार" कहा जाता है, जो एशिया में सार्वजनिक सेवा और निस्वार्थ योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में की गई थी।
- **घोषणा एवं वितरण:** विजेताओं की घोषणा 31 अगस्त 2026 को की गई तथा औपचारिक वितरण 15 नवंबर 2026 को मनीला (फिलीपींस) में किया जाएगा।

2026 के तीन प्रतिष्ठित विजेता:

1. **टॉमी कोह (सिंगापुर):**
   - **योगदान:** अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएनसीएलओएस (UNCLOS) के क्षेत्र में।
   - **विशेष:** समुद्र कानून पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अध्यक्ष रहे तथा आसियान चार्टर के मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2. **बो की (म्यांमार):**
   - **योगदान:** लोकतंत्र, मानवाधिकार और राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए संघर्ष।
   - **विशेष:** राजनीतिक कैदियों के लिए सहायता संघ (AAPP) की सह-स्थापना की और म्यांमार में मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण किया।
3. **रूना खान (बांग्लादेश):**
   - **योगदान:** मानवीय विकास, स्वास्थ्य सेवा और जलवायु लचीलापन (Climate Resilience)।
   - **विशेष:** 2002 में 'फ्रेंडशिप' (Friendship) संस्था की स्थापना की, जो बांग्लादेश के दूरदराज और जलवायु-प्रभावित (विशेषकर चर्स/रेतीले द्वीपों) समुदायों को स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाएँ प्रदान करती है।

भारत और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार:

- यह पुरस्कार विनोबा भावे, मदर टेरेसा, सत्यजीत रे, वर्गीज कुरियन, अरविंद केजरीवाल, रविश कुमार और सोनम वांगचुक जैसे कई प्रसिद्ध भारतीयों को मिल चुका है।
- वर्ष 2025 में भारतीय गैर-लाभकारी संस्था 'फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली' (एजुकेट गर्ल्स) को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था।

99वें अकादमी पुरस्कार (Oscars 2027): भारत की आधिकारिक प्रविष्टि

- चर्चा में क्यों? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) की ज्यूरी ने 33 फिल्मों की कड़ी प्रतियोगिता में से मराठी फिल्म 'गोंधल' (Gondhal) को सर्वसम्मति से 'सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म' (Best International Feature Film) श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि (Official Entry) के रूप में चुना है।

फिल्म से जुड़े मुख्य तथ्य:

- **फिल्म का नाम:** गोंधल
- **भाषा:** मराठी
- **निर्देशक:** संतोष दावखर
- **संगीत:** दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा
- **कहानी की थीम:** यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसकी पृष्ठभूमि महाराष्ट्र की पारंपरिक लोक कला और धार्मिक अनुष्ठान 'गोंधल' पर आधारित है तथा यह ग्रामीण परिवेश में एक ही रात के भीतर घटित होती है।
- **प्रमुख उपलब्धि:** निर्देशक संतोष दावखर को इस फिल्म के लिए 56वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI 2025) में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का 'सिल्वर पीकॉक' (Silver Peacock) पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026

- **आयोजन तिथि व स्थल:** 22 सितंबर 2026 को गुजरात के केवडिया (एकता नगर) में आयोजित।
- **ऐतिहासिक बदलाव:** दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए और विज्ञान भवन (नई दिल्ली) से बाहर निकलकर, यह प्रतिष्ठित समारोह पहली बार नई दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, इसका उद्देश्य सिनेमाई उत्सव को देश के विभिन्न क्षेत्रों के करीब लाना है।
- **पुरस्कार प्रदानकर्ता:** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2024 की cinematic उपलब्धियों के लिए प्रदान किए गए।

प्रमुख पुरस्कार एवं विजेता:

- **दादासाहेब फाल्के पुरस्कार:** कन्नड़ और भारतीय सिनेमा में पांच दशकों से अधिक के योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को सम्मानित किया गया।
- **सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म:** 'आर्टिकल 370' (निर्देशक/मुख्य अभिनेत्री: यामी गौतम)।
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता:** संयुक्त रूप से ममूटी ('ब्रह्मयुगम' के लिए) और कार्तिक आर्यन ('चंदू चैंपियन' के लिए)।
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री:** यामी गौतम ('आर्टिकल 370' के लिए)।
- **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक:** राजकुमार पेरियासामी ('अमरन' के लिए)।
- **सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक:** रणदीप हुड्डा ('स्वतंत्र वीर सावरकर' के लिए)।
- **सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म:** 'श्रीकांत' (राजकुमार राव अभिनीत, निर्देशक: तुषार हीरानंदानी)।
- **अन्य प्रमुख पुरस्कार:**
  - **सर्वश्रेष्ठ नॉन-फीचर फिल्म:** 'भंगार'
  - **सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र:** 'राम-नामी'
  - इसके अलावा 'कल्कि 2898 ईस्वी', 'अमरन', 'पुष्पा: द रूल', 'भूल भुलैया 3' और 'स्त्री 2' जैसी फिल्मों को भी विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया।

यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार 2026

- **परिचय:** यह पुरस्कार विश्व भर के उत्कृष्ट साक्षरता कार्यक्रमों को मान्यता देने वाला एक प्रमुख वैश्विक पुरस्कार है, जिसका संचालन यूनेस्को (UNESCO) द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी।
- **2026 के विजेता:** कोलंबिया, लेबनान, मैक्सिको, नीदरलैंड साम्राज्य, नाइजीरिया और थाईलैंड के छह उत्कृष्ट साक्षरता कार्यक्रमों को सम्मानित किया गया है।
- **पुरस्कार राशि:** प्रत्येक विजेता को एक पदक, एक डिप्लोमा और 30,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है।

पुरस्कार की दो श्रेणियाँ:

1. **यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार (3 पुरस्कार):**
   - **स्थापना:** 1989 (कोरिया गणराज्य की सरकार के समर्थन से)।
   - **नामकरण:** कोरियाई हंगुल लिपि के निर्माता महान राजा सेजोंग के नाम पर।
2. **यूनेस्को कन्फ्यूशियस साक्षरता पुरस्कार (3 पुरस्कार):**
   - **स्थापना:** 2005 (चीन सरकार के समर्थन से)।
   - **नामकरण:** प्राचीन चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के नाम पर।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2026

- **उत्पत्ति:** यूनेस्को द्वारा 1966 के 14वें आम सम्मेलन में घोषित और पहली बार 1967 में मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को आयोजित होता है।
- **आयोजन (2026):**
- **आयोजक:** यूनेस्को और मैक्सिको सरकार का सहयोग।
- **तिथि व स्थल:** 8 से 9 सितंबर 2026 को मैक्सिको के चियापास राज्य में।
- **वर्ष 2026 का विषय (Theme):** 'लोगों, ग्रह और समृद्धि के लिए साक्षरता' (Literacy for people, planet and prosperity)।

सरोजा वैद्यनाथन उत्कृष्टता पुरस्कार 2026

- चर्चा में क्यों? प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉ. वसुंधरा दोरास्वामी को सितंबर 2026 में विशाखापत्तनम में आयोजित 'वैसाखी नृत्योत्सव भारतीय नृत्य महोत्सव' के दौरान इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- **प्रदानकर्ता:** यह पुरस्कार नटराज म्यूज़िक एंड डांस अकादमी (NMDA) द्वारा प्रदान किया जाता है।

डॉ. वसुंधरा दोरास्वामी से जुड़े प्रमुख तथ्य:

- **विशिष्टता:** इन्हें अष्टांग विन्यास योग को भरतनाट्यम के साथ समन्वित करने के लिए जाना जाता है।
- **शिक्षा व डॉक्टरेट:** इन्होंने योग विशेषज्ञ पट्टाभि जोइस के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अष्टांग विन्यास योग और भरतनाट्यम के अंतर्संबंध पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है।
- **प्रमुख नृत्य-रचनाएँ:** पांचाली, गंगा लहरी और साम वेद।
- **अन्य प्रमुख सम्मान व उपलब्धियाँ:**
  - इन्हें पहले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और शांतला पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
  - इन्हें लुइसविल, केंटकी की मानद नागरिकता प्राप्त है।
  - इन्होंने पेरिस में UNESCO विश्व शांति सम्मेलन सहित कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुतियाँ दी हैं।

नटराज म्यूज़िक एंड डांस अकादमी (NMDA):

- इसकी स्थापना बी.आर. विक्रम कुमार (विक्रम गौड़ बथिना) द्वारा की गई है।
- यह एक ISO 9001:2015 प्रमाणित संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य परिषद, UNESCO की सदस्य है, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देती है।

रिपोर्ट एवं सूचकांक

वी-डेम लोकतंत्र रिपोर्ट 2026

- जारीकर्ता: वी-डेम संस्थान, गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय (स्वीडन)।
- रिपोर्ट का शीर्षक: Democracy Report 2026: Unraveling The Democratic Era

1. वैश्विक स्थिति:

- **महान उलटफेर (The Great Reversal):** दुनिया में लोकतंत्र का स्तर घटकर 1978 के स्तर पर पहुँच गया है।
- **तानाशाही का विस्तार:** दुनिया की 74% आबादी (लगभग 6 अरब लोग) तानाशाही (Autocracies) में रह रही है, जबकि मात्र 7% आबादी ही उदार लोकतंत्र (Liberal Democracies) में निवास करती है।
- **प्रमुख चिंताएँ:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला और राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए उत्पीड़न (Torture) के मामलों में वृद्धि।

2. भारत की स्थिति:

- **1975 के बाद सबसे निचला स्तर:** भारत का चुनावी लोकतंत्र सूचकांक (EDI) 1975 के आपातकाल के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर है।
- **स्कोर और वर्गीकरण:** भारत का लोकतंत्र स्कोर 0.38 है और रिपोर्ट में इसे 'चुनावी तानाशाही' (Electoral Autocracy) की श्रेणी में रखा गया है।
- **गिरावट के प्रमुख कारक:** न्यायिक जवाबदेही में कमी, चुनाव प्रबंधन निकायों की स्वायत्तता में गिरावट, शैक्षणिक/सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर पाबंदियाँ और पत्रकारों का उत्पीड़न।
- **नोट:** भारत सरकार और कई घरेलू विश्लेषक इसकी कार्यप्रणाली, पारदर्शी संकेतकों के अभाव और 'विशेषज्ञ पूर्वाग्रह' (Expert Bias) के कारण इस सूचकांक की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026

- **जारीकर्ता:** विश्व आर्थिक मंच (WEF) — यह रिपोर्ट पहली बार 2006 में शुरू की गई थी।
- **भारत की स्थिति:**
  - भारत ने 145 देशों में से अपना 131वां स्थान बरकरार रखा है।
  - **समग्र लैंगिक समानता स्कोर:** 64.5% (2006 के पहले संस्करण की तुलना में 4.3% अंकों का सुधार, लेकिन वैश्विक औसत 69.2% से पीछे)।
  - **वर्गीकरण/आकलन:** शिक्षा और स्वास्थ्य में मजबूत प्रदर्शन, लेकिन आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अंतर अभी भी बना हुआ है।

भारत का चार प्रमुख आयामों में प्रदर्शन:

1. **शैक्षिक उपलब्धि (96.6% स्कोर):** माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लड़कों और लड़कियों के नामांकन में पूर्ण संतुलन (देश की सबसे सफल विशेषता)।
2. **स्वास्थ्य और जीवन रक्षा (95.6% स्कोर):** समग्र स्वास्थ्य में सुधार, लेकिन जन्म के समय लिंग अनुपात 2006 की तुलना में लगभग 1% अंक कम।
3. **आर्थिक भागीदारी:** महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में केवल 41.2% समानता हासिल की है। पेशेवर और तकनीकी कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 49.9% हो गई है, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व और प्रबंधकीय भूमिकाओं में यह केवल 13.1% है।
4. **राजनीतिक सशक्तिकरण:** प्रतिनिधित्व 24.5% है, लेकिन मंत्री स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व मात्र 5.9% है (जो 2019 के 30% से काफी कम है)।

वैश्विक स्तर पर प्रमुख निष्कर्ष:

- **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:** आइसलैंड लगातार 17वें वर्ष शीर्ष पर (93% असमानता कम करने वाला एकमात्र देश)। इसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे हैं (ऑस्ट्रेलिया पहली बार शीर्ष 10 में शामिल)।
- **सबसे निचले पायदान पर:** चाड (145वें स्थान पर), पाकिस्तान और ईरान।
- **समानता का अनुमानित समय:** वर्तमान प्रगति दर को देखते हुए, पूर्ण वैश्विक लैंगिक समानता प्राप्त करने में अभी भी लगभग 120 साल का समय लग सकता है।
- **अन्य मुख्य बिंदु:** वैश्विक स्तर पर एआई (AI) इंजीनियरों में 5 में से 1 से भी कम महिलाएं हैं; माता-पिता की जिम्मेदारियों के कारण महिलाओं में करियर ब्रेक लेने की संभावना पुरुषों से दोगुनी होती है।

सूचकांक के चार प्रमुख आयाम:

1. आर्थिक भागीदारी और अवसर (कार्यबल, वेतन समानता, नेतृत्व भूमिकाएँ)
2. शैक्षिक उपलब्धि (साक्षरता और नामांकन अनुपात)
3. स्वास्थ्य और जीवन रक्षा (जन्म के समय लिंग अनुपात और जीवन प्रत्याशा)
4. राजनीतिक सशक्तिकरण (संसद, मंत्री स्तर और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व)

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026

- **जारीकर्ता:** विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)
- **इस वर्ष का विषय (Theme):** "Powering Entrepreneurs at the Frontier of Science" (विज्ञान के क्षेत्र में उद्यमियों को सशक्त बनाना)
- **भारत की स्थिति:**
  - भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में से 38वें स्थान पर रहा है।
  - पिछले वर्ष (2025 में 39वें स्थान) की तुलना में भारत ने एक स्थान की छलांग लगाई है।

भारत का प्रदर्शन:

- **लगातार ओवरपरफॉर्मेंस (Innovation Overperformer):** भारत अपनी प्रति व्यक्ति जीडीपी और आय समूह के स्तर की तुलना में लगातार 16वें वर्ष (2011 से) उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश बना हुआ है।
- **इनपुट बनाम आउटपुट क्षमता:**
  - **नवाचार इनपुट (संसाधनों) के मामले में:** 49वें स्थान पर।
  - **नवाचार आउटपुट (परिणामों) के मामले में:** 25वें स्थान पर (यह दर्शाता है कि भारत कम संसाधनों में भी बेहतर तकनीकी और व्यावसायिक परिणाम दे रहा है)।
- **वैश्विक नेतृत्व:**
  - ICT (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) सेवा निर्यात में भारत वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है।
  - निम्न-मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्थाओं और मध्य व दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है।
- **शीर्ष नवाचार क्लस्टर्स:** दुनिया के शीर्ष 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी (S&T) क्लस्टर्स में भारत के 4 शहर शामिल हैं — बेंगलुरु (91वें स्थान पर, भारत का शीर्ष क्लस्टर), जिसके बाद दिल्ली, मुंबई और चेन्नई का स्थान है।

वैश्विक रैंकिंग: शीर्ष 5 देश:

1. स्विट्जरलैंड – लगातार पहले स्थान पर
2. स्वीडन
3. संयुक्त राज्य अमेरिका
4. दक्षिण कोरिया
5. सिंगापुर

- **विशेष नोट:** चीन (10वें स्थान पर) शीर्ष 30 में शामिल एकमात्र मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है।

वैश्विक नवाचार के नए रुझान:

- **AI का दबदबा:** वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल वेंचर कैपिटल (VC) निवेश का 53% हिस्सा अकेले AI कंपनियों/स्टार्टअप्स ने आकर्षित किया है।
- **डीप-साइंस स्टार्टअप्स:** वर्ष 2000 से अब तक दुनिया भर में 30,000 से अधिक डीप-साइंस स्टार्टअप्स स्थापित हो चुके हैं, जिनकी कुल वैल्यूएशन 7.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गई है।

ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 40 (GFCI 40)

- **जारीकर्ता:** लंदन के Z/Yen पार्टनर्स और चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (CDI) द्वारा संयुक्त रूप से (16 सितंबर 2026 को जारी)।
- **उद्देश्य:** दुनिया भर के 117 प्रमुख वित्तीय केंद्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता की रैंकिंग प्रदान करना।

भारत का प्रदर्शन:

- **गिफ्ट सिटी (GIFT City, गुजरात):**
  - पिछले संस्करण के 46वें स्थान से 9 पायदान की छलांग लगाकर 37वें स्थान पर पहुँच गया है।
  - यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 15 वित्तीय केंद्रों में शामिल होने वाला इकलौता भारतीय शहर है।
- **फिनटेक रैंकिंग:** गिफ्ट सिटी वैश्विक फिनटेक रैंकिंग में सुधार करते हुए 26वें स्थान पर आ गया है (पहले 29वें स्थान पर था)।
- **मुंबई:** भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई भी 3 पायदान के सुधार के साथ 49वें स्थान पर पहुँच गई है।

शीर्ष 10 वैश्विक वित्तीय केंद्र:

1. न्यूयॉर्क – संयुक्त राज्य अमेरिका
2. लंदन – यूनाइटेड किंगडम
3. हांगकांग – चीन (SAR)
4. सिंगापुर – सिंगापुर
5. शंघाई – चीन
6. टोक्यो – जापान
7. सोल – दक्षिण कोरिया
8. शेनझेन – चीन
9. दुबई – संयुक्त अरब अमीरात
10. ज्यूरिख – स्विट्जरलैंड (शीर्ष 10 में नया प्रवेश)

प्रमुख क्षेत्रीय रुझान:

- **एशिया-प्रशांत का दबदबा:** वैश्विक शीर्ष 10 वित्तीय केंद्रों में से 6 केंद्र अकेले एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं।
- **यूरोप:** ज्यूरिख ने शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई है, जबकि सैन फ्रांसिस्को इस बार टॉप 10 से बाहर हो गया है।
- **मध्य पूर्व:** मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र में दुबई (9वां) और अबू धाबी (13वां) शीर्ष पर बने हुए हैं।

SPORTS

यूएस ओपन 2026(पुरुष वर्ग)

चर्चा में क्यों?

जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने यूएस ओपन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर वर्ष का अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है।

प्रमुख तथ्य:

- **विजेता:** अलेक्जेंडर ज़्वेरेव (जर्मनी)।
- **उपविजेता:** बेन शेल्टन (अमेरिका)।
- **कोर्ट का प्रकार (Surface):** यूएस ओपन मुकाबला हार्ड कोर्ट (Hard Court) पर खेला जाता है।
- **वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम:** रोलां गैरो (फ्रेंच ओपन) 2026 जीतने के बाद यह उनका इस वर्ष का दूसरा प्रमुख खिताब है।
- **ऐतिहासिक उपलब्धि:** वे बोरिस बेकर (1989) के बाद यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी बने हैं।
- **ओपन एरा का रिकॉर्ड:** वे ओपन एरा में एक ही कैलेंडर वर्ष में अपने पहले दो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले केवल चौथे पुरुष खिलाड़ी बने हैं (इस सूची में जैनिक सिनर, गिलर्मो विलास और जिमी कॉनर्स शामिल हैं)।
- **एटीपी रैंकिंग:** यूएस ओपन जीतने के बावजूद वे एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 2 पर बने रहे, जबकि जैनिक सिनर शीर्ष स्थान पर हैं।
- **पूर्व प्रमुख उपलब्धियाँ:** टोक्यो 2020 ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता (आयोजन 2021 में), दो बार एटीपी फाइनल्स चैंपियन।

यूएस ओपन 2026 (महिला वर्ग)

चर्चा में क्यों?

कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी एलेना रायबाकिना ने यूएस ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में आर्यना सबलेंका को हराकर अपना पहला यूएस ओपन खिताब और वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। साथ ही, वे विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं।

टूर्नामेंट से जुड़े मुख्य तथ्य:

- **विजेता:** एलेना रायबाकिना (कजाकिस्तान)।
- **उपविजेता:** आर्यना सबलेंका (बेलारूस)।
- **फाइनल स्कोर:** रायबाकिना ने सबलेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराया (मुकाबला 2 घंटे 21 मिनट तक चला)।
- **कोर्ट का प्रकार (Surface):** यूएस ओपन मुकाबला हार्ड कोर्ट (Hard Court) पर खेला जाता है।
- **उपलब्धियाँ:**
  - यह 2026 का उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है (इससे पहले जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था)।
  - यह उनके करियर का कुल तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है।
  - सोमवार को जारी रैंकिंग में वे महिला टेनिस की नई विश्व नंबर 1 बन गईं।

वर्ल्ड आर्चरी रणनीतिक विज़न 2026 और भारत की उपलब्धियाँ

चर्चा में क्यों?

- वर्ष 2026 'वर्ल्ड आर्चरी' (World Archery) के 2023–2032 के दीर्घकालिक रणनीतिक विज़न का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा है, जिसके तहत खेल के लोकतंत्रीकरण, डिजिटल विस्तार (Archery+ OTT) और पैरा-खेलों को बढ़ावा दिया गया है।
- **प्रमुख वैश्विक पहल (2026):**
  - इक्विपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम: जमीनी स्तर के खिलाड़ियों के लिए मुफ्त उपकरण वितरण।
  - आर्थिक मॉडल: इंडोर वर्ल्ड सीरीज के प्राइज पूल में 30% की वृद्धि।

- **भारत में पैरा-आर्चरी की मेजबानी:**
  - भारत ने पहली बार गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट (अहमदाबाद) पर 'हुंडई वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026' के तीसरे चरण की मेजबानी की।
  - इसमें शीतल देवी और हरविंदर सिंह जैसे शीर्ष भारतीय पैरा-एथलीटों ने हिस्सा लिया।
- **आर्चरी वर्ल्ड कप 2026 के मुख्य बिंदु:**
  - सीजन का ग्रैंड फाइनल सॉल्टिलो (मेक्सिको) में आयोजित हुआ।
  - भारत के धीरज बोम्मादेवरा अंताल्या स्टेज में स्वर्ण पदक जीतकर सॉल्टिलो फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाले एकमात्र भारतीय बने।
  - शंघाई कप में महिला रिकर्व टीम (दीपिका कुमारी, अंकिता भकत) ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता।

वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026

1. वैश्विक परिप्रेक्ष्य एवं आयोजन:

- **आयोजन:** 48वीं वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता का समापन 27 सितंबर 2026 को शंघाई (चीन) के शंघाई वर्ल्ड एक्सपो कल्चरल सेंटर में हुआ।
- अल्बर्ट विडाल पुरस्कार (Albert Vidal Award): रेल वाहन प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली चीन की प्रतियोगी शियाओमान हे को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- अगला संस्करण: 49वीं वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता वर्ष 2028 में जापान के आइची (Aichi) में आयोजित की जाएगी।

2. भारत का प्रदर्शन:

- **टॉप-10 में प्रवेश:** भारत ने इस वैश्विक प्रतियोगिता में पहली बार टॉप-10 (10वां स्थान) में जगह बनाई है (पिछले संस्करण - वर्ल्डस्किल्स ल्योन 2024 में भारत 13वें स्थान पर था)।
- **पदक तालिका:** भारत ने कुल 6 रजत पदक और 20 उत्कृष्टता पदक अपने नाम किए।
- **'बेस्ट ऑफ द नेशन' सम्मान:** भारत की बेकरी विशेषज्ञ स्मृति नांबियार ने रजत पदक के साथ-साथ यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भी हासिल किया।
- **प्रमुख रजत पदक विजेता:**
  - स्मृति नांबियार (बेकरी)
  - मोहम्मद सलाम (डेंटल प्रोस्थेटिक्स)
  - कोविद अजय गंग्राडे (डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया डिज़ाइन)
  - पार्थ वोहरा (औद्योगिक डिज़ाइन प्रौद्योगिकी)
  - मेहरून्निसा बेगम (लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग)
  - सानिया जोशी (रिटेल बिक्री)
- **भारतीय दल:** भारत की ओर से 70 प्रतियोगियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा गया था, जिन्होंने ड्रोन और इंटेलिजेंट सिक्योरिटी जैसी आधुनिक तकनीकी विधाओं सहित 63 कौशल श्रेणियों में हिस्सा लिया।

एशियन गेम्स 2026 (आइची-नागोया, जापान)

चर्चा में क्यों?

भारत ने जापान के आइची-नागोया में आयोजित 20वें एशियाई खेल 2026 में कुल 85 पदकों (21 स्वर्ण, 27 रजत, 37 कांस्य) के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है और हांगझोऊ 2022 (आयोजित 2023) में प्राप्त अपने चौथे स्थान को बरकरार रखा है।

शीर्ष पदक तालिका:

1. **चीन:** 341 कुल पदक (शीर्ष स्थान)
2. **जापान:** 269 कुल पदक (दूसरा स्थान)
3. **दक्षिण कोरिया:** 150 कुल पदक (तीसरा स्थान)
4. **भारत:** 85 कुल पदक (21 स्वर्ण, 27 रजत, 37 कांस्य) - चौथे स्थान पर

प्रमुख खेल उपलब्धियाँ:

- **हॉकी:**
  - पुरुष टीम ने मलेशिया को 5–1 से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा।
  - महिला टीम ने चीन को 1–0 से हराकर वर्ष 1982 के बाद पहली बार स्वर्ण पदक जीता।
  - यह पहला अवसर है जब पुरुष और महिला दोनों टीमों ने एक ही एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता और लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया।

- **क्रिकेट और कबड्डी:**
  - पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते (महिला टीम ने श्रीलंका को और पुरुष टीम ने पाकिस्तान को हराया)।
  - कबड्डी में भी पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक का डबल पूरा किया।
-

- **तीरंदाज़ी:**
  - भारत ने कुल 9 पदक (5 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य) जीते।
  - कुमकुम मोहोड रिकर्व तीरंदाज़ी में एशियाई खेलों का भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाली खिलाड़ी बनीं।

- **एथलेटिक्स:**
  - एथलेटिक्स में कुल 24 पदक (1 स्वर्ण, 9 रजत, 14 कांस्य) मिले। महिला 4×400 मीटर रिले टीम ने भारत का एकमात्र एथलेटिक्स स्वर्ण जीता।

- **निशानेबाज़ी:**
  - कुल 15 पदक (3 स्वर्ण, 8 रजत, 4 कांस्य)। नीरू ढांडा ट्रैप निशानेबाज़ी में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।

- **मुक्केबाज़ी एवं कुश्ती:**
  - मुक्केबाज़ी में 3 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते (लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा, अंकुश पंघाल)।
  - कुश्ती में 6 पदक (2 स्वर्ण - अमन सहरावत और सुजीत कलकल द्वारा) जीते, जो जकार्ता 1962 के बाद भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

- **गोल्फ:**
  - प्रणवी उर्स गोल्फ में व्यक्तिगत एशियाई खेल स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं (टीम स्पर्धा में रजत भी जीता)।

46वां चेस ओलंपियाड 2026

चर्चा में क्यों?

46वें चेस ओलंपियाड 2026 में भारतीय पुरुष टीम ने सिल्वर मेडल (रजत) और महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल (कांस्य) जीतकर देश को 'डबल पोडियम फिनिश' दिलाई है।

1. पुरुष ओपन वर्ग (Silver Medal):

- **प्रदर्शन:** भारत ने हंगरी के खिलाफ अंतिम राउंड का मुकाबला 2-2 से ड्रॉ खेला और टाई-ब्रेक के आधार पर दूसरा स्थान (सिल्वर मेडल) हासिल किया।
- **प्रमुख मुकाबले:** विश्व चैंपियन डी. गुकेश को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अर्जुन एरिगैसी ने पीटर लेको को हराकर भारत को महत्वपूर्ण अंक दिलाए।
- **स्वर्ण और कांस्य:** मेजबान उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक (अपना दूसरा खिताब) जीता, जबकि जर्मनी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

2. महिला वर्ग (Bronze Medal):

- **प्रदर्शन:** भारतीय महिला टीम ने जॉर्जिया के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेलकर पोडियम पर अपनी जगह पक्की की और तीसरा स्थान (ब्रॉन्ज मेडल) हासिल किया। सविता श्री ने दबाव भरे मुकाबले में ड्रॉ खेलकर अहम भूमिका निभाई।
- **स्वर्ण और रजत:** चीन ने वियतनाम को हराकर अपना सातवां महिला चेस ओलंपियाड खिताब (स्वर्ण) जीता, जबकि कजाकिस्तान ने सिल्वर मेडल हासिल किया। भारत ने टाई-ब्रेक में अमेरिका, पोलैंड, आर्मेनिया और मंगोलिया को पीछे छोड़ा।

FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2026

चर्चा में क्यों?

- 2026 FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप का आयोजन 4 से 13 सितंबर 2026 तक बर्लिन, जर्मनी में किया गया।
- इसमें कुल 16 राष्ट्रीय टीमों ने हिस्सा लिया।
- **विजेता (चैंपियन):** संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने यह खिताब अपने नाम किया, जो उनका कुल 12वां खिताब है।

MISSLENOUS

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट: एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा (सेवानिवृत्त) बने पहले CEO

- **नियुक्ति:** श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जीतेंद्र मिश्रा को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है (घोषणा: 2 सितंबर 2026)।
- **पृष्ठभूमि:** यह नियुक्ति मंदिर के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और दान में चोरी के आरोपों के बाद पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से की गई है।
- **चयन प्रक्रिया:** लगभग 5,585 आवेदनों की छंटनी और दो महीने की लंबी साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद यह निर्णय लिया गया।
- **सैन्य पृष्ठभूमि:** एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायु सेना में 31 वर्षों तक सेवा दी है और उन्हें युद्ध काल में विशिष्ट सेवा के लिए 'सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक' से भी सम्मानित किया जा चुका है।

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ एवं वित्तीय विवरण:

- नए ट्रस्टी/सदस्य: बोर्ड में तीन नए सदस्य जोड़े गए हैं—
  1. महेश भगचंदका (नए कोषाध्यक्ष)
  2. मदन मोहन पांडे (अधिवक्ता)
  3. निर्मला यादव (ट्रस्ट की पहली महिला सदस्य)

वित्तीय स्थिति (वित्त वर्ष 2025-26):

- कुल आय: लगभग ₹237 करोड़
- कुल व्यय: लगभग ₹99 करोड़
- निर्माण कार्यों पर पूँजीगत व्यय: लगभग ₹425 करोड़
- 31 मार्च 2026 तक कुल फंड: लगभग ₹1,882 करोड़

ग्लोरिया स्टीनम: जीवन, संघर्ष और नारीवादी आंदोलन में योगदान

- **परिचय:** अमेरिकी नारीवादी आंदोलन (Feminism's Second Wave) की सबसे प्रमुख वैश्विक आवाज़।
- **निधन:** 2 सितंबर 2026 को 92 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क शहर में स्थित उनके घर पर शांतिपूर्वक निधन।

1. पत्रकारिता और शुरुआती करियर:

- **'ए बनीज़ टेल' (1963):** पत्रकार के रूप में अपने शुरुआती दौर में उन्होंने ह्यू हेफनर के 'प्लेबॉय' क्लब में एक 'प्लेबॉय बनी' के रूप में गुप्त रूप से काम किया, ताकि वहाँ महिलाओं के साथ होने वाले अपमानजनक व्यवहार और खराब कामकाजी परिस्थितियों को उजागर कर सकें।
- **सक्रियता की शुरुआत:** 22 वर्ष की आयु में अवैध गर्भपात का सामना करने वाली स्टीनम ने गर्भपात के अधिकारों और महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता के पक्ष में खुलकर आवाज़ उठाई। 2022 में 'रो बनाम वेड' फैसले के पलटे जाने पर उन्होंने इसे महिला अधिकारों के लिए एक बड़ा झटका बताया था।

2. प्रमुख संस्थाएँ और प्रकाशन:

- **'Ms. Magazine' (1972):** इसकी सह-स्थापना की, जो महिलाओं द्वारा संचालित और नारीवादी मुद्दों को समर्पित पहली राष्ट्रीय अमेरिकी पत्रिका बनी। (शुरुआत में रूढ़िवादी टिप्पणीकारों ने इसके जल्द बंद होने की भविष्यवाणी की थी)।
- **अन्य प्रमुख पुस्तकें व कार्य:**
  - उनकी 2015 की आत्मकथा पर आधारित फिल्म 'द ग्लोरियाज, ए लाइफ ऑन द रोड' (2020) रिलीज हुई।
  - 91 वर्ष की आयु में उन्होंने लाइबेरिया की नोबेल शांति विजेता लेमाह ग्बोवी के साथ मिलकर 'राइज, गर्ल, राइज' (फरवरी 2026) नामक पिक्चर बुक पर काम किया।

भारत के आगामी 54वें मुख्य न्यायाधीश (CJI): जस्टिस विक्रम नाथ

- **नियुक्ति/शपथ ग्रहण:** वरिष्ठता सूची के अनुसार, वे 10 फरवरी 2027 को देश के 54वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे।
- **कार्यकाल:** 10 फरवरी 2027 से 23 सितंबर 2027 तक।
- **पूर्वाधिकारी:** वे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत (53वें CJI) का स्थान लेंगे, जो 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

हाल के मुख्य न्यायाधीशों (CJI) का क्रम:

- **51वें CJI:** जस्टिस संजीव खन्ना
- **52वें CJI:** जस्टिस बी. आर. गवई
- **53वें CJI (वर्तमान):** जस्टिस सूर्य कांत
- **54वें CJI (आगामी):** जस्टिस विक्रम नाथ

सितंबर 2026 में हुई प्रमुख नियुक्ति:

- भगवत प्रसाद मकवाना: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के अध्यक्ष
- एयर मार्शल संदीप थरेजा: सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 47वें महानिदेशक (डीजीएएफएमएस)
- एयर वाइश मार्शल शक्ति शर्मा: वायु सेना के सहायक प्रमुख (शिक्षा)
- मंदीप के भंडारी: अध्यक्ष (सीबीएसई)

सितंबर महीने के प्रमुख दिवस और उनकी 2026 की थीम

- **1 सितंबर** — राष्ट्रीय पोषण सप्ताह (1-7 सितंबर)
  - पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
- **5 सितंबर** — शिक्षक दिवस (भारत)
  - भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती (1888)।
- **7 सितंबर** — नीले आसमान के लिए साफ़ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
  - 2019 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित।
  - वर्ष 2026 की थीम: “जलवायु कार्रवाई के लिए स्वच्छ हवा” (Clean Air for Climate Action)
- **8 सितंबर** — अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस
  - 1967 से यूनेस्को (UNESCO) का दिवस।
  - **वर्ष 2026 की थीम:** “लोगों, ग्रह और समृद्धि के लिए साक्षरता” (Literacy for people, the planet and prosperity)

SEPTEMBER MAGAZINE

- **14 सितंबर** — हिंदी दिवस
  - 1949 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाने की याद।
- **15 सितंबर** — इंजीनियर्स डे (भारत)
  - इंजीनियर और राजनेता सर एम. विश्वेश्वरैया की जयंती (1861)।
  - **वर्ष 2026 की थीम:** नवाचार और डिजिटलीकरण के माध्यम से एक सतत भविष्य के लिए स्मार्ट इंजीनियरिंग
- **15 सितंबर** — अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस
  - 2007 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित।
  - **वर्ष 2026 की थीम:** "मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित करें" (Focus on human rights)
- **16 सितंबर** — विश्व ओज़ोन दिवस
  - ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में दस्तखत होने की याद।
  - **वर्ष 2026 की थीम:** “एक ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई” (Global action for a cooler planet)

- **21 सितंबर** — अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस
  - 1981 से UN दिवस, 2002 से तारीख तय की गई।
  - **वर्ष 2026 की थीम:** "शांति में निवेश करें - सभी के लिए, हर जगह, हर दिन" (Invest in Peace – For Everyone, Everywhere, Every Day)
- **21 सितंबर** — विश्व अल्ज़ाइमर दिवस
  - अल्ज़ाइमर ड्रीज़ीज़ इंटरनेशनल का जागरूकता दिवस।
  - **वर्ष 2026 की थीम:** "जितनी जल्दी आपको पता चलेगा, उतना ही आप कर पाएंगे: मनोभ्रंश का निदान मायने रखता है" (The Earlier You Know, The More You Can Do: A Dementia Diagnosis Matters)

- **23 सितंबर** — अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस
  - 2017 से UN दिवस।
  - **वर्ष 2026 की थीम:** "बधिर लोगों के मानवाधिकारों की घोषणा" (Declaring Deaf People's Human Rights)
- **27 सितंबर** — विश्व पर्यटन दिवस
  - UNWTO का दिवस, 1970 में UNWTO की नियमावली अपनाने की याद।
  - **वर्ष 2026 की थीम:** "पर्यटन को नया रूप देने के लिए डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता" (Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism)
- **28 सितंबर** — विश्व रेबीज़ दिवस
  - किसकी याद में: रेबीज़ का टीका बनाने वाले लुई पाश्चर की पुण्यतिथि (1895) की याद।
  - **वर्ष 2026 की थीम:** "एक साथ मिलकर हम मजबूत हैं" (Stronger Together)

Thanks For Watching

Learn
Share
Grow
Together ♡

Better
Students
Brighter
Tomorrow

Follow us for more Updates

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Result Mitra

Subscribe Now

Stay Connected



